Drishti IAS

एडिटोरियल

(संग्रह)

जनवरी 2023

Drishti, 641, First Floor,
Dr. Mukharjee Nagar,
Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440,
Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

- भूजल सुरक्षा: एक सुरक्षित भविष्य की ओर 5
- सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना 6
- भारत के विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता 8
- नीली अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभ को बढ़ाना 10
- भारत की विविध पर्यटन पेशकशों का अनुभव 11
- हरित हाइड्रोजन और कार्बन-तटस्थ भविष्य 13
- जेनरेटिव AI: अनुप्रयोग एवं चुनौतियाँ 18
- भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की स्थिति 19
- भारत में गिग इकोनॉमी का उदय 21
- स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण 23
- प्रवासियों के लिये दूरस्थ मतदान 28
- भारत और न्यू यूरेशिया 32
- POCSO अधिनियम के कार्यान्वयन में समस्याएँ 34
- पंचायत स्तर पर स्वायत्तता 37
- भारत की शहरीकरण नीतियों में कमियाँ 39
- अल्पवयस्कों के लिये डेटा संरक्षण 41
- भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन 43
- 'डी-डॉलराइज़ेशन' को बढ़ावा देना 45
- कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग 47
- दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न 50

The Vision

नोट :

समान नागरिक संहिता: परंपरा और आधुनिकता में संतुलन

संदर्भ

समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) की अवधारणा पर भारत में दशकों से बहस चल रही है और लंबे समय से कुछ राजनीतिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलनों द्वारा इसकी मांग की जाती रही है। UCC को भारतीय संविधान में एक निर्देशक सिद्धांत के रूप में शामिल रखा गया है, जिसका अर्थ यह है कि यह विधिक रूप से प्रवर्तनीय तो नहीं है लेकिन सरकार एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में इसका अनुपालन कर सकती है।

- UCC भारत में एक विभाजनकारी मुद्दा है, जिसके समर्थकों का तर्क है कि यह समानता एवं पंथनिरपेक्षता को बढ़ावा देगा, जबकि इसके विरोधियों का तर्क है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता एवं सांस्कृतिक अभ्यासों में हस्तक्षेप करेगा।
- कुल मिलाकर, भारत में UCC पर जारी बहस देश में विधि, धर्म और संस्कृति के बीच के जटिल एवं संवेदनशील संबंधों को उजागर करती है, जिसकी एक अलग दृष्टिकोण से संवीक्षा की जानी चाहिये तथा इसे चरणबद्ध एवं समग्र तरीके से संबोधित किया जाना चाहिये।

समान नागरिक संहिता क्या है?

- समान नागरिक संहिता (UCC) भारत के लिये प्रस्तावित एक विधिक ढाँचा है जो देश के सभी नागरिकों के लिये—चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों, विवाह, तलाक, गोद लेने एवं उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत विषयों से संबंधित सार्वभौमिक या एक समान कानूनों को संहिताबद्ध और लागू करेगा।
- इस संहिता की आकांक्षा संविधान के अनुच्छेद 44 में व्यक्त हुई है जहाँ कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्यक्षेत्र में नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा।

भारत में व्यक्तिगत कानून या 'पर्सनल लॉ' की वर्तमान स्थिति

- विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत कानून के विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत शामिल हैं।
- भारतीय संसद द्वारा वर्ष 1956 में हिंदू व्यक्तिगत कानूनों (जो सिखों, जैनियों और बौद्धों पर भी लागू होते हैं) को संहिताबद्ध किया गया था।
  - इस संहिता विधेयक को चार भागों में विभाजित किया गया है:
    - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955
    - हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
    - हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
    - हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956
- दूसरी ओर, वर्ष 1937 का शरीयत कानून भारत में मुसलमानों के सभी व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करता है।
  - इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य व्यक्तिगत विवादों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा और एक धार्मिक प्राधिकरण क़ुरआन और हदीस की अपनी व्याख्या के आधार पर एक घोषणा करेगा।

भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष में तर्क

- **लैंगिक समानता की ओर कदम:** भारत में व्यक्तिगत कानून प्राय: महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, विशेष रूप से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संरक्षण से संबंधित मामलों में।
  - समान नागरिक संहिता इस तरह के भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- **कानूनों की सरलता और स्पष्टता:** समान नागरिक संहिता व्यक्तिगत कानूनों के मौजूदा ढुलमुल तंत्र को नियमों के एक समूह से प्रतिस्थापित कर विधिक प्रणाली को सरल बनाएगी जो सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगी।
  - इससे सभी नागरिकों के लिये कानून अधिक सुलभ हो जाएँगे और वे इसे आसानी से समझ पाएँगे।
- **एकरूपता और निरंतरता:** समान नागरिक संहिता कानून के अनुप्रयोग में निरंतरता सुनिश्चित करेगी, क्योंकि यह सभी के लिये समान रूप से लागू होगी। यह कानून के अनुप्रयोग में भेदभाव या असंगति के जोखिम को कम करेगी।
  - यह धर्म या व्यक्तिगत कानूनों के आधार पर भेदभाव को समाप्त करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि कानून के तहत सभी को समान अधिकार एवं सुरक्षा प्राप्त हो।
- **आधुनिकीकरण और सुधार:** समान नागरिक संहिता भारतीय विधि प्रणाली के आधुनिकीकरण और इसमें सुधार की अनुमति देगी, क्योंकि यह समकालीन मूल्यों एवं सिद्धांतों के साथ कानूनों को अद्यतन करने और सामंजस्य बनाने का अवसर प्रदान करेगी।
- **युवाओं की आकांक्षाओं की पूर्ति:** जबकि विश्व डिजिटल युग में आगे बढ़ रहा है, युवाओं की सामाजिक प्रवृत्ति एवं आकांक्षाएँ समानता, मानवता और आधुनिकता के सार्वभौमिक एवं वैश्विक सिद्धांतों से प्रभावित हो रही हैं।
  - समान नागरिक संहिता के अधिनियमन से राष्ट्र निर्माण में उनकी क्षमता को अधिकतम कर सकने में मदद मिलेगी।

नोट :

- **सामाजिक समरसता:** समान नागरिक संहिता सभी व्यक्तियों द्वारा अनुपालन किये जाने हेतु नियमों का एक सामान्य समूह प्रदान कर विभिन्न धार्मिक या सामुदायिक समूहों के बीच तनाव एवं संघर्ष को कम करने में मदद कर सकती है।

भारत में समान नागरिक संहिता के विरुद्ध तर्क

- **धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता:** भारत धर्मों, संस्कृतियों और परंपराओं की समृद्ध विरासत वाला एक विविधतापूर्ण देश है।
  - समान नागरिक संहिता को इस विविधता के लिये एक खतरे के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि यह धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय विशेस के लिये विशिष्ट व्यक्तिगत कानूनों को समाप्त कर देगा।
- **धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध:** भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25-28 के अंतर्गत धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है।
  - कुछ लोगों का तर्क है कि समान नागरिक संहिता इस अधिकार का उल्लंघन करेगी, क्योंकि व्यक्तियों को ऐसे कानूनों का पालन करने की आवश्यकता होगी जो उनके धार्मिक विश्वासों एवं प्रथाओं के अनुरूप नहीं भी हो सकते हैं।
- **आम सहमति का अभाव:** समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर भारत में विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों के बीच आम सहमति का अभाव है।
  - इस परिदृश्य में, इस तरह के संहिता को लागू करना कठिन है, क्योंकि इसके लिये सभी समुदायों की सहमति एवं समर्थन की आवश्यकता होगी।
- **व्यावहारिक चुनौतियाँ:** भारत में समान नागरिक संहिता को लागू करने के मार्ग में कुछ व्यावहारिक चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे विधियों एवं प्रथाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के सामंजस्य की आवश्यकता और संविधान के अन्य प्रावधानों के साथ संघर्ष की संभावना।
- **राजनीतिक संवेदनशीलता:** समान नागरिक संहिता भारत में एक अत्यधिक संवेदनशील एवं राजनीतिकृत मुद्दा भी है और इसका उपयोग प्राय: विभिन्न दलों द्वारा राजनीतिक लाभ के लिये किया जाता रहा है।
  - इससे इस मुद्दे को रचनात्मक एवं गैर-विभाजनकारी तरीके से संबोधित करना कठिन हो गया है।

भारत में UCC की दिशा में क्या प्रयास किये गए हैं?

- **विशेष विवाह अधिनियम, 1954:** विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत किसी भी नागरिक को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, नागरिक विवाह की अनुमति है। यह किसी भी भारतीय व्यक्ति को धार्मिक रीति-रिवाजों से बाहर विवाह करने की अनुमति देता है।
- **शाह बानो केस (1985):** इस मामले में शाह बानो द्वारा भरण-पोषण के दावे को व्यक्तिगत कानून के तहत ख़ारिज कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125—जो पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के संबंध में सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, के तहत शाह बानो के पक्ष में निर्णय दिया था।
  - सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह अनुशंसा भी की थी कि लंबे समय से लंबित समान नागरिक संहिता को अंतत: अधिनियमित किया जाना चाहिये।
- सर्वोच्च न्यायालय ने सरला मुद्गल निर्णय (वर्ष 1995) और पाउलो कॉटिन्हो बनाम मारिया लुइज़ा वेलेंटीना परेरा केस (वर्ष 2019) में भी सरकार से UCC लागू करने का आह्वान किया।

आगे की राह

- **'ब्रिक बाय ब्रिक एप्रोच':** भारत में UCC लागू करने के लिये चरणबद्ध प्रक्रिया या 'ब्रिक बाय ब्रिक एप्रोच' अपनाई जानी चाहिये, न कि सर्वव्यापी या बहुप्रयोजी दृष्टिकोण। महज समान संहिता लागू किये जाने से अधिक महत्त्वपूर्ण है एक उपयुक्त एवं न्यायपूर्ण संहिता लागू करना।
- **सामाजिक अनुकूलनशीलता पर विचार:** समान नागरिक संहिता का खाका तैयार करते समय UCC की सामाजिक अनुकूलनशीलता पर विचार करने की आवश्यकता है।
  - व्यक्तिगत कानून के उन क्षेत्रों से आरंभ करना उपयुक्त होगा जो सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत और निर्विवाद हैं, जैसे कि विवाह एवं तलाक संबंधी कानून।
  - यह UCC के लिये सर्वसम्मति और समर्थन के निर्माण में मदद कर सकता है, साथ ही नागरिकों के समक्ष विद्यमान कुछ सर्वाधिक दबावकारी मुद्दों को भी संबोधित कर सकता है।
- **हितधारकों के साथ चर्चा एवं विचार-विमर्श:** इसके साथ ही, UCC को विकसित करने और लागू करने की प्रक्रिया में धार्मिक नेताओं, कानूनी विशेषज्ञों एवं समुदाय के प्रतिनिधियों सहित हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को संलग्न किया जाना उपयुक्त होगा।
  - इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि समान नागरिक संहिता विभिन्न समूहों के विविध दृष्टिकोणों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगी तथा इसे सभी नागरिकों द्वारा उचित एवं वैध रूप में देखा जाएगा।

नोट :

भूजल सुरक्षा: एक सुरक्षित भविष्य की ओर

संदर्भ

भारत में भूजल स्तर में गिरावट एक प्रमुख चिंता का विषय है क्योंकि यह पेयजल का प्राथमिक स्रोत है। भारत में भूजल की कमी के कुछ प्रमुख कारणों में सिंचाई के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन, शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं।

- भारत के केंद्रीय भूजल बोर्ड (Central Ground Water Board- CGWB) के अनुसार, भारत में उपयोग किये जाने वाले कुल जल का लगभग 70% भूजल स्रोतों से प्राप्त होता है। CGWB का यह भी अनुमान है कि देश के कुल भूजल निष्कर्षण का लगभग 25% असंवहनीय है, यानी पुनर्भरण की तुलना में निष्कर्षण दर अधिक है।
- समग्र रूप से, भारत में भूजल की कमी एक गंभीर समस्या है जिसे बेहतर सिंचाई तकनीकों जैसे संवहनीय जल प्रबंधन अभ्यासों और संरक्षण प्रयासों के माध्यम से संबोधित करने की आवश्यकता है।

भारत में भूजल की कमी के प्रमुख कारण क्या हैं?

- **सिंचाई के लिये भूजल का अत्यधिक दोहन:** भारत में कुल जल उपयोग में सिंचाई की हिस्सेदारी लगभग 80% है और इसमें से अधिकांश जल भूजल से प्राप्त होता है।
  - खाद्य की बढ़ती मांग के साथ सिंचाई हेतु भूजल का अधिकाधिक निष्कर्षण किया जा रहा है, जिससे इसके स्तर में कमी आ रही है।
- **जलवायु परिवर्तन:** बढ़ते तापमान और वर्षण के बदलते पैटर्न भूजल जलभृतों (Groundwater Aquifers) की पुनर्भरण दरों को बदल सकते हैं, जिससे भूजल स्तर में और कमी आ सकती है।
  - सूखा, फ्लैश फ्लड और बाधित मानसूनी घटनाएँ जलवायु परिवर्तन की घटनाओं के हालिया उदाहरण हैं जो भारत के भूजल संसाधनों पर दबाव बढ़ा रहे हैं।
- **खराब जल प्रबंधन:** जल का अकुशल उपयोग, रिसते पाइप और वर्षा जल संचयन के लिये अपर्याप्त अवसंरचना—ये सभी भूजल की कमी में योगदान कर सकते हैं।
- **प्राकृतिक पुनर्भरण में कमी:** वनों की कटाई जैसे कारकों से भूजल जलभृतों का प्राकृतिक पुनर्भरण कम हो सकता है, क्योंकि इससे मृदा अपरदन बढ़ सकता है और मृदा में रिसते, जलभृतों का पुनर्भरण करते जल की मात्रा में कमी आ सकती है।

घटते भूजल स्तर से संबद्ध समस्याएँ

- **जल की कमी:** भूजल स्तर में गिरावट के साथ घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपयोग के लिये पर्याप्त जल की उपलब्धता में कमी आ सकती है। यह जल की कमी के साथ ही जल संसाधनों के लिये संघर्ष की स्थिति को जन्म दे सकता है।
- **भूमि अवतलन:** भूजल निष्कर्षण से मृदा दब जाती है, जिससे भूमि अवतलन (भूमि का धँसना) हो जाता है। इससे सड़कों और इमारतों जैसे बुनियादी ढांचे को नुकसान हो सकता है और बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है।
- **पर्यावरणीय क्षरण:** भूजल की कमी का पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिये, जब भूजल का स्तर गिरता है तो यह तटीय क्षेत्रों में खारे जल के भूमि में प्रवेश या निस्यंदन का कारण बन सकता है, जिससे मीठे जल संसाधन दूषित हो सकते हैं।
- **आर्थिक प्रभाव:** भूजल की कमी के आर्थिक प्रभाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि इससे कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है और जल उपचार एवं पम्पिंग की लागत बढ़ सकती है।
- **कमी संबंधी डेटा का अभाव:** भारत सरकार जल-तनाव वाले राज्यों में अत्यधिक अतिदोहित ब्लॉकों को 'अधिसूचित' कर भूजल दोहन को नियंत्रित करती है।
  - हालाँकि, वर्तमान में केवल लगभग 14% अतिदोहित ब्लॉकों को ही अधिसूचित किया गया है।

भूजल संरक्षण से संबंधित प्रमुख सरकारी पहलें

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
- जल शक्ति अभियान- 'कैच द रेन' अभियान
- अटल भूजल योजना
- जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन कार्यक्रम
- कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT/अमृत)

आगे की राह

- **जल संरक्षण:** शहरी क्षेत्रों में (जहाँ भूजल स्तर सतह से पाँच-छह मीटर नीचे है) 'ग्रीन कॉरिडोर' का निर्माण कर, बाढ़ जल के संग्रहण के लिये संभावित रिचार्ज ज़ोन हेतु चैनलों का मानचित्रण कर और कृत्रिम भूजल पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण कर भूजल की कमी को कम कर सकना संभव है।
  - स्वच्छ वर्षा जल से भूजल पुनर्भरण के लिये निष्क्रिय बोरवेलों का उपयोग करना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

नोट :

- **भूजल निकासी का विनियमन:** भूजल के निष्कर्षण को नियंत्रित करने के लिये विनियमों को लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि इसका अत्यधिक दोहन नहीं हो रहा है।
  - सभी उद्योगों के लिये 'जल प्रभाव आकलन' (Water Impact Assessment) की आवश्यकता को अनिवार्य किया जाना चाहिये; साथ ही, एक 'ब्लू सर्टिफिकेशन' (Blue Certification) शुरू किया जाना चाहिये जो उद्योगों द्वारा जल के पुनर्भरण एवं पुन:उपयोग के आधार पर उनकी रेटिंग करे।
- **पानी के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देना:** जल के वैकल्पिक स्रोतों, जैसे उपचारित अपशिष्ट जल, के उपयोग को प्रोत्साहित करने से भूजल की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है।
  - 'ग्रे वाटर' और 'ब्लैक वाटर' के लिये दोहरी सीवेज प्रणाली विकसित करने के साथ-साथ कृषि और बागवानी में पुनर्चक्रित जल के पुन:उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **जल संबंधी शिक्षा और जागरूकता:** जल संरक्षण के महत्त्व और भूजल की कमी को रोकने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने से व्यक्तियों एवं समुदायों को संवहनीय जल उपयोग अभ्यासों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।

सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना

संदर्भ

हाल के वर्षों में चक्रीय अर्थव्यवस्था (Circular Economy- CE) की अवधारणा ने विभिन्न पर्यावरणीय एवं आर्थिक चुनौतियों को संबोधित कर सकने के एक विकल्प के रूप में व्यापक रूप से ध्यान आकर्षित किया है। विभिन्न संसाधनों की परिमित प्रकृति और अपशिष्ट एवं प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों की बढ़ती मान्यता के साथ, चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पारंपरिक रैखिक मॉडल के लिये एक अधिक संवहनीय एवं प्रत्यास्थी विकल्प की पेशकश करती है।

- विश्व भर में सरकारें, कारोबार क्षेत्र और अन्य संगठन चक्रीय अभ्यासों को अपनाने और अधिकाधिक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ने के रास्तों की तलाश कर रहे हैं। COP27 बैठक ने भी उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग एवं सतत् संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने के माध्यम से भारत के लिये कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकने में चक्रीय अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को प्रमुखता से सामने रखा है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है?

- **परिचय:**
  - चक्रीय अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ उत्पादों को स्थायित्व, पुन:उपयोग और पुनर्चक्रण के लिये अभिकल्पित किया जाता है और इस प्रकार लगभग हर चीज़ का पुन:उपयोग, पुनर्निर्माण एवं कच्चे माल के रूप में पुनर्चक्रण किया जाता है अथवा ऊर्जा स्रोत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है।
  - इसमें 6 R की अवधारणा शामिल है—Reduce (सामग्री के उपयोग को कम करना), Reuse (पुन:उपयोग), Recycle (पुनर्चक्रण), Refurbishment (पुनर्निर्माण), Recover (पुनरुद्धार) और Repairing (मरम्मत)।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता**
  - चक्रीय अर्थव्यवस्था अपशिष्ट को न्यूनतम और उपयोगिता को अधिकतम करने पर केंद्रित है तथा एक ऐसे उत्पादन मॉडल का आह्वान करती है जो अधिकतम मूल्य/महत्त्व को बनाए रखने पर लक्षित हो ताकि एक ऐसे तंत्र का निर्माण हो सके जो संवहनीयता, दीर्घ जीवन, पुन:उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा देती हो।
  - यद्यपि भारत में हमेशा से पुनर्चक्रण एवं पुन:उपयोग की संस्कृति रही है, इसकी तीव्र आर्थिक वृद्धि, बढ़ती जनसंख्या, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के परिदृश्य में इसके लिये एक चक्रीय अर्थव्यवस्था को अपनाना अब अधिक अनिवार्य हो गया है।
  - चक्रीय अर्थव्यवस्था अधिक संवहनीय उत्पादन एवं उपभोग पैटर्न के उभार की ओर ले जा सकती है और इस प्रकार विकासशील एवं विकसित देशों को सतत् विकास के एजेंडा 2030 के अनुरूप आर्थिक विकास तथा समावेशी एवं संवहनीय औद्योगिक विकास (Inclusive and Sustainable Industrial Development-ISID) प्राप्त करने के अवसर प्रदान कर सकती है।
- **चक्रीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक रुझान:**
  - जर्मनी और जापान ने इसे अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिये एक बाध्यकारी सिद्धांत के रूप में इस्तेमाल किया है, जबकि चीन ने इसके लिये एक कानून- 'सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोशन लॉ'- को भी अधिनियम किया है।

नोट :

- **चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये भारत की प्रमुख पहलें:**
  - वर्ष 2022-23 के बजट ने सतत् विकास के महत्त्व को चिह्नित किया और सरकार ने चक्रीय अर्थव्यवस्था के अनुरूप निम्नलिखित नियम तैयार किये हैं:
    - बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
    - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम, 2022
    - ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022
    - ये नियम विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (Extended Producer Responsibility- EPR) प्रमाणपत्रों के लिये हितधारकों के बीच लेनदेन को सक्षम करने के साथ-साथ विनिर्माताओं, उत्पादकों, आयातकों एवं थोक उपभोक्ताओं के लिये लक्षित अपशिष्ट निपटान मानकों को निर्धारित करते हैं।
  - लिथियम-आयन बैटरी, एंड-ऑफ-लाइफ व्हीकल्स, स्क्रैप मेटल, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आदि सहित 10 क्षेत्रों के लिये कार्ययोजना भी बनाई गई है जहाँ द्वितीयक सामग्रियों के पुन:उपयोग के महत्त्व पर बल दिया गया है।

चक्रीय अर्थव्यवस्था प्राप्त करने के मार्ग की बाधाएँ

- **स्पष्ट दृष्टि या विज़न का अभाव:** सरकार के नीतिगत प्रयासों के बावजूद अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। भारत के चक्रीय अर्थव्यवस्था मिशन के अंतिम लक्ष्य के प्रति स्पष्ट दृष्टि की कमी और नीतियों के वास्तविक कार्यान्वयन में अंतराल प्रमुख चुनौतियों में से एक है।
  - इसके अलावा, चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के प्रयास मूल्य शृंखलाओं के नितांत अंतिम बिंदु पर किये जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप उप-इष्टतम आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं।
- **उद्योगों की अनिच्छा:** आपूर्ति शृंखला की सीमाओं, निवेश के लिये प्रोत्साहन की कमी, जटिल पुनर्चक्रण प्रक्रियाओं और पुन:उपयोग/पुनर्चक्रण/पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी के समर्थन हेतु सूचना की कमी के कारण उद्योग क्षेत्र चक्रीय अर्थव्यवस्था मॉडल को अपनाने के प्रति अनिच्छुक बना रहा है।
- **जागरूकता और समझ की कमी:** भारत में बहुत से लोग चक्रीय अर्थव्यवस्था की अवधारणा और इसके लाभों से अवगत नहीं हैं, जिससे चक्रीय अर्थव्यवस्था संबंधी पहलों को लागू करने के लिये समर्थन प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
- **अवसंरचनागत चुनौतियाँ:** भारत की अवसंरचना चक्रीय अर्थव्यवस्था का समर्थन कर सकने के लिये पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिये, देश में पुनर्चक्रण सुविधाओं की कमी है जिससे सामग्री का पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग करना कठिन हो जाता है।
- **सांस्कृतिक चुनौतियाँ:** भारत में उत्पादों के पुन:उपयोग और पुनर्चक्रण के विचार के लिये एक सांस्कृतिक प्रतिरोध भी मौजूद है, जिससे उपभोक्ता व्यवहार को बदलना तथा एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर आगे बढ़ना कठिन हो जाता है।

चक्रीय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये क्या कदम उठाये जा सकते हैं?

- **सांविधिक सुधार:** उत्पादन चक्र के आरंभिक चरणों में पुनर्चक्रित/द्वितीयक कच्चे माल की खरीद के लिये विधायी अधिदेशों और नियामक दृष्टिकोण से चक्रीय अर्थव्यवस्था को संबोधित करने के लिये एक एकीकृत कानून के विकास के माध्यम से इन चुनौतियों को दूर किया जा सकता है।
  - चक्रीय अर्थव्यवस्था रिपोर्टिंग पर एक सुव्यवस्थित ढाँचे, EPR प्रमाणपत्रों के कारोबार के संबंध में तंत्र को स्पष्टता प्रदान करने और आपूर्ति शृंखला की पूर्णता के लिये व्यवसायों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने से भी इस दिशा में सहायता मिलेगी।
- **कार्यान्वयन रणनीतियों के साथ कानूनों का समन्वय:** चक्रीय अर्थव्यवस्था के लाभों को प्राप्त करने के लिये सरकार की विभिन्न पहलों को उद्योग जगत के सहयोग के साथ कार्यान्वयन योग्य कार्रवाई के संयोजन में होना चाहिये।
  - प्रासंगिक कार्यान्वयन रणनीतियों के साथ सरकार के मौजूदा प्रयासों के संयोजन से उत्पादन के चक्रीय मॉडल को अपनाने के लिये व्यवसायों में भरोसे की भावना पैदा होगी।
- **अनुसंधान एवं विकास में निवेश:** नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग को पुनर्चक्रण प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश करना चाहिये। अनुसंधान एवं विकास में निवेश पुनर्चक्रण के नए तरीके खोजने में मदद कर सकता है जिससे उच्च दक्षता और पर्यावरणीय रूप से कम क्षतिकारी फुटप्रिंट जैसे परिणाम प्राप्त होंगे।
  - उद्योगों को घरेलू अपशिष्ट पुनर्चक्रण सुविधाओं की स्थापना के लिये वैश्विक पुनर्चक्रण फर्मों के साथ प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की दिशा में भी अग्रसर होना चाहिये।
- **प्रौद्योगिकी प्रेरित पुनर्चक्रण:** सरकार को अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी संवर्द्धन में आम लोगों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय और स्कूल स्तरों पर अपशिष्ट पुनर्चक्रण के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन देना चाहिये।

नोट :

- इसके साथ ही, शहरों में जैविक अपशिष्टों के पुन:उपयोग को बढ़ावा देने लिये कंपोस्टिंग केंद्र स्थापित किये जा सकते हैं, जिससे मृदा में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता समाप्त होगी।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र की क्षमता

संदर्भ

भारत का विनिर्माण क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में एक महत्त्वपूर्ण योगदानकर्ता है। यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 15% हिस्सेदारी रखता है और देश के लगभग 12% कार्यबल को रोज़गार प्रदान करता है। यह क्षेत्र अत्यंत विविध है और इसमें वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और उपभोक्ता दुर्लभ वस्तुओं जैसे कई उद्योग शामिल हैं।

- हाल के वर्षों में भारत सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिये कई पहल किये हैं। 'मेक इन इंडिया' अभियान इनमें से एक प्रमुख पहल है जो देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाने तथा घरेलू विनिर्माण के विकास को बढ़ावा देने पर लक्षित है। सरकार ने इस क्षेत्र में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिये कई विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zones- SEZs) भी स्थापित किये हैं।
- इन प्रयासों के बावजूद भारत में विनिर्माण क्षेत्र को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें बुनियादी ढाँचे का अभाव, कुशल श्रम की कमी और ऋण प्राप्त करने की कठिनाइयाँ शामिल हैं। इसके अलावा, यह क्षेत्र वैश्विक मांग में कमी और चीन जैसे देशों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा से भी प्रभावित हुआ है।
- हालाँकि, यह परिदृश्य इस क्षेत्र में विकास के वृहत अवसर भी प्रदान करता है और उम्मीद की जाती है कि सतत सुधारों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में यह उल्लेखनीय भूमिका निभा सकेगा।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र के विकास चालक

- **निवेश में वृद्धि:** बजट 2022-23 में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 2,403 करोड़ रुपए (315 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किये हैं, जबकि बजट 2021-22 में 'फेम इंडिया' (Faster Adoption and Manufacturing of Hybrid and Electric Vehicle in India- FAME India) के लिये 757 करोड़ रुपए (104.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर) आवंटित किये गए थे।
- **प्रतिस्पर्द्धात्मकता:** औद्योगिक क्षेत्र को वृहत प्रोत्साहन देने के लिये भारत के पास एक विशाल अर्द्ध-कुशल श्रम बल, 'मेक इन इंडिया' जैसी विभिन्न सरकारी पहलें, उच्च निवेश और एक बड़े घरेलू बाज़ार जैसे सभी घटक मौजूद हैं।
  - आधार स्थापित करने के लिये मुक्त भूमि और 24X7 बिजली आपूर्ति जैसे सरकारी प्रोत्साहन भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बना रहे हैं।
- **मज़बूत मांग:** अनुमान किया जाता है कि वर्ष 2030 तक भारतीय मध्यम वर्ग की वैश्विक उपभोग में दूसरी सबसे बड़ी हिस्सेदारी (17%) होगी। भारत में उपकरण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (Appliances and Consumer Electronics-ACE) बाज़ार 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर (वर्ष 2019) से बढ़कर वर्ष 2025 तक 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो जाएगा।
- 'ग्लोबल हब' के रूप में उभार की क्षमता: भारत का विनिर्माण उद्योग पहले ही चतुर्थ औद्योगिक क्रांति (Industry 4.0) की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जहाँ सब कुछ परस्पर-संबद्ध या कनेक्टेड होगा और प्रत्येक डेटा बिंदु का विश्लेषण किया जाएगा।
  - भारतीय कंपनियाँ R&D में अग्रणी स्थान रखती हैं और फार्मास्यूटिकल्स एवं टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में पहले ही वैश्विक नेतृत्वकर्ता बन चुकी हैं।
  - ऑटोमेशन और रोबोटिक्स जैसे क्षेत्रों पर भी उद्योग की ओर से अपेक्षित ध्यान दिया जा रहा है।

भारत के विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- **अपर्याप्त प्रौद्योगिकी-आधारित अवसंरचना:** प्रौद्योगिकी-आधारित अवसंरचना (विशेष रूप से संचार, परिवहन और कुशल जनशक्ति हेतु) विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण है।
  - दूरसंचार सुविधाएँ मुख्य रूप से बड़े शहरों तक ही सीमित हैं। अधिकांश राज्य विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहे हैं और दयनीय स्थिति रखते हैं।
- **MSME के लिये ऋण तक पहुँच:** ऐसा प्रतीत होता है कि मध्यम और वृहत पैमाने के औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रों की तुलना में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के लिये ऋण तक अनुकूल पहुँच की कमी और कार्यशील पूंजी की उच्च लागत की स्थिति है।
- **कुशल श्रम की कमी:** भारत के विनिर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षित और कुशल श्रम की कमी है जो इस क्षेत्र के विकास को सीमित करती है।

नोट :

- जटिल विनियमन और कमज़ोर आपूर्ति शृंखला: भारत में विनिर्माण क्षेत्र लाइसेंस, टेंडर, ऑडिट जैसे कई जटिल विनियमनों के अधीन है, जो व्यवसायों के लिये बोझ हो सकते हैं और उनके विकास में बाधाकारी बन सकते हैं।
  - इसके अलावा, यह क्षेत्र प्राय: कमज़ोर या खराब आपूर्ति शृंखला प्रबंधन से ग्रस्त होता है, जिससे अक्षमता और लागत में वृद्धि हो सकती है।
- **अन्य देशों से प्रतिस्पर्द्धा और आयात:** भारत के विनिर्माण क्षेत्र को अन्य देशों से तीव्र प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे घरेलू व्यवसायों के लिये वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन हो सकता है।
  - इसके अलावा, भारत अभी भी परिवहन उपकरण, मशीनरी (इलेक्ट्रिकल एवं नॉन-इलेक्ट्रिकल), लोहा एवं इस्पात, काग़ज़, रसायन एवं उर्वरक, प्लास्टिक सामग्री आदि के लिये विदेशी आयात पर निर्भर है।

भारत में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये हाल की प्रमुख सरकारी पहलें

- **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI)** - घरेलू विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिये।
- **पीएम गति शक्ति- राष्ट्रीय मास्टर प्लान** - मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना परियोजना।
- **भारतमाला परियोजना** - पूर्वोत्तर भारत में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिये।
- **स्टार्ट-अप इंडिया** - भारत में स्टार्टअप संस्कृति को उत्प्रेरित करने के लिये।
- **मेक इन इंडिया 2.0** - भारत को एक वैश्विक डिज़ाइन और विनिर्माण केंद्र में बदलने के लिये।
- **आत्मनिर्भर भारत अभियान** - आयात पर निर्भरता कम करने के लिये।

आगे की राह

- **अवसंरचना में निवेश:** सड़कों, बंदरगाहों और बिजली आपूर्ति जैसी अवसंरचनाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार लाने से विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश और व्यवसायों को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है।
  - इसमें नई अवसंरचना का निर्माण या मौजूदा अवसंरचना का उन्नयन शामिल हो सकता है।
- **निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को बढ़ावा देना:** निर्यात-उन्मुख विनिर्माण (Export-Oriented Manufacturing) के विकास को प्रोत्साहित करने से भारतीय व्यवसायों को नए बाज़ारों में प्रवेश करने और उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
  - इसमें नए बाज़ारों में प्रवेश करने के इच्छुक व्यवसायों के लिये सहायता प्रदान करना अथवा निर्यात-उन्मुख विनिर्माण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** विनिर्माण क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करना और नई प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं के अंगीकरण को बढ़ावा देना, नवाचार के प्रसार एवं उत्पादकता की वृद्धि में मदद कर सकता है।
  - इसमें R&D के लिये धन मुहैया कराना या नई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है।
- **वित्त तक पहुँच में सुधार लाना:** विनिर्माण क्षेत्र में छोटे एवं मध्यम आकार के उद्यमों (SMEs) के लिये ऋण और अन्य प्रकार के वित्तपोषण तक पहुँच को सुगम करने से उनकी वृद्धि एवं विकास में सहायता मिल सकती है।
  - इसमें उन नीतियों को लागू करना जो बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को विनिर्माण क्षेत्र में SMEs को ऋण देने के लिये प्रोत्साहित करें या SME लेंडिंग के समर्थन के लिये सरकार-समर्थित ऋण गारंटी प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **विनियमों को सुव्यवस्थित करना:** विनियमों को सरल एवं सुव्यवस्थित करने से व्यवसायों पर बोझ कम करने और विनिर्माण क्षेत्र में अधिक निवेश को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।
  - इसमें लाइसेंस एवं परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना या अनुपालन आवश्यकताओं को सरल बनाना शामिल हो सकता है।
- **कौशल विकास को प्रोत्साहन:** प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिये अधिक अवसर प्रदान करने से विनिर्माण क्षेत्र में कुशल श्रम की कमी को दूर करने तथा इसकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
  - इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना या उन नीतियों को लागू करना शामिल हो सकता है जो व्यवसायों को कर्मचारी प्रशिक्षण में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करें।

नोट :

नीली अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभ को बढ़ाना

संदर्भ

भूमि क्षेत्र के हिसाब से विश्व के सातवें सबसे बड़े देश होने के साथ ही भारत के पास एक विशाल और विविध समुद्री क्षेत्र भी है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित जीवंत बंदरगाह शहरों से लेकर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के रमणीय समुद्र तटों तक, देश की नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) इसके आर्थिक विकास एवं वृद्धि में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- सरकार ने नीली अर्थव्यवस्था के विकास का समर्थन करने के लिये कई पहलों की शुरूआत की है की है। सरकार द्वारा शुरू की गई सागर माला परियोजना भारत की बंदरगाह अवसंरचना के आधुनिकीकरण और तटीय क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी में सुधार पर लक्षित है तो नीली अर्थव्यवस्था कार्यक्रम (Blue Economy Program) तटवर्ती क्षेत्रों में सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित है।
- भारत में नीली अर्थव्यवस्था से संबद्ध कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं जिनमें जलवायु परिवर्तन, समुद्री प्रदूषण और समुद्री संसाधनों का अत्यधिक दोहन आदि शामिल हैं। इस परिदृश्य में, भारत के आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकने और देश की दीर्घकालिक समृद्धि में योगदान करने के लिये नीली अर्थव्यवस्था की क्षमताओं की संवीक्षा करना प्रासंगिक है।

नीली अर्थव्यवस्था क्या है ?

- नीली अर्थव्यवस्था या 'ब्लू इकोनॉमी' अन्वेषण, आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका और परिवहन के लिये समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग के साथ ही समुद्री एवं तटीय पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य के संरक्षण को संदर्भित करती है।
  - भारत में, नीली अर्थव्यवस्था में नौवहन, पर्यटन, मत्स्य पालन और अपतटीय तेल एवं गैस अन्वेषण सहित कई क्षेत्र शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि विश्व व्यापार का 80% समुद्रों के माध्यम से सम्पन्न होता है, दुनिया की 40% आबादी तटीय क्षेत्रों के आसपास निवास करती है और 3 बिलियन से अधिक लोग अपनी आजीविका के लिये महासागरों का उपयोग करते हैं।

नीली अर्थव्यवस्था का महत्त्व

- **परिवहन:** भारत के नौ तटवर्ती राज्यों में 12 प्रमुख और 200 छोटे बंदरगाहों में विस्तृत 7,500 किलोमीटर से अधिक लंबी तटरेखा के साथ, भारत की नीली अर्थव्यवस्था परिवहन के माध्यम से देश के 95% व्यवसाय का समर्थन करती है और इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में अनुमानित 4% का योगदान करती है।
- **शिपिंग उद्योग का विस्तार:** भारत शिपिंग उद्योग में अपनी उपस्थिति के विस्तार की इच्छा रखता है और जहाज़ मरम्मत एवं इनके रखरखाव के एक 'हब' के रूप में अपनी क्षमता का विस्तार करना चाहता है। यह देश के लिये विभिन्न आर्थिक और भू-राजनीतिक लाभों के द्वार खोल सकता है।
- **अपतटीय ऊर्जा उत्पादन (Offshore Energy Production):** भारत में अपतटीय पवन और सौर ऊर्जा विकसित करने के भी अवसर मौजूद हैं, जो देश की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद कर सकते हैं।
- **'एक्वाकल्चर' और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी (Aquaculture and Marine Biotechnology):** नीली अर्थव्यवस्था इन क्षेत्रों के विकास का समर्थन कर सकती है, जिनमें देश की खाद्य सुरक्षा में योगदान करने तथा महासागर पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार लाने की क्षमता है।
- **सतत् विकास लक्ष्यों के साथ तालमेल:** यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs), विशेष रूप से SDG14 'जल निमग्न जीवन' (life below water), का समर्थन करता है।

भारत की नीली अर्थव्यवस्था से सबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **अवसंरचना की कमी:** भारत के कई तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अन्य अवसंरचनाओं की कमी है, जिससे इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का विकास एवं विस्तार करना कठिन साबित हो सकता है।
- **ओवरफिशिंग (Overfishing):** भारत के तटीय जल क्षेत्र में 'ओवरफिशिंग' एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इससे मछली के भंडार में कमी आ सकती है और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को क्षति पहुँच सकती है। इसका मत्स्यग्रहण उद्योग और नीली अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- **समुद्री प्रदूषण:** तेल रिसाव, प्लास्टिक अपशिष्ट और औद्योगिक गंदले प्रवाह जैसे स्रोतों से होने वाला प्रदूषण समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को हानि पहुँचा सकते हैं और इनका नीली अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- **जलवायु परिवर्तन:** समुद्र का बढ़ता स्तर, नकारात्मक हिंद महासागर द्विध्रुव (Indian Ocean dipole) या 'भारतीय नीनो' और जलवायु परिवर्तन के अन्य प्रभाव तटीय समुदायों के लिये जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं तथा नीली अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।
- **मत्स्यग्रहण के लिये भारत-श्रीलंका संघर्ष:** पाक खाड़ी (Palk Bay) क्षेत्र में भारतीय और श्रीलंकाई जल क्षेत्र के बीच

नोट :

की सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, जिसके कारण भारतीय और श्रीलंकाई मछुआरों के बीच भ्रम एवं संघर्ष की स्थिति बनती रही है।

- इस मुद्दे के समाधान के लिये, भारत और श्रीलंका दोनों ने पाक खाड़ी क्षेत्र में मत्स्यग्रहण गतिविधियों को विनियमित करने एवं स्पष्ट सीमाएँ स्थापित करने के लिये समझौता वार्ताओं का प्रयास किया है। हालाँकि ये प्रयास इस मुद्दे को हल करने में पूर्णत: सफल नहीं रहे हैं।

नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा उठाये गए प्रमुख कदम

- डीप ओशन मिशन
- सतत् विकास के लिये नीली अर्थव्यवस्था पर भारत-नॉर्वे कार्यबल
- सागरमाला परियोजना
- 'ओ स्मार्ट' (O-SMART)
- एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन
- राष्ट्रीय मत्स्य नीति
- 'नाविक' (NavIC)

आगे की राह

- **सतत् संसाधन प्रबंधन:** सतत संसाधन प्रबंधन अभ्यासों को लागू करना (जैसे ग्रहण मात्रा या कैच लिमिट निर्धारित करना), समुद्री संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करना और ओवरफिशिंग एवं अन्य प्रकार के संसाधन अतिदोहन को रोकने के लिये विनियमन प्रवर्तित करना, समुद्री संसाधनों और उनपर निर्भर उद्योगों की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है।
- **अवसंरचना में निवेश:** तटीय क्षेत्रों में बंदरगाहों, हवाई अड्डों और अन्य सुविधाओं जैसी अवसंरचनाओं में निवेश करने से इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों के विकास एवं विस्तार में मदद मिल सकती है।
- **अनुसंधान एवं विकास:** नीली अर्थव्यवस्था में प्रौद्योगिकियों एवं अभ्यासों में सुधार के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से दक्षता बढ़ाने और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करने में सहायता मिल सकती है।
  - भारत को समुद्री ICTs और परिवहन (शिपिंग) एवं संचार सेवाओं के साथ ही समुद्री अनुसंधान एवं विकास के लिये एक ज्ञान केंद्र के निर्माण पर ध्यान देना चाहिये।
- **भागीदारी एवं सहयोग:** ज्ञान एवं विशेषज्ञता के आदान-प्रदान और विभिन्न परियोजनाओं एवं पहलों पर सहयोग करने के लिये अन्य देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा अन्य हितधारकों के साथ कार्य करना, नीली अर्थव्यवस्था के विकास एवं वृद्धि का समर्थन करने में मदद कर सकता है।
  - इसके साथ ही, भारत को अपने महासागरों को केवल जल निकायों के रूप में नहीं देखना चाहिये, बल्कि निरंतर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संवाद के एक वैश्विक मंच के रूप में देखना चाहिये।

भारत की विविध पर्यटन पेशकशों का अनुभव

संदर्भ

पर्यटन (Tourism) को दुनिया भर में किसी भी अर्थव्यवस्था के लिये एक प्रमुख प्रेरक शक्ति के रूप में देखा जाता है। आतिथ्य (Hospitality) जैसे संबद्ध उद्योगों पर इसका गुणक प्रभाव पड़ता है। पर्यटन से होने वाले आर्य अर्जन का अन्य उद्योगों की ओर प्रसार न केवल आर्थिक स्थिति में सुधार लाता है बल्कि स्थानीय आबादी के जीवन स्तर को भी उच्च बनाता है।

- लेकिन भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबद्ध कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं, जैसे अवसंरचनात्मक कमी, असंवहनीयता, जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण।
- अभी जब भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण की है और वर्ष 2023 में आहूत शिखर सम्मेलन की तैयारी कर रहा है, तब देश को एक सुरक्षित, पर्यटन-अनुकूल गंतव्य के रूप में स्थापित करना इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार किस प्रकार विभिन्न उद्योगों के सहयोग से कार्य कर सकती है और आगंतुक गणमान्य व्यक्तियों को विश्वस्तरीय अनुभव प्रदान कर सकती है।

भारत में पर्यटन क्षेत्र का क्या महत्त्व है?

- **आर्थिक लाभ:** पर्यटन पर्यटकों को वस्तुओं एवं सेवाओं (जैसे आवास, परिवहन एवं विरासत के प्रति आकर्षण) की बिक्री के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करता है।
  - यह आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है और पर्यटन क्षेत्र एवं संबंधित उद्योगों में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकता है।
- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:** पर्यटन सांस्कृतिक आदान-प्रदान का अवसर प्रदान करता है, क्योंकि दुनिया के विभिन्न हिस्सों के आगंतुक भारत की विविध संस्कृतियों और परंपराओं के बारे में जान सकते हैं और इसे अनुभव कर सकते हैं।
- **सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण:** पर्यटन सांस्कृतिक विरासत स्थलों, जैसे मंदिरों, किलों और महलों के रखरखाव एवं जीर्णोद्धार के लिये आवश्यक धनराशि प्रदान करके उन्हें संरक्षित करने में भी मदद कर सकता है।

नोट :

- **पर्यावरणीय लाभ:** कुछ मामलों में पर्यटन के पर्यावरणीय लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं, जैसे कि 'इको-टूरिज्म' (Eco-tourism) पहलों का विकास जो प्राकृतिक क्षेत्रों के संरक्षण को बढ़ावा देते हैं।
- **सामाजिक लाभ:** पर्यटन स्थानीय समुदायों के लिये सामाजिक लाभ भी उत्पन्न कर सकता है, जैसे रोज़गार अवसरों के सृजन और स्कूलों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सामाजिक अवसंरचना के प्रावधान के माध्यम से।

भारत में पर्यटन क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **सुरक्षा और संरक्षा संबंधी मुद्दे:** भारत को पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के संबंध में, विशेष रूप से देश के कुछ भागों में, चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।
  - यह पर्यटकों को कुछ क्षेत्रों की यात्रा से बाधित कर सकता है और एक पर्यटन स्थल के रूप में भारत की समग्र छवि को भी प्रभावित कर सकता है।
- **मानव संसाधन की कमी:** चूँकि पर्यटन एक श्रम-गहन उद्योग है, इसलिये व्यावहारिक प्रशिक्षण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। लेकिन जैसे-जैसे भारत में पर्यटन क्षेत्र का विकास हुआ है, उसी गति से प्रशिक्षित पेशेवरों की उपलब्धता में वृद्धि नहीं हुई है।
  - बहुभाषी प्रशिक्षित गाइडों की कमी और स्थानीय लोगों के बीच पर्यटन से जुड़े लाभों एवं उत्तरदायित्वों की अपर्याप्त समझ के कारण इस क्षेत्र का विकास बाधित रहा है।
- **असंवहनीय पर्यटन:** भारत में, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में, जहाँ संसाधन पहले से ही दुर्लभ हैं, असंवहनीय पर्यटन (Unsustainable Tourism) प्राय: प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के रूप में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव को बढ़ाता है।
  - इसके अतिरिक्त, असंवहनीय पर्यटन स्थानीय भूमि उपयोग को भी प्रभावित करता है, जिससे मृदा के क्षरण, प्रदूषण की वृद्धि और संकटग्रस्त प्रजातियों के पर्यावासों के विनाश जैसे परिणाम उत्पन्न होते हैं।
- **'कनेक्टिविटी' की कमी:** भारत में कई गंतव्य स्थल ऐसे भी हैं जो अपर्याप्त सर्वेक्षणों, अवसंरचना एवं कनेक्टिविटी के कारण अनछुए बने रहे हैं और इनकी ओर घरेलू यात्रा के प्रति उदासीन रवैया बना रहा है।
  - उदाहरण के लिये, पूर्वोत्तर भारत की रमणीय प्राकृतिक सुंदरता के बावजूद यह प्राय: घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की यात्रा योजनाओं में शामिल नहीं होता है क्योंकि देश के शेष भागों के साथ कनेक्टिविटी की कमी के साथ ही यहाँ बुनियादी ढाँचे एवं आवश्यक सुविधाओं की कमी की समस्या बनी हुई है।
- **प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन:** हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल (धरोहर स्थल) प्रदूषण से भी प्रभावित हैं। भारत अभी भी अपने 'आश्चर्य' ताजमहल की प्रदूषण से रक्षा के लिये संघर्षरत है। जलवायु परिवर्तन के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में भारत में बाढ़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है और इसकी चपेट में कई प्रमुख धरोहल स्थल भी आए हैं।
  - उदाहरण: ओडिशा में पुरी और कर्नाटक में हम्पी

भारत में पर्यटन से संबंधित हाल की प्रमुख पहलें

- स्वदेश दर्शन योजना
- राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 का मसौदा
- 'देखो अपना देश' पहल
- एक भारत श्रेष्ठ भारत

आगे की राह

- **पर्यटन अवसंरचना का विकास:** सड़कों, हवाई अड्डों और होटलों जैसी आधारभूत संरचनाओं के विकास में निवेश से पर्यटकों के लिये देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करना आसान हो जाएगा।
  - सार्वजनिक-निजी भागीदारी या सरकारी निवेश के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है।
- **सुरक्षा और संरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना:** भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिये पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के परिदृश्य में सुधार लाना आवश्यक है।
  - पर्यटन पुलिस (Tourism Police) की तैनाती, पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और सुरक्षित यात्रा अभ्यासों को बढ़ावा देने जैसे उपायों के माध्यम से इसे संभव किया जा सकता है।
- **संवहनीय पर्यटन:** भीड़भाड़ और पर्यावरण पर प्रभाव जैसी समस्याओं को संबोधित करने के लिये पर्यटन उद्योग संवहनीय पर्यटन अभ्यासों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर सकता है।
  - इसमें ऑफ-सीज़न यात्रा को बढ़ावा देने, स्थानीय व्यवसायों का समर्थन करने और प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक धरोहर स्थलों को संरक्षित करने जैसी पहलें शामिल हो सकती हैं।
- **वीज़ा सरलीकरण:** वीज़ा आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और इसे विदेशी पर्यटकों के लिये अधिक सुलभ बनाने से अधिक से अधिक पर्यटक भारत आने के लिये प्रोत्साहित होंगे।
  - ऑनलाइन वीज़ा प्रणाली के कार्यान्वयन और 'वीज़ा-ऑन-अराइवल' कार्यक्रमों के विस्तार के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।

नोट :

- **सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण:** पर्यटकों और पर्यटन उद्योग के पेशेवरों को सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण (Cultural Sensitivity Training) प्रदान करने से विभ्रमों को कम करने और स्थानीय संस्कृतियों एवं परंपराओं के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
  - शैक्षिक सामग्री के विकास और पर्यटन उद्योग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सांस्कृतिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण को शामिल करने के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।
- **एकीकृत पर्यटन पोर्टल का निर्माण:** देश भर में वांछित पर्यटन स्थलों की पहचान करने के लिये एक सश्रम बाज़ार अनुसंधान एवं मूल्यांकन अभ्यास आयोजित किया जा सकता है।
  - इसके बाद इन स्थानों को मानचित्रित करने और सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बढ़ावा देने के लिये एक डिजिटल एकीकृत प्रणाली ('एक भारत श्रेष्ठ भारत' के सार को बढ़ावा देते हुए) का विकास किया जा सकता है।
- **भारत के लिये अवसर:** भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को देखते हुए, व्यंजन पर्यटन की अनूठी विविधता (Cuisine Tourism) भारत के 'सॉफ्ट पावर' को बढ़ाने और विदेशी राजस्व को आकर्षित करने के लिये एक प्रभावी साधन सिद्ध हो सकती है। भारत का 'वसुधैव कुटुम्बकम' का दर्शन इसे बहुपक्षीयता के प्रति अटूट आस्था प्रदान करता है।
  - हाल का 'धर्मशाला घोषणा-पत्र' (Dharamshala Declaration) वैश्विक पर्यटन का समर्थन करने और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में भारत की अपार क्षमता को चिह्नित करता है।

हरित हाइड्रोजन और कार्बन-तटस्थ भविष्य

संदर्भ

हरित हाइड्रोजन या 'ग्रीन हाइड्रोजन' (Green Hydrogen) में भारत की रुचि बढ़ रही है। हरित हाइड्रोजन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से उत्पादित हाइड्रोजन है । हरित हाइड्रोजन में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को उल्लेखनीय रूप से कम करने की क्षमता है, क्योंकि यह दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। इस गुण के कारण यह भारत के लिये एक विशेष रूप से आकर्षक विकल्प है, जो अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के शमन के लिये प्रतिबद्ध है।

- भारत में हरित हाइड्रोजन का उपयोग अभी भी प्रारंभिक चरण में है और इसके उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ाने की राह में कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। इन चुनौतियों में उत्पादन की उच्च लागत, हाइड्रोजन के वितरण एवं भंडारण के लिये बुनियादी ढाँचे की कमी और विभिन्न अनुप्रयोगों में इसके उपयोग के लिये उपयुक्त तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता शामिल हैं।
- इन चुनौतियों के बावजूद, भारत में हरित हाइड्रोजन के लिये व्यापक क्षमता मौजूद है। इसमें देश के ऊर्जा मिश्रण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की क्षमता है, जो जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने और स्वच्छ, अधिक संवहनीय ऊर्जा प्रणाली में योगदान करने में मदद कर सकता है। उपयुक्त नीतियों एवं निवेश के साथ, हरित हाइड्रोजन भारत के ऊर्जा भविष्य का एक प्रमुख घटक बन सकता है।

हरित हाइड्रोजन क्या है?

- हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग कर जल के विद्युत-अपघटन (Electrolysis) के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।
- विद्युत-अपघटन की प्रक्रिया जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करती है और इस तरह उत्पादित हाइड्रोजन का उपयोग स्वच्छ एवं नवीकरणीय ईंधन के रूप में किया जा सकता है।
- **उपयोग:**
  - **रासायनिक उद्योग में:** अमोनिया और उर्वरकों का निर्माण।
  - **पेट्रोकेमिकल उद्योग में:** पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन।
  - इसके अलावा, इसका उपयोग अब इस्पात उद्योग में भी किया जाने लगा है जो अपने प्रदूषणकारी प्रभाव के कारण यूरोप में काफी दबाव में है।

हरित हाइड्रोजन का महत्त्व

- **उत्सर्जन लक्ष्य प्राप्त करना:** भारत के लिये अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution- NDC)) लक्ष्यों को पूरा करने और क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा, पहुँच एवं उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये हरित हाइड्रोजन ऊर्जा महत्त्वपूर्ण है।
  - पेरिस जलवायु समझौते के तहत भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2030 तक वर्ष 2005 के स्तर से 33-35% तक कम करने का संकल्प लिया है। हरित हाइड्रोजन स्वच्छ ऊर्जा की ओर भारत के संक्रमण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है और इस प्रकार जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने में सहयोग दे सकता है।

नोट :

- **ऊर्जा भंडारण और गतिशीलता:** हरित हाइड्रोजन एक ऊर्जा भंडारण विकल्प के रूप में कार्य कर सकता है, जो भविष्य में नवीकरणीय ऊर्जा की आंतरायिकता (Intermittencies) को पूरा करने के लिये आवश्यक होगा।
- गतिशीलता (Mobility) के संदर्भ में, शहरों एवं राज्यों के भीतर शहरी माल ढुलाई के लिये या यात्रियों के लिये लंबी दूरी के परिवहन के लिये रेलवे, बड़े जहाज़ों, बसों, ट्रकों आदि में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है।
- **आयात निर्भरता को कम करना:** यह जीवाश्म ईंधन पर भारत की आयात निर्भरता को कम करेगा। इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन का स्थानीयकरण और हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं के विकास से भारत में 18-20 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का एक नया हरित प्रौद्योगिकी बाज़ार उभर सकता है तथा इससे हज़ारों रोज़गार अवसर सृजित हो सकते हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित प्रमुख चुनौतियाँ

- **उच्च उत्पादन लागत:** वर्तमान में जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन अधिक महँगा है।
  - ऐसा इसलिये है क्योंकि विद्युत-अपघटन की प्रक्रिया (जिसका उपयोग हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने के लिये किया जाता है) के लिये बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है और भारत में नवीकरणीय बिजली की लागत अभी भी अपेक्षाकृत अधिक है।
- **अवसंरचना की कमी:** वर्तमान में भारत में हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण और वितरण के लिये अवसंरचना की कमी है।
  - इसमें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों और हाइड्रोजन के परिवहन के लिये पाइपलाइनों की कमी भी शामिल है।
- **सीमित अभिग्रहण:** हरित हाइड्रोजन के संभावित लाभों के बावजूद, वर्तमान में भारत में इस प्रौद्योगिकी को सीमित रूप से ही अपनाया जा रहा है।
  - आम लोगों के बीच हरित हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता एवं समझ की कमी के साथ-साथ इस प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ने के लिये व्यवसायों के लिये प्रोत्साहन की कमी के कारण यह स्थिति है।
- **आर्थिक संवहनीयता:** व्यावसायिक रूप से हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिये हरित हाइड्रोजन का निष्कर्षण उद्योग के समक्ष विद्यमान सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है।
  - परिवहन फ्यूल सेल के लिये, हाइड्रोजन को प्रति मील आधार पर पारंपरिक ईंधन एवं प्रौद्योगिकियों के साथ लागत-प्रतिस्पर्द्धी होना चाहिये।

आगे की राह

- **नवीकरणीय बिजली सृजन की क्षमता बढ़ाना:** हरित हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को कम करने के लिये भारत में नवीकरणीय बिजली सृजन की क्षमता को बढ़ाना आवश्यक है।
  - ऐसा सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विस्तार के माध्यम से किया जा सकता है।
- **हाइड्रोजन अवसंरचना का विकास:** हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, भंडारण एवं वितरण के लिये अवसंरचना विकसित करने की आवश्यकता है ताकि इस प्रौद्योगिकी को और अधिक सुलभ बनाया जा सके। इसमें हाइड्रोजन के परिवहन के लिये पाइपलाइनों का निर्माण और हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशनों की स्थापना करना शामिल है।
- **विनियामक प्रोत्साहन लागू करना:** सरकार इस प्रौद्योगिकी के उत्पादन एवं उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये टैक्स क्रेडिट एवं सब्सिडी जैसे विनियामक प्रोत्साहनों को लागू करके हरित हाइड्रोजन के अभिग्रहण को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
- **हरित हाइड्रोजन के बारे में जागरूकता एवं समझ का प्रसार करना:** आम लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन के लाभों और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में इसकी भूमिका के बारे में शिक्षित करना महत्त्वपूर्ण है।
  - जन जागरूकता अभियानों और शैक्षिक पहलों के माध्यम से इस उद्देश्य को आगे बढ़ाया जा सकता है।

एक सतत् भविष्य के लिये वनों का संरक्षण

भारत में वन क्षेत्र देश के कुल भूमि क्षेत्र (वृक्ष आवरण सहित) के लगभग 24.62% को कवर करते हैं और विश्व के कुछ सर्वाधिक जैव विविधता वाले वन क्षेत्रों में शामिल हैं। वे कई महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे मृदा कटाव से संरक्षण, जल चक्र को विनियमित करना और विभिन्न प्रकार के पादपों एवं जंतु प्रजातियों के लिये आवास प्रदान करना।

लेकिन भारत में वन अवैध कटाई, खनन और कृषि एवं शहरी विकास के लिये भूमि रूपांतरण जैसी विभिन्न गतिविधियों से एक खतरे का भी सामना कर रहे हैं।

भारत सरकार ने वनों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिये संरक्षित क्षेत्रों के निर्माण और सतत् वन प्रबंधन अभ्यासों को बढ़ावा देने जैसे कई कदम उठाये हैं।

हालाँकि, इन महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्रों के दीर्घकालिक अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिये और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

नोट :

भारत के लिये वनों का महत्त्व

- **पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ:** भारत में वन महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएँ प्रदान करते हैं, जैसे जल विनियमन, मृदा संरक्षण और कार्बन प्रच्छादन (carbon sequestration)।
  - उदाहरण के लिये, पश्चिमी घाट के वन दक्षिणी राज्यों के जल चक्र को विनियमित करने और मृदा कटाव से बचाव में मदद करते हैं।
- **जैव विविधता का केंद्र:** भारत विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई केवल भारत के वनों में पाए जाते हैं।
  - उदाहरण के लिये, बंगाल की खाड़ी में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन रॉयल बंगाल टाइगर का घर है।
- **आर्थिक मूल्य:** भारत के वन इमारती लकड़ी, गैर-इमारती वन उत्पाद और पर्यटन सहित कई प्रकार के आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं।
  - उदाहरण के लिये, पूर्वोत्तर भारत के बाँस वन स्थानीय समुदायों के लिये आजीविका का एक प्रमुख स्रोत हैं, जबकि देश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं।
- **सांस्कृतिक मूल्य:** भारत के वनों का विभिन्न समुदायों के लिये उल्लेखनीय सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक मूल्य भी है, जो अपनी आजीविका एवं सांस्कृतिक प्रथाओं के लिये उन पर निर्भर हैं।
  - उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश की गोंड जनजाति।

भारत में वनों से संबद्ध प्रमुख मुद्दे:

- **वनों की कटाई और भूमि का क्षरण:** भारत में वन अवैध कटाई, खनन और कृषि एवं शहरी विकास के लिये भूमि रूपांतरण जैसी विभिन्न गतिविधियों से खतरे का सामना कर रहे हैं।
  - इससे वनों की कटाई और भूमि के क्षरण की स्थिति बनी है, जिसका पर्यावरण पर तथा उन समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है जो अपनी आजीविका के लिये वनों पर निर्भर हैं।
- **जैव विविधता की हानि:** वनों की कटाई और वनों को क्षति पहुँचाने वाली अन्य गतिविधियाँ जैव विविधता को भी क्षति पहुँचाती हैं , क्योंकि पादप एवं जंतु प्रजातियाँ अपने प्राकृतिक पर्यावास में अस्तित्व बनाए रखने में असमर्थ हो जाती हैं।
  - इसका समग्र रूप से पारिस्थितिकी तंत्र पर और साथ ही इन प्रजातियों पर निर्भर समुदायों की सांस्कृतिक प्रथाओं पर संचयी प्रभाव पड़ सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन:** जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न वन व्यवधान (जिनमें कीट प्रकोप, जलवायु प्रेरित प्रवासन के कारण आक्रामक प्रजातियों का आगमन, वनाग्नि एवं तूफान आदि शामिल हैं) के कारण वन उत्पादकता में कमी आती है और प्रजातियों के वितरण में परिवर्तन आता है।
  - वर्ष 2030 तक भारत में 45-64% वन जलवायु परिवर्तन और बढ़ते तापमान के प्रभावों का अनुभव कर रहे होंगे।
- **सिकुड़ता वन आवरण:** भारत की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार, पारिस्थितिक स्थिरता बनाए रखने के लिये आदर्श रूप से कुल भौगोलिक क्षेत्र का कम से कम 33% वन क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिये।
  - लेकिन यह वर्तमान में देश की केवल 24.62% भूमि को ही कवर करता है और तेज़ी से सिकुड़ रहा है।
- **संसाधन तक पहुँच के लिये संघर्ष:** स्थानीय समुदायों के हितों और व्यावसायिक हितों (जैसे फार्मास्यूटिकल उद्योग या लकड़ी उद्योग) के बीच प्राय: संघर्ष की स्थिति बनती है। इससे सामाजिक तनाव और यहाँ तक कि हिंसा की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि विभिन्न समूह वन संसाधनों तक पहुँच एवं उनके उपयोग के लिये संघर्षरत होते हैं।
- **वन संरक्षण के लिये सरकार की प्रमुख पहलें**
  - वन संरक्षण अधिनियम, 1980
  - राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
  - अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

आगे की राह:

- **समुदाय-प्रबंधित वन:** समुदाय-प्रबंधित वनों का एक नेटवर्क विकसित करना, जहाँ स्थानीय समुदायों को उनके स्थानीय वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन की ज़िम्मेदारी दी जाती है।
  - यह स्थानीय लोगों को सशक्त बनाने और वनों के संरक्षण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सकने में मदद कर सकता है।
  - समुदायों के साथ प्रत्यक्षत: संलग्न होकर अनौपचारिक वन अर्थव्यवस्था को व्यावसायिक लेन-देन में रूपांतरित किया जा सकता है जो निष्पक्ष एवं पारदर्शी होगा और भारत के वनों की स्थायी सुरक्षा, प्रबंधन एवं पुनरुद्धार को प्रोत्साहित करेगा।
- **चयनात्मक कटाई और पुनर्वनीकरण:** चयनात्मक कटाई (selective logging) और पुनर्वनीकरण (reforestation) जैसी संवहनीय वानिकी प्रथाओं को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो कि वनों का प्रबंधन इस तरह से हो इनके पारिस्थितिक मूल्य को संरक्षित करे।

नोट :

- **संरक्षण के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग:** रिमोट सेंसिंग एवं GIS जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग वन आवरण की निगरानी करने, वनाग्नि पर नज़र रखने और संरक्षण की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिये किया जा सकता है।
  - इसके अलावा, गैर-अन्वेषित वन क्षेत्रों का संभावित संसाधन मानचित्रण किया जा सकता है और उनके घनत्व एवं स्वास्थ्य को बनाए रखते हुए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंधन एवं संवहनीय संसाधन निष्कर्षण के तहत लाया जा सकता है।
- **समर्पित वन गलियारे:** वन्यजीवों के सुरक्षित अंतरा-राज्यीय एवं अंतर-राज्यीय पारगमन के लिये तथा उनके पर्यावास को किसी भी बाह्य प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिये समर्पित वन गलियारे (Dedicated Forest Corridors) स्थापित किये जा सकते हैं जो शांतिपूर्ण-सह-अस्तित्व का संदेश देंगे।
- **वन-आधारित उत्पादों को चिह्नित करना:** वन-आधारित उत्पादों के महत्त्व को चिह्नित करना आवश्यक है। वन समुदायों को वन उत्पादों (जैसे साल के बीज, महुआ के फूल या तेंदू के पत्ते) का अच्छा मूल्य प्राप्त होगा तो वे वनाग्नि एवं अन्य खतरों से वनों की रक्षा करने के लिये स्वप्रेरित होंगे। इसके साथ ही कार्बन प्रच्छादन के रूप में एक सह-लाभ भी प्राप्त होगा।

प्राकृतिक कृषि के माध्यम से भारतीय कृषि में क्रांति

संदर्भ

'नेचुरल फार्मिंग' (Natural farming) या प्राकृतिक कृषि कृषि की एक विधि है जो सिंथेटिक इनपुट के बजाय प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। इसने फसल की पैदावार बढ़ाने और कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के एक तरीके के रूप में भारत में हाल में लोकप्रियता पाई है।

- हालाँकि ऐसी कई चुनौतियाँ मौजूद हैं जिनका भारत में प्राकृतिक कृषि के कृषकों को सामना करना पड़ रहा है, जैसे सीमित बाज़ार, आसानी से उपलब्ध प्राकृतिक आदानों (इनपुट्स) की कमी और जलवायु परिवर्तन के कारण पैदावार में गिरावट।
- परिणामस्वरूप, इन चुनौतियों की सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य से संवीक्षा करना और प्राकृतिक कृषि को एक ऐसी खाद्य उत्पादन विधि के रूप में बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है जो पर्यावरण के अनुकूल है तथा भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करता है।

प्राकृतिक कृषि क्या है?

- प्राकृतिक कृषि कृषि की एक विधि है जो एक ऐसे संतुलित और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने का प्रयास करती है जिसमें सिंथेटिक रसायनों या आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों (Genetically Modified Organisms-GMO) के उपयोग के बिना फसलें उगाई जा सकती हैं।
  - सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों जैसे कृत्रिम आदानों पर निर्भर रहने के बजाय, प्राकृतिक कृषि से संलग्न कृषक मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने और फसल की वृद्धि को समर्थन देने के लिये फसल चक्र (Crop Rotation), अंतर-फसल (Intercropping) और कंपोस्टिंग (Composting) जैसी तकनीकों पर भरोसा करते हैं।
- प्राकृतिक कृषि की विधियाँ प्राय: पारंपरिक ज्ञान एवं अभ्यासों पर आधारित होती हैं और इन्हें स्थानीय परिस्थितियों एवं संसाधनों के अनुकूल बनाया जा सकता है।
  - प्राकृतिक कृषि का लक्ष्य इस प्रकार से स्वस्थ एवं पौष्टिक खाद्य का उत्पादन करना है जो संवहनीय और पर्यावरण के अनुकूल हो।

प्राकृतिक कृषि का महत्त्व

- **खाद्य एवं पोषण सुरक्षा:** प्राकृतिक कृषि भारत में समुदायों के लिये खाद्य सुरक्षा की स्थिति में सुधार लाने में मदद कर सकती है, विशेष रूप से छोटे स्तर के किसानों के लिये, जो आधुनिक आदानों तक आसान पहुँच नहीं रखते या इसका व्यय वहन करने में सक्षम नहीं होते।
  - प्राकृतिक तकनीकों पर भरोसा करके किसान उच्च लागत का वहन किये बिना स्वस्थ, पौष्टिक खाद्य का उत्पादन कर सकते हैं।
- **पर्यावरणीय लाभ:** प्राकृतिक कृषि के कई सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, जैसे जल प्रदूषण, मृदा क्षरण और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के स्तर में कमी।
  - यह विभिन्न प्रकार की फसलों और अन्य पौधों के विकास का समर्थन कर जैव विविधता को संरक्षित करने में भी मदद कर सकता है।
- **सतत् कृषि:** प्राकृतिक कृषि कृषि के प्रति एक सतत् या संवहनीय दृष्टिकोण है जो प्राकृतिक संसाधनों में कमी लाने के बजाय उन्हें संरक्षित करने और बढ़ाने का प्रयास करती है।
  - यह भारत जैसे देश में विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण साबित हो सकती है, जहाँ जनसंख्या में वृद्धि अपेक्षित है और भविष्य में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव में और वृद्धि होगी।
- **आर्थिक लाभ:** प्राकृतिक कृषि लागत में कमी, जोखिम में कमी, समान पैदावार और अंतर-फसल से आय की प्राप्ति के दृष्टिकोण से किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि करके कृषि को व्यवहार्य एवं आकांक्षी बना सकती है।

नोट :

प्राकृतिक कृषि से संलग्न प्रमुख मुद्दे

- **मौसम और जलवायु:** प्राकृतिक कृषि की विधियाँ मौसम और जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती हैं, क्योंकि वे फसल वृद्धि को बढ़ावा देने के लिये सिंथेटिक इनपुट पर निर्भर नहीं होती हैं। यह भारत में किसानों के लिये चुनौतीपूर्ण सिद्ध हो सकती है जहाँ अप्रत्याशित जलवायु परिदृश्य उत्पन्न हो सकता है।
- **कीटों और रोगों का खतरा:** प्राकृतिक कृषि के कृषक पारंपरिक किसानों (जो इन समस्याओं के उपचार के लिये सिंथेटिक रसायनों का उपयोग करते हैं) की तुलना में कीटों और रोगों को नियंत्रित करने में अधिक कठिनाई का सामना कर सकते हैं।
  - यह प्राकृतिक कृषि को अधिक जोखिमपूर्ण और चुनौतीपूर्ण बना सकता है। उदाहरण के लिये, प्राकृतिक कृषि से संबद्ध किसान कीटनाशकों के उपयोग के बिना कीट संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये संघर्ष कर सकता है, जिससे फिर फसल की हानि तथा वित्तीय कठिनाई की स्थिति बन सकती है।
- **सीमित संसाधन और समय की पाबंदी:** पारंपरिक कृषि की विधियों की तुलना में प्राकृतिक कृषि में प्राय: अधिक श्रम और अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है।
  - उदाहरण के लिये, प्राकृतिक किसानों को कंपोस्टिंग, फसल चक्र और अंतर-फसल जैसे कार्यों पर अधिक समय एवं प्रयास का निवेश करना पड़ सकता है। यह भारत में किसानों के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो पहले से ही दबाव का सामना कर रहे हैं और उनके पास इन कार्यों के लिये समर्पित समय या जनशक्ति का अभाव हो सकता है।

भारत में कृषि से जुड़ी अन्य प्रमुख चुनौतियाँ

- **सिंचाई सुविधा का अभाव:** राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सकल फसली क्षेत्र (GCA) का मात्र 52% ही सिंचित है। स्वतंत्रता के बाद से भारत ने महत्त्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद फसल रोपण के लिये मानसून पर भारी निर्भरता बनी हुई है।
- **कृषि विविधीकरण का अभाव:** भारत में कृषि के तेज़ी से वाणिज्यीकरण के बावजूद अधिकांश किसान अनाज को ही मुख्य फसल के रूप में देखते हैं (अनाज के पक्ष में न्यूनतम समर्थन मूल्य के झुके होने के कारण) और फसल विविधीकरण की उपेक्षा करते हैं।

सतत् कृषि से संबंधित हाल की सरकारी पहलें

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये जैविक मूल्य शृंखला विकास मिशन (MOVCDNER)
- राष्ट्रीय सतत् कृषि मिशन
- परंपरागत कृषि विकास योजना (PKVY)
- कृषि वानिकी पर उप-मिशन (SMAF)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

आगे की राह

- **किसान प्रशिक्षण केंद्र:** भारत में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का एक तरीका यह होगा कि किसानों को प्राकृतिक कृषि की तकनीकों और इससे संबद्ध के लाभों के बारे में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
  - यह विस्तार कार्यक्रमों और स्थानीय स्तर पर किसान प्रशिक्षण केंद्र के निर्माण के माध्यम से किया जा सकता है।
- **प्राकृतिक कृषि को वित्तीय प्रोत्साहन:** सरकार प्राकृतिक विधियों को अपनाने वाले किसानों को अनुदान या सब्सिडी जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर भारत में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने मंर अहम भूमिका निभा सकती है।
  - सरकार प्राकृतिक कृषि तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिये विनियमनों या मानकों की भी स्थापना कर सकती है।
- **प्राकृतिक कृषि को CSR से जोड़ना:** निजी क्षेत्र कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों, प्राकृतिक कृषि परियोजनाओं में निवेश और प्राकृतिक कृषि संगठनों के साथ साझेदारी जैसी पहलों के माध्यम से भारत में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है।
- **एक ज़िला एक प्राकृतिक उत्पाद मेला:** किसान मंडी और समुदाय-समर्थित कृषि कार्यक्रमों जैसे स्थानीय एवं संवहनीय खाद्य प्रणालियों के विकास को प्रोत्साहन देने से प्राकृतिक रूप से उगाए गए उत्पादों की मांग के सृजन के साथ भारत में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है।
  - इसके साथ ही, प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने और इन्हें स्वयं में एक ब्रांड के रूप में विकसित करने के लिये राज्य स्तर पर 'एक ज़िला एक प्राकृतिक उत्पाद मेला' का आयोजन किया जा सकता है।
- **अनुसंधान एवं विकास:** प्राकृतिक कृषि तकनीकों में सुधार के लिये और उनकी प्रभावशीलता को प्रदर्शित करने के लिये अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने से भारत में प्राकृतिक कृषि को अपनाने की दर में वृद्धि लाई जा सकती है।
  - इसके तहत, सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक उर्वरक, सबसे प्रभावी कीट नियंत्रण विधियों और सबसे अधिक उत्पादक फसल चक्र जैसे विषयों पर अनुसंधान करना शामिल हो सकता है।

नोट :

जेनरेटिव AI: अनुप्रयोग एवं चुनौतियाँ

संदर्भ

'जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' (Generative Artificial Intelligence) या 'उत्पादक कृत्रिम बुद्धिमत्ता' एक तेज़ी से विकसित हो रहा क्षेत्र है जिसमें हमारे द्वारा प्रौद्योगिकी के सृजन एवं उससे अंत:क्रिया के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता निहित है। नए डेटा या कंटेंट के सृजन की क्षमता के साथ जेनरेटिव AI मनोरंजन से लेकर वित्त तक विभिन्न प्रकार के उद्योगों में व्यापक अनुप्रयोगों की संभावना रखता है।

- जबकि जेनरेटिव AI में विभिन्न उद्योगों और अनुप्रयोगों में दक्षता एवं उत्पादकता को सक्षम करने की क्षमता है, यह दुरुपयोग, स्थायी पूर्वाग्रह, बहिष्करण एवं भेदभाव के रूप में समाज के लिये हानिकर भी हो सकता है और प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है।
- इस परिदृश्य में, तकनीकी क्षेत्र में इसे शामिल किये जाने से पहले जेनरेटिव AI के गुण-दोषों पर विचार कर लेना प्रासंगिक होगा।

जेनरेटिव AI क्या है?

- जेनरेटिव AI एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता है जिसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करके नए, मूल कंटेंट या डेटा का सृजन करना शामिल है।
  - इसका उपयोग टेक्स्ट, इमेज़, संगीत या अन्य प्रकार के मीडिया के सृजन के लिये किया जा सकता है।
- जेनरेटिव AI एक बड़े डेटासेट पर एक मॉडल को प्रशिक्षित करने और फिर उस मॉडल का उपयोग ऐसे प्रशिक्षण डेटा जैसे नए, अब तक अनदेखे कंटेंट के सृजन करने के रूप में कार्य करता है।
  - यह न्यूरल मशीन अनुवाद (Neural Machine Translation), छवि निर्माण और संगीत निर्माण जैसी तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है ।
- जेनरेटिव AI में कंटेंट के सृजन को स्वचालित करके और नए विचारों एवं अवधारणाओं का निर्माण कर विभिन्न उद्योगों में क्रांति लाने की क्षमता है।

जेनरेटिव AI के अनुप्रयोग

- **कंप्यूटर ग्राफिक्स:** जेनरेटिव AI का उपयोग वास्तविक छवियों और एनिमेशन के निर्माण के लिये किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, शोधकर्ताओं ने चेहरों एवं पशुओं की फोटोरियलिस्टिक छवियाँ बनाने और वास्तविक समय में आभासी पात्रों को एनिमेट करने के लिये जेनरेटिव मॉडल का उपयोग किया है।
- **संगीत और कला:** संगीत और कला के सृजन के लिये जेनरेटिव AI का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, शोधकर्ताओं ने संगीत के नए अंशों के निर्माण के लिये जेनरेटिव मॉडल का उपयोग किया है जो चयनित कलाकार की ही शैली के समान है।
  - इसके साथ ही, कई स्टार्ट-अप कंपनियों द्वारा अपने ब्रांड लोगो के निर्माण के लिये और इसे जेनरेटिव AI टेक्स्ट मैसेजिंग के साथ संरेखित करने के लिये DALL.E2, बिंग इमेज़ क्रिएट, स्टेबल डिफ्यूजन और मिड-जर्नी जैसी सेवाओं की मदद ली गई है।
- **भाषा और कंटेंट:** जेनरेटिव AI का उपयोग नैसर्गिक भाषा पाठ्य (टेक्स्ट) के सृजन के लिये किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, शोधकर्ता समाचार लेख, कविता और यहाँ तक कि कोड के सृजन के लिये 'ChatGPT' का उपयोग कर रहे हैं।
  - इन मॉडलों को एक विशिष्ट लेखन शैली का उपयोग करने के लिये या किसी विशिष्ट विषय या थीम के आधार पर टेक्स्ट के सृजन के लिये अनुकूल बनाया जा सकता है।
- **उपचार और दवा खोज:** AI के सहयोग से दवा खोज में दवा खोज प्रक्रिया को उल्लेखनीय रूप से तेज़ करने की क्षमता है।
  - जेनरेटिव AI मॉडल का उपयोग नए यौगिकों के गुणों का अनुमान लगाने और दवाओं के रूप में उनकी संभावित प्रभावकारिता का आकलन करने के लिये किया जा सकता है।
- **रोबोटिक्स:** रोबोटिक प्रणाली को डिज़ाइन एवं नियंत्रित करने के लिये जेनरेटिव AI का उपयोग किया जा सकता है। रोबोट के व्यवहार का अनुकरण करने के लिये और रोबोट को एक विशिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाने वाले नियंत्रण निर्देशों के निर्माण के लिये जेनरेटिव मॉडल का उपयोग किया जा सकता है ।

जेनरेटिव AI से संबद्ध मुद्दे

- **रोज़गार विस्थापन:** जेनरेटिव AI में रोज़गार विस्थापन और रोज़गार हानि की ओर ले जाने की क्षमता है। उदाहरण के लिये, जेनरेटिव AI मॉडल का उपयोग उन कार्यों को स्वचालित करने के लिये किया जा सकता है जो पहले मनुष्यों द्वारा किये जाते थे, जैसे कि समाचार लेखन या संगीत रचना।
  - जबकि इससे दक्षता और लागत बचत में वृद्धि हो सकती है, इससे उन लोगों के लिये रोज़गार अवसर की हानि की स्थिति बन सकती है जो इन कार्यों से संलग्न रहे थे।
- **मानव अनुभूति या संज्ञानात्मकता में कमी आना:** जेनरेटिव AI मानव अनुभूति की आवश्यकता को कम कर सकता है, क्योंकि ये मॉडल ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें अन्यथा मानव बुद्धि की आवश्यकता होगी।

नोट :

- इससे लोगों की समग्र संज्ञानात्मक क्षमताओं में कमी आ सकती है, विशेष रूप से छोटे बच्चे जो AI को अपना होमवर्क करने के लिये एक मित्र के रूप में देखेंगे। नतीजतन, लोग विभिन्न कार्यों को करने के लिये अपनी क्षमताओं पर कम और प्रौद्योगिकी पर अधिक भरोसा करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं।

- **सामाजिक पूर्वाग्रह:** यह अपने प्रशिक्षक या प्रोग्रामर के अंदर मौजूद सामाजिक पूर्वाग्रहों की प्रतिकृति को भी जन्म दे सकता है; इससे हाशिये पर रहने वाले समूहों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और उनसे भेदभाव बढ़ सकता है।
- **भ्रामक सूचना और संदेह:** जेनरेटिव AI छद्म पाठ्य, भाषण, छवि या वीडियो के सृजन द्वारा सूचनाओं में हेरफेर की ओर ले जा सकता है, जिनका उपयोग लोगों को धोखा देने के लिये किया जा सकता है। इससे आगे और भ्रामक सूचना एवं संदेह की स्थिति बन सकती है।
- **शक्ति संकेंद्रण की क्षमता:** एक चिंता यह भी है कि जेनरेटिव AI के सर्वप्रमुख बनने के बाद इन मॉडलों का विकास एवं अनुप्रयोग कुछ बड़ी कंपनियों और देशों में केंद्रित हो जाएगा, जिससे शक्ति संकेंद्रण एवं दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाएगी।

आगे की राह

- **पारदर्शिता:** जेनरेटिव AI मॉडल के आंतरिक कार्यकरण को और अधिक पारदर्शी बनाने के तरीके विकसित करना ताकि लोग समझ सकें कि मॉडल किस प्रकार और क्यों कोई विशेष निर्णय ले रहा है।
  - इसमें कोई विशिष्ट आउटपुट सृजित किये जाने या मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिये उपयोग किये गए डेटा के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिये स्पष्टीकरण प्रदान करना शामिल हो सकता है।
  - इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि जेनरेटिव AI मॉडल सामाजिक पूर्वाग्रहों को स्थायी नहीं बनाये या इनका विस्तार नहीं करे। इसमें पूर्वाग्रह को कम करने के लिये विविध प्रशिक्षण डेटा के साथ-साथ निष्पक्षता बाधाओं (Fairness Constraints) या प्रतिकूल प्रशिक्षण (Adversarial Training) जैसी तकनीकों का उपयोग करना शामिल हो सकता है।
- **उत्तरदायित्व:** जेनरेटिव AI मॉडल के कार्यों के लिये व्यक्तियों, संगठनों या सरकारी संस्थाओं को उत्तरदायी बनाने के लिये तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।
  - इसमें उस संगठन में एक नाम-निर्दिष्ट 'AI नैतिकतावादी' या 'AI लोकपाल' को नियुक्त करना शामिल हो सकता है जो मॉडल के लिये ज़िम्मेदार होगा अथवा एक नियामक निकाय का गठन किया जा सकता है जो जेनरेटिव AI के विकास एवं परिनियोजन की देखरेख करे।
- **गोपनीयता बनाए रखना:** उन व्यक्तियों की गोपनीयता की रक्षा करना जिनके डेटा का उपयोग जेनरेटिव AI मॉडल को प्रशिक्षित करने और परीक्षण करने के लिये किया जाता है।
  - इसमें सख्त डेटा प्रबंधन और भंडारण अभ्यासों को लागू करने के साथ-साथ प्रशिक्षण डेटा से संवेदनशील सूचना को हटाने के लिये तकनीक विकसित करना शामिल हो सकता है।
- **मानव नियंत्रण:** ऐसे डिज़ाइनिंग तंत्रों का निर्माण करना जिसमें जेनरेटिव AI प्रक्रिया में प्रमुख बिंदुओं पर मानव निरीक्षण एवं निर्णयन लेने को शामिल किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मॉडल अपनी तय मंशा के अनुसार ही व्यवहार कर रहा है और किसी भी अनपेक्षित परिणाम को तुरंत चिह्नित कर संबोधित किया जा सके।
  - इसके अलावा, निर्णय लेने की प्रक्रिया में मानव और AI के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना जहाँ AI को एक समर्थन प्रणाली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है जबकि मानव अंतिम निर्णय लेता हो। यह मानव को परिणाम पर नियंत्रणकारी शक्ति के रूप में बनाए रख सकेगा।
- **संभावित परिणामों को विचार करना:** जेनरेटिव AI मॉडल के संभावित परिणामों (अपेक्षित एवं अनपेक्षित दोनों) का लगातार मूल्यांकन करना और किसी भी नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिये आवश्यकतानुसार समायोजन करना आवश्यक है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की स्थिति

संदर्भ

भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली जटिल और बहुआयामी है, जहाँ सरकारी और निजी दोनों ही सुविधाएँ देश की 1.3 बिलियन से अधिक आबादी को चिकित्सा सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।

- सरकार ने देश की ग्रामीण आबादी के लिये स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच में सुधार के लिये कई पहलों की शुरुआत की है, जैसे 'आयुष्मान भारत' योजना, जिसका उद्देश्य 500 मिलियन से अधिक लोगों को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना है।
- हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति के बावजूद, स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अभी भी कई चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसमें अपर्याप्त वित्तपोषण, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी और अपर्याप्त आधारभूत संरचना शामिल हैं।

नोट :

- यह महत्त्वपूर्ण है कि भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए और सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों ही इन चुनौतियों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि भारत के नागरिकों की अच्छी स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित हो सके।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की क्षमता

- भारत का प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ इसमें निहित है कि इसके पास सुप्रशिक्षित चिकित्सा पेशेवरों का एक विशाल समूह मौजूद है।
  - भारत एशिया और पश्चिम के समकक्ष देशों की तुलना में लागत प्रतिस्पर्द्धी भी है। भारत में सर्जरी की लागत अमेरिका या पश्चिमी यूरोप की तुलना में लगभग दसवें भाग तक कम है।
- एक बड़ी आबादी, एक सुदृढ़ फार्मा क्षेत्र एवं चिकित्सा आपूर्ति शृंखला, 750 मिलियन से अधिक स्मार्टफोन उपयोगकर्ता, वेंचर कैपिटल फंड तक आसान पहुँच के साथ विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा स्टार्ट-अप पूल तथा वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल समस्याओं के समाधान पर केंद्रित नवोन्मेषी टेक उद्यमियों के साथ भारत के पास वे सभी आवश्यक घटक मौजूद हैं जो इस क्षेत्र की घातीय वृद्धि में योगदान कर सकते हैं।
- उत्पाद विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिये भारत में चिकित्सा उपकरणों की तीव्रता से क्लिनिकल टेस्टिंग के लिये लगभग 50 क्लस्टर स्थापित होंगे।
- वर्ष 2021 तक की स्थिति के अनुसार, भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र भारत के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक था जिसने कुल 4.7 मिलियन लोगों को रोज़गार प्रदान करता है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2017-22 के मध्य भारत में 2.7 मिलियन अतिरिक्त नौकरियाँ (प्रति वर्ष 500,000 से अधिक नई नौकरियाँ) सृजित की।

भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबद्ध प्रमुख समस्याएँ

- **अपर्याप्त चिकित्सा अवसंरचना:** भारत में अस्पतालों की कमी है (विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में) और कई मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में बुनियादी उपकरणों एवं संसाधनों की कमी है।
  - 'नेशनल हेल्थ प्रोफाइल' के अनुसार, भारत में प्रति 1000 जनसंख्या पर केवल 0.9 बेड उपलब्ध हैं और इनमें से केवल 30% ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध हैं।
- **गुणवत्तापूर्ण देखभाल के मानकीकरण का अभाव:** भारत में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता में व्याप्त भिन्नता भी है (ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त सुविधाएँ एवं संसाधन) और कमज़ोर विनियमन के कारण कुछ निजी स्वास्थ्य सुविधाओं में खराब देखभाल सेवा प्रदान की जाती है।
- **गैर-संचारी रोग:** मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की उच्च दर के साथ भारत में सभी मौतों में से 60% से अधिक के लिये गैर-संचारी रोग (Non-communicable diseases- NCDs) ज़िम्मेदार हैं।
  - इसके परिणामस्वरूप वहनीयता संबंधी चिंताएँ भी उत्पन्न होती हैं और गरीब लोग अधिक असुरक्षित होते हैं।
- **पर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य देखभाल का अभाव:** भारत में प्रति व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की संख्या सबसे कम है।
  - मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का व्यय भी अत्यंत कम है। इसके परिणामस्वरूप खराब मानसिक स्वास्थ्य परिणाम और मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों की अपर्याप्त देखभाल की स्थिति बनी है।
- **चिकित्सक-रोगी अनुपात में अंतराल:** सबसे गंभीर चिंताओं में से एक है चिकित्सक-रोगी अनुपात में अंतराल। 'इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ' के अनुसार भारत को वर्ष 2030 तक 20 लाख चिकित्सकों की आवश्यकता होगी।
  - वर्तमान में सरकारी अस्पतालों में 11000 से अधिक रोगियों पर एक चिकित्सक की सेवा उपलब्ध है जो 1:1000 की WHO की अनुशंसा से पर्याप्त कम है।

स्वास्थ्य सेवा से संबंधित हाल की सरकारी पहलें

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
- आयुष्मान भारत
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)
- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग
- प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)

आगे की राह

- **आधारभूत संरचना और मानव संसाधन में सुधार लाना:** नई स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण और मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के साथ-साथ चिकित्सा अनुसंधान एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वित्तपोषण (जो वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% है) में वृद्धि की आवश्यकता है।
  - इसके साथ ही स्वास्थ्यकर्मियों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके अंतर्गत मेडिकल स्कूलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है, साथ ही स्वास्थ्य पेशेवरों को सेवा की कमी वाले क्षेत्रों में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन की पेशकश करना भी शामिल है।

नोट :

- **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच:** निर्धनों, अनुसूचित जाति के सदस्यों और विशेष रूप से महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने के साथ-साथ इन समुदायों को स्वास्थ्य सेवा के बारे में शिक्षा एवं जानकारी प्रदान करने के लिये लक्षित कार्यक्रमों को समयबद्ध रूप से लागू करने की आवश्यकता है।
  - इसके साथ ही, विनियमनों को प्रवर्तित करने, गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को लागू करने, पारदर्शिता बढ़ाने और स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रमों की लेखापरीक्षा करने की भी आवश्यकता है।
- **मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार:** इसमें मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये वित्तपोषण में वृद्धि, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों को बेहतर ढंग से संबोधित करने के लिये स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना और मानसिक रोगों से जुड़े सामाजिक कलंक को समाप्त करना शामिल है।
- स्वास्थ्य असमानताओं के मूल कारणों को संबोधित करना: स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने और समग्र स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिये शिक्षा, आवास एवं स्वच्छता जैसे अन्य क्षेत्रों के साथ समन्वय में काम करना चाहिये।
- **सतत् स्वास्थ्य प्रशासन:** इसमें बेहतर प्रबंधन प्रणाली को लागू करना, स्वास्थ्य देखभाल नियामक निकायों को सुदृढ़ करना और अधिक प्रभावी एवं कुशल स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिये स्वतंत्र निरीक्षण तंत्र स्थापित करना शामिल हो सकता है।
  - हाल ही में AIIMS दिल्ली पर हुए रैंसमवेयर हमले जैसे साइबर हमले से महत्त्वपूर्ण चिकित्सा अवसंरचना एवं डेटा की सुरक्षा के लिये उपयुक्त साइबर सुरक्षा उपाय भी किये जाने चाहिये।
- **कर कटौती:** अतिरिक्त कर कटौती के साथ अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना आवश्यक है ताकि नई दवा के विकास में अधिक निवेश का समर्थन किया जा सके; साथ ही, जीवन रक्षक एवं आवश्यक दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) को कम किया जाना चाहिये।
- **'वन हेल्थ' दृष्टिकोण की ओर आगे बढ़ना:** इस बात को चिह्नित किये जाने की आवश्यकता है कि मानव स्वास्थ्य पशु स्वास्थ्य और हमारे साझा पर्यावरण से निकटता से संबद्ध है और इसलिये समय की आवश्यकता है कि स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ पशु और स्वस्थ मानव—सबको दायरे में लेती सामूहिक स्वास्थ्य पहलों की ओर आगे बढ़ा जाए।

भारत में गिग इकोनॉमी का उदय

संदर्भ

भारत में 'गिग इकॉनमी' (Gig Economy) से अभिप्राय लोगों द्वारा प्राय: उबर, ओला, स्विगी और ज़ोमैटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से अस्थायी या लचीली प्रकृति की नौकरियों से है। हाल के वर्षों में इस प्रकार के कार्य की लोकप्रियता बढ़ी है क्योंकि यह कर्मियों के लिये अधिक लचीलापन एवं स्वतंत्रता प्रदान करता है और व्यवसायों के लिये एक लागत प्रभावी समाधान हो सकता है।

- हालाँकि, गिग इकॉनमी कर्मियों के लिये नौकरी की सुरक्षा और लाभों की कमी को लेकर चिंताएँ भी मौजूद हैं। अनुमान है कि भारत में भविष्य में गिग इकॉनमी का और विस्तार होगा और इसलिये इसे कर्मियों के अधिकारों की रक्षा और उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करने के लिये सरकारी नियमों एवं नीतियों द्वारा समर्थित होना चाहिये।

गिग इकॉनमी क्या है?

- गिग इकॉनमी एक मुक्त बाज़ार प्रणाली है जिसमें आम रूप से अस्थायी कार्य अवसर मौजूद होते हैं और विभिन्न संगठन अल्पकालिक संलग्नताओं के लिये स्वतंत्र कर्मियों के साथ अनुबंध करते हैं।
  - **'गिग वर्कर':** वह व्यक्ति जो गिग कार्य व्यवस्था में भाग लेता है या कार्य करता है और पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंध के बाहर ऐसी गतिविधियों से आय अर्जित करता है।
- 'बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप' की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के गिग कार्यबल में सॉफ्टवेयर, साझा सेवाओं और पेशेवर सेवाओं जैसे उद्योगों में कार्यरत 15 मिलियन कर्मचारी शामिल हैं।

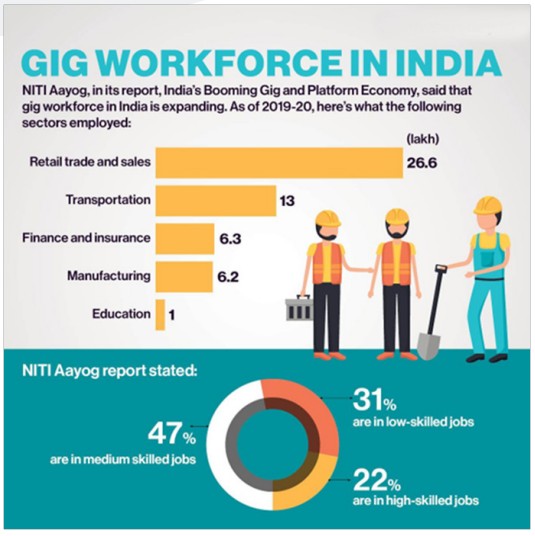

भारत में गिग इकॉनमी के विकास चालक कौन-से हैं?

- **इंटरनेट और मोबाइल प्रौद्योगिकी का उदय:** स्मार्टफोन का व्यापक इस्तेमाल और हाई-स्पीड इंटरनेट की उपलब्धता ने कर्मियों एवं व्यवसायों के लिये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना आसान बना दिया है, जिससे गिग इकॉनमी के विकास में मदद मिली है।
- **आर्थिक उदारीकरण:** भारत सरकार की आर्थिक उदारीकरण संबंधी नीतियों ने प्रतिस्पर्द्धा एवं अधिक खुले बाज़ार को बढ़ावा दिया है, जिसने गिग इकॉनमी के विकास को प्रोत्साहित किया है।
- **लचीले कार्य की बढ़ती मांग:** गिग इकॉनमी भारतीय कामगारों के लिये विशेष रूप से आकर्षक है जो लचीली कार्य व्यवस्था (Flexible Work Arrangements) की मांग रखते हैं जहाँ उन्हें अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को संतुलित करने का अवसर मिलता है।
- **जनसांख्यिकी संबंधी कारक:** गिग इकॉनमी युवा, शिक्षित एवं महत्त्वाकांक्षी भारतीयों की बड़ी और बढ़ती संख्या से भी प्रेरित है, जो अतिरिक्त आय सृजन के साथ अपनी आजीविका में सुधार की इच्छा रखते हैं।
- **ई-कॉमर्स का विकास:** भारत में ई-कॉमर्स के तेज़ी से विकास के कारण डिलीवरी एवं लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में गिग इकॉनमी का विकास हुआ है।

भारत में गिग इकॉनमी से संबद्ध प्रमुख मुद्दे

- **नौकरी और सामाजिक सुरक्षा का अभाव:** भारत में कई तरह के गिग कामगार श्रम संहिता के दायरे में नहीं आते हैं और स्वास्थ्य बीमा एवं सेवानिवृत्ति योजनाओं जैसे लाभों तक उनकी पहुँच नहीं है।
  - इसके अतिरिक्त, गिग कामगारों को प्राय: आघात या बीमारी की स्थिति में पारंपरिक कर्मचारियों के समान उस स्तर की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है।
- **'डिजिटल डिवाइड':** गिग इकॉनमी व्यापक रूप से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एक्सेस पर निर्भर करती है, जो फिर उन लोगों के लिये एक बाधा उत्पन्न करती है जिनके पास इन संसाधनों तक पहुँच नहीं है और यह आय असमानता (income inequality) को और बढ़ा देता है।
- **डेटा की कमी:** भारत में गिग इकॉनमी के संबंध में डेटा और शोध की कमी है जिससे नीति निर्माताओं के लिये इसके आकार, दायरे तथा अर्थव्यवस्था एवं कार्यबल पर इसके प्रभाव को समझना कठिन हो जाता है।
- **कंपनियों द्वारा शोषण:** भारत में गिग कर्मियों को प्राय: पारंपरिक कर्मचारियों की तुलना में कम भुगतान किया जाता है और वे उनकी तरह कानूनी सुरक्षा से भी वंचित होते हैं।
  - कुछ कंपनियाँ देयता (liability) और करों के भुगतान से बचने के लिये गिग कर्मियों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत तरीके से वर्गीकृत कर उनका शोषण कर सकती हैं।
- **सामाजिक अलगाव:** गिग कर्मी पारंपरिक कर्मचारियों के समान सामाजिक संबंध और समर्थन प्रणाली से वंचित हो सकते हैं, क्योंकि वे प्राय: स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और भौतिक कार्यस्थल का अभाव रखते हैं।

आगे की राह

- **स्पष्ट विनियमन:** भारत सरकार को गिग इकॉनमी के लिये स्पष्ट विनियम एवं नीतियाँ स्थापित करनी चाहिये ताकि गिग कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जा सके।
- **सामाजिक सुरक्षा आवरण:** सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि गिग कर्मियों की पेंशन योजनाओं और स्वास्थ्य बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों तक पहुँच हो ताकि वृद्धि कर्मियों के लिये वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
  - इसके साथ ही, गिग कर्मियों को पारंपरिक कर्मचारियों के ही समान श्रमिक अधिकार प्रदान किये जाने चाहिये जिनमें संगठित होने और संघ का निर्माण करने का अधिकार भी शामिल हो।
- **शिक्षा और प्रशिक्षण:** सरकार को गिग कर्मियों के कौशल में सुधार और उनकी आय अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिये शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिये।
- **निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करना:** सरकार निष्पक्ष व्यापार अभ्यासों को प्रवर्तित कर और ऐसे नियम बनाकर निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित कर सकती है जो कंपनियों द्वारा कर्मियों को स्वतंत्र ठेकेदारों के रूप में गलत रूप से वर्गीकृत किये जाने पर अंकुश लगाए।
  - इसके अलावा, सरकार नए व्यापार मॉडल एवं प्रौद्योगिकियों का सृजन करने वाली कंपनियों को कर प्रोत्साहन, धन और अन्य सहायता प्रदान कर गिग इकॉनमी में नवाचार को प्रोत्साहित कर सकती है।
- **महिला सशक्तिकरण को गिग इकॉनमी से संबद्ध करना:** गिग कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन करने वाले उपयुक्त भौतिक एवं सामाजिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना भी गिग इकॉनमी के विकास में दीर्घकालिक योगदान कर सकेगा।

नोट :

स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

संदर्भ

प्रौद्योगिकी और ई-कॉमर्स पर गंभीरता से ध्यान देने के साथ हाल के वर्षों में भारत का स्टार्ट-अप पारितंत्र तीव्र विकास के पथ पर रहा है। सरकार 'स्टार्ट-अप इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से उद्यमशीलता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और युवा कंपनियों को सहायता प्रदान कर रही है।

- स्टार्ट-अप्स में निजी निवेश भी बढ़ रहा है, जहाँ उल्लेखनीय संख्या में वेंचर कैपिटल फर्म और एंजल निवेशक आरंभिक चरण की कंपनियों को सक्रिय रूप से वित्तपोषण एवं समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
- यद्यपि भारतीय स्टार्ट-अप पारितंत्र के तीव्र विकास के बावजूद, अभी भी ऐसी चुनौतियाँ मौजूद हैं जिन्हें संबोधित किये जाने की आवश्यकता है। इन प्रमुख चुनौतियों में से एक है आरंभिक चरण की कंपनियों के लिये धन की कमी। इसके अतिरिक्त, मौजूदा विनियामक वातावरण में कार्यकरण करना कुछ कठिन हो सकता है जहाँ कई कानूनों एवं विनियमों का पालन करना आवश्यक है।
- समग्र रूप से, भारतीय स्टार्ट-अप पारितंत्र एक मज़बूत विकास पथ पर है और वैश्विक स्टार्ट-अप परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी बने रहने के लिये तैयार है। प्रतिभाशाली इंजीनियरों एवं पेशेवरों के एक बड़े समूह, प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के लिये एक तैयार बाज़ार और एक समर्थनकारी सरकार के साथ भारत में स्टार्ट-अप्स का भविष्य उज्ज्वल नज़र आता है।

भारत में स्टार्ट-अप्स के विकास चालक

- **बड़ा घरेलू बाज़ार:** भारत में प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पादों एवं सेवाओं के लिये एक बड़ा घरेलू बाज़ार मौजूद है, जो स्टार्ट-अप्स को अपने उत्पादों एवं सेवाओं की बिक्री के लिये एक तैयार बाज़ार प्रदान करता है।
- **सरकारी समर्थन:** भारत सरकार 'आत्मनिर्भर भारत' और 'डिजिटल इंडिया' जैसी पहलों के माध्यम से उद्यमशीलता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है और युवा कंपनियों को सहायता प्रदान कर रही है।
- **'शार्क' (Sharks) या निजी निवेश का उभार:** स्टार्ट-अप्स में निजी निवेश का उभार हो रहा है, जहाँ उल्लेखनीय संख्या में वेंचर कैपिटल फर्म और एंजल निवेशक आरंभिक चरण की कंपनियों को सक्रिय रूप से वित्तपोषण एवं समर्थन प्रदान कर रहे हैं।
- **प्रौद्योगिकी तक पहुँच:** प्रौद्योगिकी और इंटरनेट पैठ में प्रगति ने स्टार्ट-अप्स को तेज़ी से आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है, जिससे पारितंत्र में कई 'यूनिकॉर्न' का उदय हुआ है।
- **'ई-कॉमर्स बूम':** भारत में ई-कॉमर्स बाज़ार ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, जो ई-कॉमर्स स्पेस में स्टार्ट-अप्स के लिये एक तैयार बाज़ार प्रदान करता है।
- **स्टार्ट-अप हब:** भारत में बेंगलुरु, मुंबई एवं दिल्ली-एनसीआर प्रमुख स्टार्ट-अप हब के रूप में उभरे हैं, जो स्टार्ट-अप्स को बढ़ने और फलने-फूलने के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करते हैं।
  - विशेष रूप से बेंगलुरु को यहाँ बड़ी संख्या में प्रौद्योगिकी कंपनियों की उपस्थिति के कारण 'भारत की सिलिकॉन वैली' के रूप में देखा जाता है।

सरकार भारत में स्टार्ट-अप पारितंत्र का समर्थन कैसे करती है?

- **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (SISFS):** यह योजना स्टार्ट-अप कंपनियों को उनकी अवधारणाओं को साबित करने, प्रोटोटाइप विकसित करने, उत्पादों का परीक्षण करने और बाज़ार में प्रवेश करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार:** यह कार्यक्रम नवाचार और प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहित कर आर्थिक गतिशीलता में योगदान देने वाले उत्कृष्ट स्टार्ट-अप एवं पारिस्थितिक तंत्र को चिह्नित करता है और उन्हें पुरस्कृत करता है।
- **SCO स्टार्ट-अप फोरम:** SCO सदस्य देशों में स्टार्ट-अप पारितंत्र के विकास और सुधार के साधन के रूप में अक्टूबर 2020 में स्थापित 'शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम' अपनी तरह का पहला प्रयास है।
- **नवाचारों के विकास और दोहन के लिये राष्ट्रीय पहल (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations- NIDHI):** यह स्टार्ट-अप्स के लिये एंड-टू-एंड योजन है जो पाँच वर्ष की अवधि में इनक्यूबेटरों और स्टार्ट-अप्स की संख्या को दोगुना करने पर लक्षित है।

स्टार्ट-अप पारितंत्र से संबद्ध प्रमुख चुनौतियाँ

- **'बूटस्ट्रैप्ड' कारोबार:** स्टार्टअप के कार्यान्वयन के लिये उल्लेखनीय मात्रा में कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। भारत में कई स्टार्टअप, विशेष रूप से अपने आरंभिक चरणों में 'बूटस्ट्रैपिंग' (Bootstrapping) के लिये बाध्य होते हैं, यानी संस्थापकों की अपनी बचत के माध्यम से स्व-वित्तपोषित होते हैं क्योंकि उपलब्ध घरेलू वित्तपोषण सीमित है।

नोट :

- इसके परिणामस्वरूप, भारत में अधिकांश स्टार्टअप पहले पाँच वर्षों के अंदर ही विफल हो जाते हैं और इसका सबसे आम कारण है औपचारिक धन की कमी।

- **सख्त नियामक वातावरण:** कानून और नियम हमेशा स्टार्ट-अप्स की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं होते हैं, जिससे उनके लिये इसका अनुपालन करना कठिन हो सकता है।
  - आरंभिक चरण की कंपनियों के लिये यह एक भारी बोझ हो सकता है। स्टार्ट-अप्स को जिन जटिल अनुपालन और कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना पड़ता है, वे उनके विकास में बाधक बन सकते हैं।
- **सीमित अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स:** उपयुक्त अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स की कमी स्टार्ट-अप्स के लिये एक बड़ी चुनौती हो सकती है, विशेष रूप से ई-कॉमर्स स्पेस में कार्यरत कंपनियों के लिये।
  - अपर्याप्त परिवहन, वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स अवसंरचना स्टार्ट-अप्स के लिये ग्राहकों तक पहुँचने और अपने उत्पादों की समय पर आपूर्ति करने को कठिन बना सकती है। यह उनके विकास और सफलता के लिये एक बड़ी बाधा सिद्ध हो सकती है।
- **संरक्षण और मार्गदर्शन की कमी:** स्टार्ट-अप्स प्राय: अनुभवी संरक्षकों और मार्गदर्शन की कमी रखते हैं, जिससे उनके लिये कारोबारी परिदृश्य में आगे बढ़ना और सूचित निर्णय लेना कठिन बन सकता है।
- **'टैलेंट रिटेंशन':** भारत में स्टार्ट-अप प्राय: प्रतिभाशाली कर्मियों को बनाए रखने के लिये संघर्ष करते हैं, क्योंकि उन्हें बड़ी, अधिक स्थापित कंपनियों द्वारा लुभाया जा सकता है।
  - प्रतिभा के लिये कड़ी प्रतिस्पर्द्धा की स्थिति है जहाँ बड़ी कंपनियाँ प्राय: अधिक आकर्षक प्रतिपूर्ति एवं लाभ की पेशकश करती हैं।
  - इससे स्टार्ट-अप्स के लिये उच्च प्रतिभा को आकर्षित करना और उन्हें बनाए रखना (जो उनके विकास एवं सफलता के लिये आवश्यक है) कठिन बन सकता है।

आगे की राह

- **धन तक पहुँच में सुधार:** आरंभिक चरण की कंपनियों के लिये धन तक पहुँच में सुधार के लिये सरकार और निजी निवेशकों को मिलकर कार्य करना चाहिये।
  - इसके तहत सीड फंडिंग और उद्यम पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के साथ-साथ निवेशकों के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान करने जैसे कदम उठाये जा सकते हैं।
- **नियामक वातावरण को सरल बनाना:** सरकार को स्टार्ट-अप्स के लिये नियामक वातावरण को सरल बनाने की दिशा में कार्य करना चाहिये ताकि उनके लिये कानूनों और विनियमों का पालन करना आसान हो जाए।
  - इसमें अनुपालन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और स्टार्ट-अप्स को प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में निवेश:** सरकार को उत्पादों एवं सेवाओं की आपूर्ति में सुधार के लिये अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स में निवेश करना चाहिये।
  - इसमें बेहतर परिवहन एवं लॉजिस्टिक्स नेटवर्क का निर्माण करना और भंडारण एवं लॉजिस्टिक्स सेवाओं के लिये सब्सिडी प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करना:** सरकार एवं निजी क्षेत्र को स्टार्ट-अप्स को संरक्षण और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये साथ मिलकर काम करना चाहिये।
  - इसके अंतर्गत मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करने, प्रशिक्षण एवं सहायता प्रदान करने और अनुभवी संरक्षकों के साथ स्टार्ट-अप्स को जोड़ना जैसे उपाय किये जा सकते हैं।
- **नवाचार को प्रोत्साहन:** सरकार और निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास के लिये धन एवं सहायता प्रदान कर नवाचार को प्रोत्साहित करना चाहिये।
  - इसमें R&D केंद्र स्थापित करना, R&D में निवेश करने वाली कंपनियों के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान करना और स्टार्ट-अप को विश्वविद्यालयों एवं अनुसंधान संस्थानों से जोड़ना शामिल हो सकता है।

भारत में LGBTQIA+ अधिकार एवं स्वीकृति

हाल के वर्षों तक भारत में समलैंगिक संबंधों (Same-sex Relationships) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत एक आपराधिक कृत्य माना जाता था, जहाँ 'प्रकृति की व्यवस्था के विरुद्ध दैहिक संभोग' को अपराध घोषित किया गया था।

- वर्ष 2018 में देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय में LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देते हुए इस भेदभावपूर्ण कानून को निरस्त कर दिया।
- हालाँकि इस प्रगति के बावजूद LGBTQIA+ समुदाय के साथ भेदभाव और इन्हें हाशिए पर बनाए रखना अब भी जारी है। विशेष रूप से ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोज़गार के अवसरों तक पहुँच रखने में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और प्राय: अपने बुनियादी अधिकारों एवं गरिमा से वंचित हैं।

नोट :

- इस परिदृश्य में, LGBTQIA+ समुदायों के अधिकारों की पुनर्कल्पना करने के साथ ही उनके समक्ष विद्यमान चुनौतियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखना और समावेशिता की ओर आगे बढ़ना महत्त्वपूर्ण है।

भारत में LGBTQIA+ की मान्यता संबंधी पृष्ठभूमि

- वर्ष 1861 में ब्रिटिशों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत प्राकृतिक व्यवस्था के विरुद्ध यौन गतिविधियों (सभी समलैंगिक गतिविधियों सहित) को आपराधिक कृत्य करार दिया।
- वर्ष 1977 में शकुंतला देवी ने भारत में समलैंगिकता पर पहला अध्ययन 'The World of Homosexuals' शीर्षक से प्रकाशित कराया।
- वर्ष 1994 में उन्हें कानूनी रूप से तीसरे लिंग या 'थर्ड सेक्स' के रूप में चिह्नित करते हुए मताधिकार प्रदान किया गया।
- वर्ष 2014 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में बलपूर्वक कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों को लिंग की तीसरी श्रेणी के रूप में मान्य किया जाना चाहिये।
- वर्ष 2017 में एक अन्य निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने देश के LGBTQIA+ समुदाय को अपनी यौन उन्मुखता (Sexual Orientation) को सुरक्षित रूप से व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्रदन की।
  - किसी व्यक्ति की यौन उन्मुखता को निजता के अधिकार (Right to Privacy) के तहत संरक्षित किया गया है।
- 6 सितंबर 2018 को सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 के उस अंश को निरस्त कर दिया जो सहमतिपूर्ण समलैंगिक गतिविधियों को अपराध घोषित करता था।
- वर्ष 2019 में संसद ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम पारित किया जिसका उद्देश्य ट्रांसजेंडर व्यक्ति के अधिकारों, उनके कल्याण और अन्य संबंधित मामलों को संरक्षण प्रदान करना है।

भारत में LGBTQIA+ समुदाय के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियाँ

- **सामाजिक भेदभाव:** LGBTQIA+ व्यक्तियों को प्राय: अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं, जैसे कार्यस्थल पर, आवासन और स्वास्थ्य देखभाल के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  - इससे उनके लिये खुले तौर पर और सुरक्षित रूप से रहना कठिन बन सकता है। भेदभाव के कारण उनके लिये रोज़गार अवसरों की कमी की स्थिति बन सकती है और वे निर्धनता एवं बुनियादी आवश्यकताओं की कमी की ओर धकेले जा सकते हैं।
- **प्रतिनिधित्व का अभाव:** LGBTQIA+ व्यक्तियों को प्राय: मीडिया, राजनीति और शासन में कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है और वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होने से वंचित रह जाते हैं।
  - इससे उनके लिये अपनी समस्याओं को अभिव्यक्त कर सकना और उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करना कठिन बन सकता है। प्रतिनिधित्व की इस कमी से समुदाय के बारे में समझ और स्वीकृति की कमी की स्थिति बन सकती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ:** LGBTQIA+ व्यक्ति प्राय: शारीरिक एवं मौखिक दुर्व्यवहार, डराने-धमकाने और उत्पीड़न जिसे घृणापूर्ण अपराधों (Hate Crimes) के शिकार होते हैं। इससे समुदाय में भय और असुरक्षा की भावना पैदा हो सकती है तथा उनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्र के LGBTQIA+ समुदाय की मांगों का अनसुना रहना: शहरी LGBTQIA+ समुदाय की बात तो विभिन्न ऑनलाइन और वास्तविक दुनिया के मंचों के माध्यम से तो सुन ली जाती है।
  - लेकिन संसर्ग, सहजता और इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के LGBTQIA+ लोगों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिये विवश होना पड़ता है। पारंपरिक विवाह आदि संस्थाओं में प्रवेश से इनकार करने पर उन्हें और अधिक शारीरिक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।
- **बेघर होना:** अधिकांश बेघर LGBTQIA+ युवा वे होते हैं जिन्हें समलैंगिक होने के कारण उनके घरों से निकाल दिया जाता है या वे एक अपमानजनक परिदृश्य से बचने के लिये घर से भाग गए।
  - इस प्रकार जीवन के आरंभिक विकास वर्षों के दौरान वे शिक्षा और सामाजिक समर्थन से चूक जाते हैं। किसी आर्थिक सहायता के अभाव में वे प्राय: नशीली दवाओं के उपयोग और जोखिमपूर्ण यौन व्यवहार में संलग्न हो जाते हैं।

आगे की राह

- **समर्थनकारी नीतियाँ और कानून:** सरकार ऐसी समर्थनकारी नीतियाँ और कानून बना सकती है जो LGBTQIA+ व्यक्तियों को भेदभाव, घृणापूर्ण अपराधों और हिंसा से बचाए।
  - इसमें ऐसे कानून शामिल हो सकते हैं जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करें और ऐसी नीतियाँ हों जो उस स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करे जो LGBTQIA+ समुदाय की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो।

नोट :

- **बेहतर पालन-पोषण:** मानव समाज हमारे चारों ओर केवल एक क्षेत्र है जबकि माता-पिता निकटतम उपस्थिति रखते हैं। उन्हें अपने बच्चों की पहचान को स्वीकार करने के प्रति खुला एवं उदार होना चाहिये ताकि वृहत रूप से समाज भी विविधता को अपना सके और प्रत्येक बच्चे की विशिष्टता को स्वीकार कर सके।
- **हमारी विविधता, हमारा गौरव:** LGBTQIA+ युवाओं के लिये संवाद, साझेदारी एवं सहयोग हेतु एक खुला और सुलभ मंच बनाना महत्त्वपूर्ण है। 'Gaysi' और 'Gaylaxy' जैसे मंचों ने यह जगह बनाने में मदद की है।
  - 'प्राइड मंथ' और 'प्राइड परेड' पहल को इन मंचों के माध्यम से सभी स्तरों पर बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- **विशेष व्यवहार से समान व्यवहार की ओर आगे बढ़ना:** LGBTQIA+ भी इसी दुनिया के वासी हैं, वे बीमार नहीं हैं और उनकी यौन उन्मुखता जन्मजात होती है। समलैंगिक होना एक सामान्य परिघटना है न कि कोई बीमारी।
  - इसलिये वे समान व्यवहार के पात्र हैं, विशेष व्यवहार के नहीं और एक बार जब वे भारतीय समाज में समानता के स्तर पर शामिल कर लिये जाएँगे तो वे भी सामूहिक विकास में पूरी तरह से मिश्रित हो जाएँगे।

ग्लोबल साउथ के प्रशासन में भारत की भूमिका

पश्चिम को संतुलित करने के प्रयास में और उत्तर पर नज़र रखते हुए भारत 'दक्षिण' को साधने की उम्मीद कर रहा है। हाल ही में आयोजित दो दिवसीय वर्चुअल 'वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ 2023' शिखर सम्मेलन की थीम थी- 'आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता' (Unity of Voice, Unity of Purpose)। यह वैश्विक व्यवस्था के संवाद में भारत द्वारा एक और पहलू जोड़ने का भारत का प्रयास है।

इस वर्चुअल फोरम ने वैश्विक दक्षिण या 'ग्लोबल साउथ' से मूल्यवान इनपुट प्रदान किया है जो दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन, 2023 के सफल आयोजन के लिये भारत की महत्वाकांक्षा को सुगम बना सकता है।

यह फोरम भारत को उन राष्ट्रों के वैश्विक समूह के साथ फिर से संबद्ध करने का भी प्रयास है जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से भारतीय विदेश नीति के राडार से गायब हो गए थे।

पिछले तीन दशकों से भारतीय कूटनीति का ध्यान अपने वृहत शक्ति संतुलन, पड़ोस में स्थिरता लाने और विस्तारित पड़ोस में क्षेत्रीय संस्थानों को विकसित करने पर केंद्रित रहा है।

'ग्लोबल साउथ' क्या है?

- ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग मोटे तौर पर उन देशों के संदर्भ में होना शुरू हुआ जो औद्योगीकरण के दौर से बाहर रह गए थे और पूंजीवादी एवं साम्यवादी देशों के साथ विचारधारा का टकराव रखते थे, जिसे शीत युद्ध ने प्रबल किया था।
  - इसमें अधिकांशत: एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के देश शामिल हैं।
  - इसके अलावा, वैश्विक उत्तर या 'ग्लोबल नॉर्थ' को अनिवार्य रूप से अमीर और गरीब देशों के बीच एक आर्थिक विभाजन द्वारा परिभाषित किया गया है।
- 'ग्लोबल नॉर्थ' मोटे तौर पर अमेरिका, कनाडा, यूरोप, रूस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसे देशों को संदर्भित करता है।
- बड़ी आबादी, समृद्ध संस्कृतियों और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण 'ग्लोबल साउथ' एक महत्त्वपूर्ण भूभाग है।
- इसके अतिरिक्त, गरीबी, असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने के लिये ग्लोबल साउथ को समझना महत्त्वपूर्ण है।

ग्लोबल साउथ से संबद्ध मुद्दे

- **आर्थिक असमानता:**
  - ग्लोबल साउथ के कई देश अभी भी गरीबी और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हैं, जिससे उनके लिये विकास संबंधी पहलों को लागू करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **राजनैतिक अस्थिरता:**
  - ग्लोबल साउथ के कई देशों में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता दीर्घकालिक विकास योजनाओं को क्रियान्वित करना कठिन बना सकती है और विदेशी निवेश के लिये प्रतिकूल वातावरण का भी निर्माण कर सकती है।
- **आधारभूत संरचना की कमी:**
  - ग्लोबल साउथ के कई देशों में सड़कों, बंदरगाहों और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, जिससे विदेशी निवेश को आकर्षित करना तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देना कठिन साबित हो सकता है।
- **जलवायु परिवर्तन:**
  - ग्लोबल साउथ के कई देशों में जलवायु परिवर्तन एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है क्योंकि यह गरीबी एवं असमानता की मौजूदा स्थिति को और गंभीर बना सकती है तथा विकास के लिये नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर सकती है।
- **सीमित मानव क्षमता:**
  - कुशल मानव संसाधनों का अभाव और शिक्षा की कमी वैश्विक दक्षिण में विकास के मार्ग में प्रमुख चुनौतियों में से एक है।

नोट :

ग्लोबल साउथ के विकास के मार्ग में विद्यमान चुनौतियाँ

- **एकीकृत रुख की कमी:**
  - शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्षता (NAM) के साथ भारत के अनुभव ने वैश्विक दक्षिण के लिये कई तरह से चुनौतियाँ पेश की।
  - इनमें से एक बड़ी चुनौती थी विऔपनिवेशीकरण एवं शीत युद्ध जैसे समकालीन मुद्दों पर वैश्विक दक्षिण के देशों के बीच एक एकीकृत रुख की कमी।
  - भारत के गुटनिरपेक्ष रुख का तात्पर्य था कि उसने स्वयं को पश्चिमी या पूर्वी ब्लॉकों के साथ संरेखित नहीं किया, जिससे वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के लिये इन मुद्दों पर एकीकृत दृष्टिकोण का पालन करना कठिन हो गया।
  - इसके अतिरिक्त, NAM ने वैश्विक दक्षिण के लिये व्यापार और विकास जैसे मुद्दों पर प्रमुख शक्तियों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद करना कठिन बना दिया।
- **हरित ऊर्जा कोष:**
  - यद्यपि ग्लोबल नॉर्थ के देश वैश्विक उत्सर्जन में अधिक योगदान करते हैं, वे हरित ऊर्जा के लिये धन का भुगतान करने की उपेक्षा करते हैं, जो अंततः निम्न उत्सर्जन करने वाले अल्पविकसित देशों को हानि पहुँचाता है।
- **चीन का दखल:**
  - चीन अवसंरचना विकास के लिये 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) के माध्यम से ग्लोबल साउथ में तेज़ी से अपनी पैठ बना रहा है।
  - हालाँकि, यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि BRI दोनों पक्षों के लिये सर्वविजय की स्थिति होगी या यह केवल चीन के लाभ पर ध्यान केंद्रित करेगी।
- **दक्षिण में उत्तर का दखल:**
  - आर्थिक असमानता एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि अमेरिका के प्रभुत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्तीय प्रणालियाँ विकासशील देशों की कीमत पर विकसित देशों का पक्ष लेती हैं।
  - इसके अतिरिक्त, औद्योगिक देशों की सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति का उपयोग कभी-कभी उनके स्वयं के हितों को आगे बढ़ाने के लिये किया जाता है जो संभावित रूप से वैश्विक दक्षिण के देशों की हानि की कीमत पर किया जाता है।
  - इससे इन देशों के लिये संप्रभुता और आत्मनिर्णय की क्षति की स्थिति बन सकती है।
- **संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता का अभाव:**
  - वैश्विक दक्षिण के देशों के लिये संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच एक बड़ी चुनौती है।
  - इन देशों में प्रायः स्वच्छ जल, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा जैसे संसाधनों तक पहुँच के अनुपातहीन कमी की स्थिति पाई जाती है।
  - इसके अतिरिक्त, उनके पास प्रायः वित्तीय पूंजी, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे जैसे संसाधनों तक सीमित पहुँच ही होती है।
    - इससे कई नकारात्मक परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं, जिनमें गरीबी, बदतर स्वास्थ्य परिणाम और सीमित आर्थिक विकास शामिल हैं।
- **कोविड-19 का प्रभाव:**
  - कोविड-19 महामारी ने पहले से मौजूद विभाजनों को और बढ़ा दिया है।
    - विभिन्न देशों को न केवल महामारी के शुरुआती चरणों से निपटने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बल्कि उन्हें आज जिन सामाजिक और व्यापक आर्थिक प्रभावों का सामना करना पड़ रहा है, वे वैश्विक दक्षिण के लिये अत्यंत गंभीर हैं।
  - अर्जेंटीना और मिस्र से लेकर पाकिस्तान और श्रीलंका तक के देशों में घरेलू अर्थव्यवस्थाओं की भेद्यता/संवेदनशीलता अब कहीं अधिक स्पष्ट है।

आगे की राह

- **राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद को संतुलित करना:**
  - भारत को वैश्विक व्यवस्था के आधुनिकीकरण एवं लोकतंत्रीकरण के लिये और अधिक उल्लेखनीय तरीकों से योगदान करने की आवश्यकता है।
  - वर्तमान विश्व में राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद के बीच संतुलन की तलाश करना अनिवार्य है जो किसी भी देश के हितों के साथ-साथ वैश्विक दक्षिण के हितों की रक्षा करने में मदद करेगा।
- **सरल, विस्तार-योग्य और संवहनीय समाधानों की पहचान करना:**
  - समय की मांग है कि सरल, विस्तार-योग्य और संवहनीय समाधानों की पहचान की जाए जो हमारे समाजों और अर्थव्यवस्थाओं को रूपांतरित करने में योगदान कर सकते हैं।
  - इस तरह के दृष्टिकोण के साथ कठिन चुनौतियों—चाहे वह गरीबी हो, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा हो या मानव क्षमता निर्माण, इन पर काबू पाना संभव है।

नोट :

- पिछली शताब्दी के दौरान इन राष्ट्रों ने विदेशी शासन के विरुद्ध एक-दूसरे का समर्थन किया था। इस शताब्दी में फिर सहयोग स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि एक ऐसी नई विश्व व्यवस्था का निर्माण किया जा सके जो नागरिकों के कल्याण की गारंटी दे।

- **अन्य विकासशील देशों के विश्वास को पुन: प्राप्त करना:**
  - तेज़ आर्थिक विकास की इच्छा रखने वाले एक निम्न मध्यम आय वाले देश के रूप में भारत 'वैश्विक दक्षिण की आवाज़' (Voice of the Global South) बनने का सुअवसर रखता है। हालाँकि, भारत के लिये एक बार फिर से इस भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिये अन्य विकासशील देशों, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए, उनके भरोसे को फिर से जीतने की आवश्यकता है।
- **G-20 की भूमिका:**
  - G-20 की एकवर्षीय अध्यक्षता भारत के लिये वैश्विक दक्षिण को एकजुट करने का एक अवसर है जहाँ भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देश एक साथ आने तथा साझा समस्याओं एवं चुनौतियों के साथ ही सहयोग एवं सहभागिता के अवसरों पर चर्चा करने के लिये एक मंच का उपयोग कर सकते हैं।
  - G20 शिखर सम्मेलन में भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देश अपनी चिंताओं को अभिव्यक्त कर सकते हैं और आर्थिक विकास, व्यापार, निवेश एवं विकास जैसे प्रमुख मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं।
  - यह शिखर सम्मेलन भारत और वैश्विक दक्षिण के अन्य देशों के लिये अपने प्रयासों को समन्वित करने तथा आर्थिक विकास को बढ़ावा देने एवं गरीबी को कम करने के उद्देश्य से क्रियान्वित पहलों पर सहयोग करने के लिये एक मंच के रूप में भी काम कर सकता है।

प्रवासियों के लिये दूरस्थ मतदान

संदर्भ

भारत के पिछले आम चुनाव (वर्ष 2019) में इसके अर्हत नागरिकों के 91% से अधिक पंजीकृत थे, जिनमें से 67% ने मतदान में भाग लिया। इसने देश के इतिहास में सबसे अधिक मतदाता भागीदारी को दर्ज किया। वर्ष 1951 के भारत के पहले आम चुनाव में केवल 17% नागरिक पंजीकृत थे और उनमें से केवल 4% ने मतदान में भागीदारी की थी।

यद्यपि यह चिंता का विषय है कि अर्हत मतदाताओं में से एक तिहाई (यानी लगभग 30 करोड़ लोग) मतदान में भागीदारी नहीं करते। इसमें शहरी उदासीनता और भौगोलिक बाधाओं जैसे कई कारकों का योगदान है और इनमें से ही एक प्रमुख कारक है विभिन्न कारणों से आंतरिक प्रवासियों द्वारा मतदान कर सकने की असमर्थता।

- निर्वाचन आयोग (EC) ने पूर्व में इस समस्या को संबोधित करने के लिये 'घरेलू प्रवासियों पर अधिकारियों की समिति' (Committee of Officers on Domestic Migrants) का गठन किया था। वर्ष 2016 में प्रस्तुत इस समिति की रिपोर्ट ने समाधान के रूप में 'दूरस्थ मतदान' या 'रिमोट वोटिंग' (remote voting) की अनुशंसा की थी। इस गंभीर समस्या को आगे और संबोधित करने के लिये निर्वाचन आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को इस मुद्दे को हल करने के लिये कानूनी, प्रशासनिक एवं वैधानिक परिवर्तनों पर चर्चा करने के लिये आमंत्रित किया था।

रिमोट वोटिंग क्या है?

- 'रिमोट वोटिंग' उन सभी साधनों को संदर्भित करता है जो मतदाताओं को मतदान के लिये पंजीकृत मतदान केंद्र के अलावा अन्य स्थानों से मतदान करने की अनुमति देते हैं। ऐसे दूरस्थ मतदान स्थान विदेश में या देश में कहीं भी स्थापित हो सकते हैं।
- इसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तंत्र और गैर-इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तंत्र, दोनों ही शामिल हैं।

रिमोट वोटिंग की आवश्यकता क्यों है?

- **प्रवासियों को मतदान सक्षम करना:**
  - मतदाता अपने पंजीकरण के स्थान से दूसरे शहरों और स्थानों पर शिक्षा, रोज़गार एवं अन्य उद्देश्यों के लिये पलायन करते हैं। उनके लिये अपने मतदान के प्रयोग हेतु अपने पंजीकृत मतदान केंद्रों तक लौटना दुरूह होता है।
  - पाया गया है कि उत्तराखंड में दुमक और कलगोठ जैसे गाँवों में लगभग 20-25% पंजीकृत मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अपना मत डालने में असमर्थ होते हैं क्योंकि उन्हें अपने गाँव/राज्य से बाहर जाना पड़ता है।
- **मतदान प्रतिशत में कमी:**
  - वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान कुल 910 मिलियन मतदाताओं में से लगभग 300 मिलियन मतदाताओं ने मत नहीं डाला।

नोट :

- **असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में वृद्धि :**
  - सरकार के ई-श्रम (e-SHRAM) पोर्टल पर लगभग 10 मिलियन प्रवासी श्रमिक पंजीकृत हैं। यदि दूरस्थ मतदान परियोजना लागू की जाती है तो इसके दूरगामी प्रभाव होंगे।
- **मत तक पहुँच का अभाव:**
  - मत तक पहुँच के इस मौलिक अधिकार से प्रवासी श्रमिकों को दो तरह से वंचित किया जाता है:
    - सर्वप्रथम, एक मतदाता को केवल उस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने के लिये नामांकित किया जा सकता है जहाँ के वे 'स्थायी निवासी' हैं।
    - दूसरा, वे अपने पंजीकृत निर्वाचन क्षेत्र में केवल व्यक्तिगत रूप से मतदान के माध्यम से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट वोटिंग से संबद्ध समस्याएँ

- **सुरक्षा और अखंडता:**
  - रिमोट वोटिंग प्रणालियाँ हैकिंग, धोखाधड़ी और हेरफेर के अन्य रूपों के प्रति संवेदनशील हैं।
  - इससे अविश्वसनीय और गलत चुनाव परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, संपूर्ण चुनाव की अखंडता ही कमज़ोर पड़ सकती है।
    - मतदाता गोपनीयता और अंतिम परिणामों की अखंडता की रक्षा के लिये चुनावों में हमेशा उच्च स्तर की सुरक्षा की आवश्यकता होती है।
- **रिमोट वोटिंग की पहुँच:**
  - ऑनलाइन मतदान में भाग लेने के लिये सभी नागरिकों के पास इंटरनेट या आवश्यक तकनीक तक पहुँच की कमी हो सकती है।
  - इसी तरह, मेल-इन मतपत्र (Mail-in Ballots) कुछ दूरस्थ क्षेत्रों तक नहीं पहुँच सकने या समय पर वितरित नहीं हो सकने की समस्या से ग्रस्त हो सकते हैं।
  - इसके अलावा, विदेश में रह रहे सभी नागरिक मतदान करने के लिये दूतावासों या वाणिज्य दूतावासों की यात्रा करने में सक्षम नहीं होंगे।
  - इससे नागरिकों के कुछ समूह मताधिकार से वंचित हो सकते हैं और यह चुनाव परिणामों को विकृत कर सकता है।
- **सत्यता और सत्यापन:**
  - इसके अलावा, एक मतदाता सत्यापन प्रणाली (voter verification system) जो बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर (जैसे कि चेहरे की पहचान) का उपयोग करती है, मतदाता पहचान में गलत सकारात्मक या नकारात्मक परिणाम दे सकती है; इस प्रकार धोखाधड़ी या नागरिकों की मताधिकारी से वंचित करने की सुविधा दे सकती है।
- **इंटरनेट कनेक्शन और मैलवेयर सुरक्षा:**
  - विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्शन वाले मतदाताओं पर निर्भरता रखनी होगी। कुछ देशों में इंटरनेट की पहुँच एवं उपलब्धता और ई-सरकारी सेवाओं का उपयोग सीमित है।
  - मतदाताओं के उपकरणों में सॉफ्टवेयर त्रुटियाँ या मैलवेयर भी मत देने की सक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।
- **चुनाव और प्रचार पर असर:**
  - दूरस्थ मतदान सैद्धांतिक रूप से बड़े दलों और अमीर उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त बढ़त प्रदान कर सकता है जो पूरे निर्वाचन क्षेत्र में और उसके बाहर अपना प्रचार कर सकते हैं।

भारत में प्रवासी जनसंख्या की स्थिति

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में आंतरिक प्रवासियों की संख्या 450 मिलियन है, जो वर्ष 2001 की जनगणना से 45% की वृद्धि को दर्शाती है।
- इनमें से 26% प्रवास (117 मिलियन) एक ही राज्य के भीतर अंतर-ज़िला प्रकृति का होता है, जबकि 12% प्रवास (54 मिलियन) अंतर्राज्यीय होता है।
- आधिकारिक और स्वतंत्र विशेषज्ञ, दोनों ही स्वीकार करते हैं कि इस संख्या को कम करके आँका गया है।
- केवल अल्पकालिक और चक्रीय प्रवास ही 60-65 मिलियन प्रवासियों तक विस्तृत हो सकता है, जो उनके परिवार के सदस्यों सहित 100 मिलियन की संख्या तक पहुँच सकता है। इनमें से आधे अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं।

आगे की राह

- **चुनावी अखंडता बनाए रखना:**
  - सत्यापन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एक ऑनलाइन मतदान प्रणाली को यह प्रदर्शित करना चाहिये कि उसने चुनावी अखंडता बनाए रखी है और मतदान या मिलान प्रक्रियाओं के दौरान कोई हेरफेर नहीं हुआ है।
- **हितधारकों की स्वीकार्यता:**
  - यह महत्त्वपूर्ण है कि दूरस्थ मतदान की कोई भी प्रणाली चुनाव प्रणाली के सभी हितधारकों—मतदाताओं, राजनीतिक दलों और चुनाव मशीनरी के विश्वास और स्वीकार्यता को ध्यान में रखे।

नोट :

- दूरस्थ मतदान की सफलता का निर्धारण करने में हितधारकों की स्वीकार्यता एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- हितधारकों द्वारा दूरस्थ मतदान को स्वीकार किये जाने के लिये, इसे पारंपरिक व्यक्तिगत रूप से मतदान (in-person voting) के एक व्यवहार्य और सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जाना चाहिये।
- उन्हें आश्वस्त होने की आवश्यकता है कि यह मतदान का एक वैध एवं मान्य तरीका है और इससे परिशुद्ध एवं निष्पक्ष परिणाम प्राप्त होंगे।

- **विश्वास और पारदर्शिता:**
  - यहाँ तक कि सभी उचित कानूनी ढाँचे के साथ भी एक ऑनलाइन मतदान प्रणाली का उपयोग करना व्यर्थ होगा यदि सरकार या आम जनता को इसकी सुरक्षा, अखंडता और परिशुद्धता पर भरोसा नहीं हो।
    - इस परिदृश्य में, ऑनलाइन मतदान तकनीक की पारदर्शिता सुनिश्चित करने, अंतिम परिणामों के प्रति विश्वास पैदा करने में मदद करने के लिये विभिन्न पारदर्शिता उपायों को विकसित करने की आवश्यकता है।
- **सुरक्षित तकनीक:**
  - मतदान प्रक्रिया की हैकिंग और हेरफेर को रोकने के लिये दूरस्थ मतदान के लिये उपयोग की जाने वाली तकनीक सुरक्षित और हेरफेर-रोधी होनी चाहिये। इसमें एन्क्रिप्शन, बहु-कारक प्रमाणीकरण और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं।
- **मतदाता सत्यापन:**
  - दूरस्थ मतदान प्रक्रिया में यह सुनिश्चित करने के लिये एक सुदृढ़ मतदाता सत्यापन तंत्र शामिल होना चाहिये कि केवल पात्र मतदाता ही अपने मतपत्र डालने में सक्षम हों।
  - इसमें वोटर आईडी सत्यापन, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या डिजिटल सिग्नेचर जैसे तरीके शामिल हो सकते हैं।
- **लेखापरीक्षा और पारदर्शिता:**
  - मतगणना की परिशुद्धता एवं अखंडता को सत्यापित करने के लिये स्पष्ट नियमों एवं प्रक्रियाओं के साथ ही दूरस्थ मतदान प्रक्रिया को लेखापरीक्षा योग्य एवं पारदर्शी होनी चाहिये।
  - इसमें स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की सहायता लेना और मतगणना के विस्तृत आँकड़ों एवं परिणामों का प्रकाशन करना शामिल हो सकता है।
- **मतदाता शिक्षा:**
  - मतदाता शिक्षा और जागरूकता अभियान यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है कि मतदाता निर्वाचन प्रक्रिया को समझें और आत्मविश्वास से तथा परिशुद्ध रूप से अपना मत दूरस्थ रूप से डाल सकें।
- **कानूनी ढाँचा:**
  - दूरस्थ मतदान के लिये नियमों, प्रक्रियाओं और उत्तरदायित्वों को रेखांकित करने वाला एक स्पष्ट और सुदृढ़ कानूनी ढाँचा यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह है।

दक्षिण एशिया में सहयोग को बढ़ावा

दक्षिण एशिया एशिया महाद्वीप का दक्षिणी क्षेत्र है, जिसे भौगोलिक और जातीय-सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से परिभाषित किया गया है। इस क्षेत्र में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं।

- दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के प्रति भारत का दृष्टिकोण दक्षिण एशिया में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार, निवेश प्रवाह और क्षेत्रीय परिवहन एवं संचार लिंक को बेहतर बनाने पर आधारित है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) और भारत की 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति इस प्रक्रिया के दो वाहन हैं।
- इस भू-भाग में सांस्कृतिक रूप से कई समानताएँ मौजूद हैं, लेकिन राजनीतिक एवं आर्थिक अस्थिरता (श्रीलंकाई संकट व अफगानिस्तान संकट), उच्च मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार (पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया है जो वर्ष 2014 के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर है) जैसी कई पार-उपक्षेत्रीय चुनौतियाँ और घरेलू अशांति भी मौजूद है जो वैश्विक आबादी के लगभग चौथाई हिस्से का वहन करने वाले इस क्षेत्र को प्रभावित कर रही हैं।

दक्षिण एशिया के लिये क्षेत्रीय सहयोग के क्या लाभ हैं?

- **आर्थिक सहयोग:**
  - क्षेत्रीयता की भावना इस भूभाग के देशों के बीच व्यापार एवं निवेश को बढ़ा सकती है, जिससे आर्थिक विकास एवं वृद्धि प्राप्त की जा सकती है।
- **राजनीतिक स्थिरता:**
  - इस भू-भाग के देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग संवाद एवं परस्पर समझ को बढ़ावा देकर क्षेत्र में अधिक स्थिरता और सुरक्षा का वातावरण बना सकता है।

नोट :

- **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:**
  - क्षेत्रीयता दक्षिण एशिया के लोगों के बीच अधिक सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समझ को बढ़ावा दे सकती , जिससे इस क्षेत्र में अधिक सहिष्णुता एवं सद्भाव की भावना पैदा होगी।
- **आधारभूत संरचना का विकास:**
  - क्षेत्रीय सहयोग से परिवहन और ऊर्जा परियोजनाओं जैसी आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ सकता है, जिससे कनेक्टिविटी एवं आर्थिक विकास में सुधार आ सकता है।
- **क्षेत्रीय एकीकरण:**
  - क्षेत्रीयता इस भूभाग के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को एकीकृत करने और उन्हें वैश्विक बाज़ार में अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाने में मदद कर सकती है।
- **साझा विज़न:**
  - क्षेत्रीयता की भावना दक्षिण एशिया के देशों को भविष्य के लिये एक साझा विज़न विकसित करने और सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये मिलकर कार्य करने के लिये प्रेरित करती है।

दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग की चुनौतियाँ

- **अंतर-क्षेत्रीय व्यापार का निम्न स्तर:**
  - दक्षिण एशिया का अंतर-क्षेत्रीय व्यापार विश्व स्तर पर सबसे निम्न स्तर पर है, जो इस क्षेत्र के कुल व्यापार का मात्र 5% है। 23 बिलियन डॉलर के वार्षिक अनुमानित अंतराल के साथ मौजूदा आर्थिक एकीकरण इसकी वास्तविक क्षमता का महज एक-तिहाई भाग है।
- **दक्षिण एशिया पर बाह्य प्रभाव:**
  - भारत के छोटे पड़ोसी देश बाहरी शक्तियों के साथ घनिष्ठ संबंधों के माध्यम से भारत के प्रभाव को संतुलित करने का प्रयास करते रहे हैं। अतीत में अमेरिका यह भूमिका निभा रहा था और वर्तमान में चीन यह बाह्य प्रभाव रखता है।
  - दक्षिण एशिया में और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में (हिंद महासागर में अवस्थित द्वीप राष्ट्रों सहित) हाल की चीनी कार्रवाइयों और नीतियों ने भारत के लिये अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को अत्यंत गंभीरता से लेना आवश्यक बना दिया है।
- **क्षेत्रीय मुद्दे:**
  - दक्षिण एशिया के क्षेत्रीय विवाद क्षेत्र की शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिये चुनौती बने हुए हैं।
    - इन सभी अंतर्राज्यीय विवादों में से विभिन्न क्षेत्रों पर नियंत्रण से जुड़े विवाद सशस्त्र संघर्ष की ओर ले जाने की अधिक संभावना रखते हैं।
- **वैश्विक आपूर्ति शृंखला का अक्षम प्रबंधन:**
  - दक्षिण एशिया का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एकीकरण वैश्विक औसत से कम है और यह पूर्वी एशिया की तुलना में वैश्विक मूल्य शृंखलाओं से बहुत कम एकीकृत है।
    - इस क्षेत्र के कई देशों की निम्न उत्पादकता के कारण इन देशों का निर्यात बहुत कम है।
- **राजनीतिक तनाव:**
  - क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच ऐतिहासिक संघर्ष, सीमा विवाद और जारी राजनीतिक तनाव से सहयोग एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना कठिन हो जाता है।
- **आर्थिक विषमताएँ:**
  - क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच उल्लेखनीय आर्थिक असमानताएँ व्यापार और निवेश के लिये एक समान अवसर के निर्माण को जटिल बना देती हैं।
- **आर्थिक विकास के भिन्न स्तर:**
  - दक्षिण एशिया दुनिया के कुछ सबसे अधिक आर्थिक रूप से उन्नत देशों के साथ-साथ कुछ सबसे कम विकसित देशों का क्षेत्र है। इससे एक साझा आर्थिक एजेंडा स्थापित करना कठिन हो जाता है।
- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**
  - यह क्षेत्र आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववादी आंदोलनों जैसी विभिन्न सुरक्षा चिंताओं से ग्रस्त है, जो क्षेत्रीय सहयोग एवं एकीकरण को कठिन बना सकती है।
- **बाज़ारों का छोटा आकार:**
  - इस क्षेत्र के अधिकांश देश जनसंख्या, क्षेत्रफल और सकल घरेलू उत्पाद के मामले में छोटे हैं। इससे व्यवसायों को संचालित करना और क्षेत्रीय व्यापार का फलना-फूलना कठिन हो जाता है।
- **भरोसे की कमी:**
  - क्षेत्र के विभिन्न देशों के बीच आपसी भरोसे की कमी क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण के लिये एक बड़ी बाधा है।

भारत दक्षिण एशिया के विकास का नेतृत्व कैसे कर सकता है ?

- **क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना:** भारत क्षेत्रीय व्यापार, कनेक्टिविटी एवं निवेश का लाभ उठा सकता है और क्षेत्र के लिये दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते (South Asian Free Trade Agreement) को एक 'गेमचेंजर' के रूप में सुदृढ़ कर सकता है।

नोट :

- आर्थिक गतिशीलताओं को प्रेरित करना, जो अंतर-क्षेत्रीय खाद्य व्यापार की बाधाओं को कम करेगी और क्षेत्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को प्रोत्साहित करेगी।

- **पारिस्थितिक ब्लूप्रिंट प्रदान करना:** दक्षिण एशियाई देश जैव विविधता के संरक्षण और जलवायु संकट पर कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित कर भारत के 'इको-ब्लूप्रिंट' से लाभान्वित हो सकते हैं। प्रभावी शासन और सतत विकास के बीच के संबंध को दक्षिण एशियाई देशों में भी चिह्नित किये जाने की आवश्यकता है।
- **खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करना:** क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा एक अन्य क्षेत्र है जिस ओर भविष्य के दृष्टिकोण से भारत एक प्रमुख पहल कर सकता है और खाद्य सुरक्षा के लिये इस आर्थिक ब्लॉक के एक अभिन्न सूत्रधार एवं घटक के रूप में भूमिका निभा सकता है।
  - इसके साथ ही, 'सार्क फूड बैंक' की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिये जो वर्तमान में 500,000 मीट्रिक टन से कम है।
- **उप-क्षेत्रीय पहलों को बढ़ावा देना:** भारत 'बंगाल की खाड़ी बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल' (BIMSTEC) जैसी उप-क्षेत्रीय पहलों की आयोजन क्षमता को बढ़ा सकता है।
  - सीमावर्ती क्षेत्र सीमा-पार व्यापार, परिवहन और स्वास्थ्य पर खंडवार क्षेत्रीय संवादों को आगे बढ़ाकर भारत की क्षेत्रीय संलग्नता को आकार देने में प्रभावी भागीदार हो सकते हैं।
  - भारत आवश्यक सहायता का विस्तार कर इस क्षेत्र में अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकता है और चीन के परिप्रेक्ष्य में आर्थिक एवं रणनीतिक प्रभाव हासिल कर सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण एशिया की आवाज़ को मुखर करना:** एक समूह के रूप में दक्षिण एशियाई देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिये भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दक्षिण एशिया की आवाज़ बन सकता है। एक सुरक्षित क्षेत्रीय वातावरण भारत को अपने महत्त्वाकांक्षी विकास लक्ष्यों तक पहुँचने में भी मदद करेगा।

आगे की राह

- **मौजूदा संगठनों को मज़बूत करना:** भू-भाग में 'सार्क' जैसे मौजूदा संगठन क्षेत्रीय सहयोग को महत्त्वपूर्ण रूप से आगे नहीं बढ़ा पाए हैं।
  - घरेलू भावनाओं को आर्थिक औचित्य से अलग करना और चिंताओं को संबोधित करने के लिये कूटनीति में संलग्न होना दक्षिण एशियाई देशों के लिये आगे बढ़ने की राह हो सकती है।
- **आत्मनिर्भर दक्षिण एशिया की ओर:** दक्षिण एशिया की आत्मनिर्भरता क्षेत्र में मुक्त पारगमन व्यापार के प्रस्तावों से लेकर आपूर्ति एवं रसद शृंखलाओं के विकास, डिजिटल डेटा इंटरचेंज, सिंगल-विंडो एवं डिजिटाइज्ड क्लीयरेंस सिस्टम, जोखिम मूल्यांकन एवं न्यूनीकरण उपाय, ट्रेड क्रेडिट लाइनों (जो अभी अत्यंत कम है) का व्यापक उपयोग, सघन कनेक्टिविटी, सरल सीमा-पार निरीक्षण आदि तक विस्तृत है।
- **लोगों का परस्पर जुड़ाव:** निरंतर सौहार्द एवं स्थिरता के लिये लोगों के आपसी संपर्क (People-to-people Connect) और गहरे सांस्कृतिक संबंधों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इसके अलावा, क्षेत्र के समग्र विकास के लिये बहुपक्षीय प्रतिबद्धताओं को शीघ्रता से पूरा करने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।
- **आतंकवाद से मुकाबला:** क्षेत्र के देशों को आतंकवादी नेटवर्क को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करने और उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण के लिये खुफिया जानकारी साझा करने तथा विधि प्रवर्तन पर सहयोग के स्तर में सुधार लाने की आवश्यकता है।
  - इसके अतिरिक्त, गरीबी एवं असमानता को संबोधित करना और हाशिए पर स्थित समूहों के लिये आर्थिक विकास एवं अवसरों को बढ़ावा देना चरमपंथी विचारधाराओं के प्रति आकर्षण को कम करने में मदद कर सकता है।

भारत और न्यू यूरेशिया

संदर्भ

- 'नव यूरेशिया' (New Eurasia) पद का उपयोग विभिन्न संदर्भों में किया गया है, लेकिन यह आम तौर पर यूरेशिया क्षेत्र में एक नए राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक सरेखण के विचार को संदर्भित करता है।
- इसमें क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति के रूप में रूस के फिर से उभरने, क्षेत्र के विभिन्न देशों के एक बड़े आर्थिक एवं राजनीतिक ब्लॉक में एकीकृत होने या क्षेत्र में नए सांस्कृतिक या वैचारिक रुझानों के उद्भव जैसे विचार शामिल हैं।
- नव यूरेशिया की अवधारणा प्राय: 'यूरेशियन यूनियन' के विचार से भी संबद्ध है जिसमें पूर्व के सोवियत गणराज्य शामिल हैं। हालाँकि इस शब्द का अर्थ और दायरा उस संदर्भ के आधार पर भिन्न हो सकता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है।

एशिया और यूरोप के बीच बदलती भू-राजनीति क्या है?

- हिमालय की सीमा पर चीन की ओर से भारत की बढ़ती सुरक्षा चुनौतियाँ और भारत की महाद्वीपीय रणनीति आने वाले समय में कठोर होती जाएगी।

नोट :

- दूसरी ओर, अमेरिका और यूरोप के साथ-साथ जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ साझेदारी में भारत की सामरिक क्षमताओं को सुदृढ़ करने की संभावनाएं कभी भी इतनी प्रबल नहीं रही थीं।

- जापान यूरोप के साथ मज़बूत सैन्य साझेदारी के निर्माण के लिये दृढ़ संकल्पित है। जापान के लिये यूरोप और हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा अविभाज्य विषय-वस्तु है।
- दक्षिण कोरिया भी यूरोप में अपनी उपस्थिति बढ़ाकर इस नए समीकरण में शामिल हो रहा है। उदाहरण के लिये, वह पोलैंड में प्रमुख हथियार प्लेटफॉर्म की बिक्री कर रहा है।
- ऑस्ट्रेलिया 'AUKUS' व्यवस्था में अमेरिका एवं यूके के साथ शामिल हुआ है और यूरोप को हिंद-प्रशांत में लाने के लिये समान रूप से उत्सुक है।
  - जापान, दक्षिण कोरिया एवं ऑस्ट्रेलिया एक साथ एशिया और यूरोप के बीच की खाई को पाट रहे हैं, जिन्हें कभी अलग-अलग भू-राजनीतिक क्षेत्रों के रूप में देखा जाता था।
- इसके साथ ही, यूक्रेन में रूस के युद्ध और रूस एवं चीन के बीच गठबंधन के कारण एशिया और यूरोप के बीच साझेदारी बढ़ी है।

यूरेशिया के उभार से संबद्ध चुनौतियाँ

- **देशों का बढ़ता आर्थिक प्रभाव:**
  - एक प्रमुख बदलाव यह आया है कि चीन और रूस जैसे देशों की आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति बढ़ रही है।
    - चीन की 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' (BRI) एक विशाल बुनियादी ढाँचा परियोजना है जो कई देशों तक विस्तृत है और इसने चीन को अपने आर्थिक प्रभाव के विस्तार तथा प्राकृतिक संसाधनों तक सुरक्षित पहुँच का अवसर दिया है।
    - इस दौरान रूस ने अपने ऊर्जा संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में बढ़त हासिल करने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिये किया है।
- **विभिन्न देशों के बीच बढ़ता तनाव:**
  - उदाहरण के लिये, सीरिया में चल रहे संघर्ष ने तुर्की और रूस के बीच के संबंधों को बाधित किया है और इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका एवं अन्य देशों के बीच के संबंधों को भी तनावपूर्ण बना दिया है।
  - इसके साथ ही, यूक्रेन में जारी संघर्ष और दक्षिण चीन सागर में क्षेत्रीय विवादों के कारण पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।
- **राजनीतिक परिवर्तन:**
  - इस भूभाग में आए राजनीतिक परिवर्तनों, जैसे ब्रेक्ज़िट (Brexit) और यूरोप में लोकलुभावन आंदोलनों के उदय का भी यूरेशिया की गतिशीलता पर प्रभाव पड़ा है।
  - कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन परिवर्तनों से क्षेत्र के शक्ति संतुलन में बदलाव आ सकता है, जिसके अंतर्राष्ट्रीय संबंधों एवं व्यापार पर संभावित प्रभाव पड़ सकते हैं।

नव यूरेशिया के उभार के भारत के लिये निहितार्थ

- **समुद्री और महाद्वीपीय शक्तियों को संतुलित करना कठिन:**
  - अभी तक, एक ओर भारत समुद्री गठबंधन (हिंद-प्रशांत में क्वाड) के साथ आसानी से सहयोग कर सकता था तो दूसरी ओर रूस एवं चीन के नेतृत्व वाले महाद्वीपीय गठबंधन के साथ भी भी समानांतर रूप से आगे बढ़ सकता था।
  - लेकिन अब, एक ओर अमेरिका, यूरोप और जापान तो दूसरी ओर चीन और रूस के बीच के संघर्ष में भारत के लिये इन दोनों पक्षों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में चुनौती उत्पन्न होगी।
- **चीन की ओर से सुरक्षा चुनौतियाँ:**
  - चीन के क्षेत्रीय दावे और हिमालय क्षेत्र में उसका सैन्य विस्तार प्रमुख चुनौतियों में से एक है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है।
  - इसके अतिरिक्त, चीन के आर्थिक एवं सैन्य उभार ने हिंद महासागर क्षेत्र में (जो भारत के लिये सामरिक महत्त्व रखता है) शक्ति प्रदर्शन करने की उसकी क्षमता को लेकर नवीन चिंताओं को जन्म दिया है।
  - इसके अलावा, 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' के माध्यम से पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव ने भारत को घेरने और उसकी सुरक्षा के लिये संभावित खतरों के रूप में चिंता उत्पन्न की है।
- **चीन और रूस के बीच सहयोग:**
  - इसमें चीन और रूस के पक्ष में क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बदलने की क्षमता है, जिसके भारत की सुरक्षा और सामरिक हितों के लिये नकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, चीन और रूस के बीच बढ़ते सहयोग से सैन्य एवं आर्थिक समन्वय में वृद्धि हो सकती है, जो इस क्षेत्र में भारत की स्थिति को और चुनौती दे सकती है।
  - चीन और रूस का गहन संबंध उन्हें आतंकवाद-रोध, संयुक्त राष्ट्र शांति व्यवस्था एवं क्षेत्रीय स्थिरता जैसे प्रमुख मुद्दों पर

नोट :

भारत का विरोध करने के लिये प्रेरित कर सकता है, जो फिर वैश्विक मंच पर भारत के अपने हितों को आगे बढ़ाने की क्षमता को सीमित करेगा।

नव यूरेशिया के उभार के युग में भारत अपने हितों की रक्षा कैसे कर सकता है?

- **मज़बूत आर्थिक संबंधों का निर्माण:**
  - भारत को क्षेत्र के अन्य देशों के साथ, विशेष रूप से जो देश BRI में भागीदारी नहीं कर रहे हैं, अपने आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में कार्य करना चाहिये ताकि व्यापार एवं निवेश के लिये वैकल्पिक विकल्प तैयार किये जा सकें।
- **कूटनीतिक संलग्नता:**
  - चीन और रूस के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिये भारत को क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मज़बूत संबंधों के निर्माण के लिये कूटनीतिक प्रयासों में शामिल होना चाहिये।
    - इसमें अमेरिका, जापान और क्षेत्र के अन्य देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाना शामिल हो सकता है।
- **सैन्य सहयोग:**
  - भारत को क्षेत्र के अन्य देशों के साथ अपने सैन्य सहयोग को भी प्रबल करना चाहिये, विशेष रूप से उन देशों के साथ जो चीन के क्षेत्रीय दावों और सैन्य विस्तार को लेकर साझा चिंताएँ रखते हैं।
- **सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना:**
  - भारत को किसी विशिष्ट गुट या शक्ति संरचना के साथ गठबंधन करने से बचते हुए अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखनी चाहिये।
- **घरेलू उत्पादन में निवेश:**
  - भारत को आयात पर निर्भरता कम करने और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिये घरेलू उत्पादन एवं प्रौद्योगिकी में निवेश पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

आगे की राह

- **महाद्वीपीय और समुद्री हितों को सुनिश्चित करना:**
  - यह प्रकट है कि भारत के पास एक के ऊपर दूसरे को चुनने की का खुला अवसर नहीं होगा; इसे समुद्री क्षेत्र में अपने हितों की अनदेखी किये बिना अपने महाद्वीपीय हितों को आगे बढ़ाने के लिये रणनीतिक दृष्टि हासिल करने तथा आवश्यक संसाधनों की तैनाती करने की आवश्यकता होगी।
    - इसके लिये मध्य एशिया के भागीदारों (ईरान और रूस) के साथ कार्य करते हुए और शंघाई सहयोग संगठन (SCO), यूरेशियाई आर्थिक संघ (EAEU) एवं सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन (CSTO) से तय होते आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी एजेंडे के अधिक सक्रिय रूप से संलग्नता रखते हुए महाद्वीपीय अधिकारों (पारगमन एवं पहुँच) हेतु अधिक मुखर प्रयास करने की आवश्यकता होगी।
- **मध्य एशियाई देशों की केंद्रीयता:**
  - चीन महाद्वीपीय यूरेशिया पर दीर्घकालिक रणनीतिक लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है, लेकिन इसके समुद्री विस्तारवादी लाभ को पलटना अपेक्षाकृत आसान है।
    - दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के संगठन/आसियान (ASEAN) की तरह हिंद-प्रशांत के लिये भी केंद्रीयता महत्त्वपूर्ण है। यूरेशिया के लिये मध्य एशियाई राज्यों की केंद्रीयता महत्त्वपूर्ण होनी चाहिये।
  - भारत को मध्य एशियाई देशों के साथ सुदृढ़ आर्थिक एवं राजनयिक संबंध विकसित करने पर ध्यान देना चाहिये।
    - इसके तहत क्षेत्र में व्यापार एवं निवेश की वृद्धि के साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर सहयोग को बढ़ावा देना शामिल हो सकता है।
- **आर्थिक और व्यापारिक संबंधों का विस्तार:**
  - भारत इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (International North-South Transport Corridor) और चाबहार बंदरगाह परियोजना जैसी पहलों के साथ विस्तारित करने का भी प्रयास कर सकता है।

POCSO अधिनियम के कार्यान्वयन में समस्याएँ

संदर्भ

भारत के संविधान में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिये कई उपबंधों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही, भारत 'बाल अधिकारों पर अभिसमय' (Convention on the Rights of the Child) और 'बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बाल अधिकार अभिसमय के वैल्पिक प्रोटोकॉल' (Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography) जैसे ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय उपायों का भी हस्ताक्षरकर्ता है। हालाँकि, भारत में बाल यौन शोषण के विरुद्ध किसी समर्पित उपबंध का अभाव है।

नोट :

- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences- POCSO) अधिनियम (2012) 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ, जिसे बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (वर्ष 1992) के भारत के अनुसमर्थन के परिणामस्वरूप अधिनियमित किया गया। इस विशेष कानून का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण और उनके प्रति यौन दुर्व्यवहार जैसे अपराधों को संबोधित करना था, जिन्हें या तो विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया था या पर्याप्त रूप से दंडात्मक नहीं बनाया गया था।

POCSO अधिनियम की कुछ महत्त्वपूर्ण बातें

- **लिंग-तटस्थ प्रकृति:**
  - अधिनियम चिह्नित करता है कि बालक एवं बालिकाएँ दोनों ही यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और यह, चाहे पीड़ित किसी भी लिंग का हो, ऐसे कृत्यों को अपराध मानता है।
  - यह इस सिद्धांत के अनुरूप है कि सभी बच्चों को यौन दुर्व्यवहार एवं शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है और कानूनों को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिये।
  - हालाँकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने पीड़ित बालक और बालिकाओं पर अलग-अलग डेटा प्रकाशित नहीं किया है, छत्तीसगढ़ में पाया गया कि POCSO के प्रत्येक 1,000 मामलों में पीड़ित बालकों की संख्या लगभग आठ थी (0.8%)।
    - यह दर्शाता है कि बालकों का यौन शोषण भी एक गंभीर मुद्दा है जो काफी हद तक रिपोर्ट नहीं की जाती है और अधिनियम द्वारा इसे भी संबोधित करने का प्रयास किया गया है।
- **मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी:**
  - न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थानों द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिये अब पर्याप्त सामान्य जागरूकता पाई जाती है, जहाँ मामलों की गैर-रिपोर्टिंग को भी POCSO अधिनियम के तहत एक विशिष्ट अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इससे बच्चों के विरुद्ध अपराधों को छिपाना अब तुलनात्मक रूप से कठिन हो गया है।
- **विभिन्न शब्दों की स्पष्ट परिभाषा:**
  - अधिनियम के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण को एक नया अपराध बनाया गया है।
  - भारतीय दंड संहिता में मौजूद 'किसी महिला के शील को भंग करना' (Outraging Modesty Of A Woman) की अमूर्त परिभाषा के विपरीत इस अधिनियम में 'यौन दुर्व्यवहार' के कृत्य को स्पष्ट शब्दों में (न्यूनतम सज़ा में वृद्धि के साथ) परिभाषित किया गया है।

प्रमुख संबंधित पहलें

- बाल दुर्व्यवहार रोकथाम और अन्वेषण इकाई
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015
- बाल विवाह निषेध अधिनियम (वर्ष 2006)
- बाल श्रम निषेध और विनियमन अधिनियम, 2016

POCSO अधिनियम से संबद्ध समस्याएँ

- **जाँच से जुड़ी समस्या:**
  - **पुलिस बल में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व:**
    - POCSO अधिनियम में प्रावधान है कि एक महिला उप-निरीक्षक द्वारा प्रभावित बच्चे का बयान बच्चे के निवास स्थान या पसंद के स्थान पर दर्ज किया जाएगा।
    - लेकिन इस प्रावधान का पालन करना व्यावहारिक रूप से असंभव हो जाता है जब पुलिस बल में महिलाओं की संख्या मात्र 10% है और कई पुलिस थानों में शायद ही कोई महिला कर्मी उपस्थित होती है।
  - **जाँच में चूक:**
    - यद्यपि बयान दर्ज करने के लिये ऑडियो-वीडियो माध्यमों का उपयोग करने का प्रावधान है, फिर भी कुछ मामलों में जाँच में एवं अपराध स्थलों के संरक्षण के मामले में चूक की ख़बरें मिलती रही हैं।
    - शफी मोहम्मद बनाम स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश (वर्ष 2018) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जघन्य अपराधों के मामलों में यह जाँच अधिकारी का कर्तव्य है कि वह अपराध स्थल की फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी करे और साक्ष्य के रूप में इसे संरक्षित करे।
    - इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की अखंडता सुनिश्चित करने के लिये उचित अवसंरचना के अभाव में किसी भी ऑडियो-वीडियो माध्यम का उपयोग कर रिकॉर्ड किये गए साक्ष्य की न्यायालय के समक्ष स्वीकार्यता (admissibility) हमेशा एक चुनौती बनी रहेगी।
  - **न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा परीक्षण नहीं:**
    - अधिनियम का एक अन्य प्रावधान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अभियोजक/अभियोक्त्री के बयान की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाता है।

नोट :

- यद्यपि अधिकांश मामलों में इस तरह के बयान दर्ज किये जाते हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान न तो न्यायिक मजिस्ट्रेट को क्रॉस-एग्जामिनेशन के लिये बुलाया जाता है और न ही अपने बयान से मुकरने वालों को दंडित किया जाता है। इस परिदृश्य में ऐसे दर्ज बयान प्राय: निरस्त हो जाते हैं।

- **आयु निर्धारण का मुद्दा:**
  - यद्यपि किशोर अपराधी का आयु निर्धारण किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम द्वारा निर्देशित है, किशोर पीड़ितों के लिये POCSO अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
    - जरनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य (वर्ष 2013) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रदत्त वैधानिक प्रावधान को अपराध के शिकार हुए किसी बच्चे के लिये उसकी आयु निर्धारित करने में भी सहयोगी आधार होना चाहिये।
    - हालाँकि, कानून में किसी भी बदलाव या विशिष्ट निर्देशों के अभाव में जाँच अधिकारी अभी भी स्कूल प्रवेश-त्याग रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि पर ही भरोसा बनाये हुए हैं।
    - अधिकांश मामलों में माता-पिता (अस्पताल के या किसी अन्य प्रामाणिक रिकॉर्ड के अभाव में) न्यायालय में आयु का बचाव करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं।
  - चिकित्सकीय मत के आधार पर आयु का अनुमान आम तौर पर इतना व्यापक होता है कि अधिकांश मामलों में अल्प-वयस्कों को वयस्क साबित कर दिया जाता है।
    - अल्प-वयस्क के व्यस्क साबित होने के बाद सहमति या यौन अंगों पर आघात न लगने के आधार पर दोषी के बरी होने की संभावना बढ़ जाती है।
- **आरोप-पत्र दाखिल करने में देरी:**
  - POCSO अधिनियम के अनुसार, अधिनियम के तहत दर्ज मामले की जाँच अपराध होने या अपराध की रिपोर्टिंग की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पूरी कर ली जानी है।
  - हालाँकि, व्यवहारिक रूप से पर्याप्त संसाधनों की कमी, फोरेंसिक साक्ष्य प्राप्त करने में देरी या मामले की जटिलता जैसे विभिन्न कारणों से जाँच पूरी होने में प्राय: एक माह से अधिक का समय लगता है।
  - इसके परिणामस्वरूप आरोप-पत्र दायर करने और सुनवाई शुरू होने में देरी की स्थिति बन सकती है, जो फिर पीड़ित के लिये न्याय की गति एवं प्रभावशीलता को प्रभावित कर सकता है।
- **हाल ही में बने यौन संबंध को साबित करने के लिये शर्त आरोपित नहीं:**
  - न्यायालयों को यह विचार करने की आवश्यकता होती है कि अभियुक्त ने POCSO अधिनियम के तहत अपराध किया है।
  - भारतीय साक्ष्य अधिनियम (जहाँ अभियोजन पक्ष को साबित करना होता है कि हाल में यौन संबंध बना और इसमें अभियोक्त्री की सहमति शामिल थी) के विपरीत POCSO अधिनियम अभियोजन पक्ष पर कोई शर्त आरोपित नहीं करता है।
  - हालाँकि, यह देखा गया है कि पीड़ित/पीड़िता की नाबालिग उम्र साबित होने के बाद भी न्यायालय द्वारा सुनवाई के दौरान ऐसे किसी अनुमान पर विचार नहीं किया जाता है।
  - ऐसे परिदृश्यों में दोषसिद्धि दर में अपेक्षित वृद्धि प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

आगे की राह

- **पर्याप्त संसाधन:**
  - सरकार को POCSO संबंधी मामलों से संलग्न जाँच एजेंसियों को धन और कर्मियों जैसे पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने चाहिये। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मामले की जाँच समयबद्ध और कुशल तरीके से की जाए।
- **जाँच अधिकारियों के लिये प्रशिक्षण:**
  - POCSO मामलों का प्रबंधन करने वाले जाँच अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये। इसमें साक्ष्य एकत्र करने एवं संरक्षित करने, बाल पीड़ितों एवं गवाहों के बयान लेने और POCSO अधिनियम की कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु उचित तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल हो सकता है।
- **POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायालय:**
  - POCSO मामलों के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि मामलों को त्वरित गति और कुशलता से संभाला जाएगा। इससे सुनवाई की प्रक्रिया में तेज़ी लाने में भी मदद मिलेगी, जो पीड़ित और उनके परिवार के लिये महत्त्वपूर्ण हो सकता है।
- **समयबद्ध चिकित्सकीय परीक्षण:**
  - हाल ही में यौन संबंध की पुष्टि करने के लिये दुर्व्यवहार की घटना के तुरंत बाद, जितनी जल्दी हो सके, पीड़ित बच्चे की चिकित्सकीय जाँच की जानी चाहिये।

नोट :

- **जन जागरूकता:**
  - POCSO अधिनियम, बाल यौन शोषण की रिपोर्टिंग के महत्त्व और बाल पीड़ितों के अधिकारों के संबंध में जन जागरूकता के प्रसार से मामलों की रिपोर्टिंग में वृद्धि और जाँच प्रक्रिया में सुधार लाने में मदद मिल सकती है।
- **अंतर-एजेंसी समन्वय:**
  - पुलिस, बाल कल्याण समिति और चिकित्सा पेशेवरों जैसी विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि मामलों को व्यापक एवं समन्वित तरीके से संभाला जाएगा।
- **निगरानी और समीक्षा:**
  - सरकार को निगरानी और समीक्षा की एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिये ताकि सुनिश्चित हो सके कि मामलों की जाँच POCSO अधिनियम के अनुरूप की जा रही और बाल पीड़ितों के अधिकार संरक्षित किये जा रहे हैं।

पंचायत स्तर पर स्वायत्तता

संदर्भ

73वें और 74वें संशोधन अधिनियम— जिन्होंने स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, के तीन दशक से भी अधिक समय के बाद भी राज्य सरकारों द्वारा स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से पंचायतों पर पर्याप्त विवेकाधीन अधिकार एवं प्रभाव का प्रयोग किया जाना जारी है।

- भारत में स्थानीय निर्वाचित कार्यकारियों की शक्तियाँ राज्य सरकारों और स्थानीय नौकरशाहों द्वारा कई तरीकों से गंभीर रूप से नियंत्रित हैं, जिससे स्थानीय निकायों को सशक्त बनाने हेतु व्यक्त संवैधानिक संशोधनों की भावना को तनु कर दिया गया है।

पंचायत के कार्यकरण से संबद्ध प्रमुख समस्याएँ

- **वित्तीय स्वायत्तता का अभाव:**
  - ग्राम पंचायतें अपनी दैनिक गतिविधियों के लिये राज्य और केंद्र से मिलने वाले अनुदान (विवेकाधीन एवं गैर-विवेकाधीन अनुदान) पर आर्थिक रूप से निर्भर बनी रहती हैं।
  - पंचायतों के पास धन के मुख्यत: तीन मुख्य स्रोत होते हैं:
    - राजस्व के अपने स्रोत: यह पंचायत की निधियों का एक छोटा सा भाग होता है। उदाहरण के लिये: स्थानीय कर, सामान्य संपत्ति संसाधनों से प्राप्त राजस्व आदि।
    - पंचायतों के लिये विवेकाधीन अनुदान तक पहुँच राजनीतिक और नौकरशाही संबंधों पर निर्भर करती है।
    - **विवेकाधीन या योजना-आधारित निधि:**
    - भारत में इन निधियों के साथ एक प्रमुख समस्या यह है कि वे प्राय: कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार से ग्रस्त होते हैं। यह स्थिति तब बनती है जब सरकारी अधिकारी व्यक्तिगत लाभ के लिये इन निधियों का दुरुपयोग करते हैं या जब इन निधियों का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिये नहीं किया जाता है।
  - यहाँ तक कि जब सरकार के उच्च स्तर से स्थानीय सरकारों को धन आवंटित किया जाता है, तब भी सरपंचों को उन तक पहुँच के लिये सहायता की आवश्यकता होती है। पंचायत खातों में स्वीकृत धन का सुस्त हस्तांतरण स्थानीय विकास को बाधित करता है।
- **अनुमोदन की धीमी प्रक्रिया:**
  - सरकारें स्थानीय नौकरशाही के माध्यम से स्थानीय सरकारों को नियंत्रित रखती हैं।
  - सार्वजनिक निर्माण परियोजनाओं के अनुमोदन के लिये प्राय: तकनीकी स्वीकृति (इंजीनियरिंग विभाग की ओर से) और ग्रामीण विकास विभाग के स्थानीय अधिकारियों (जैसे खंड विकास अधिकारी की ओर से) से प्रशासनिक अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
  - सरपंचों को सरकारी कार्यालयों का बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है और स्थानीय नौकरशाहों की बाट जोहनी पड़ती है।
  - स्थानीय कर्मचारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रख सकने की सरपंचों की क्षमता भी सीमित है।
    - कई राज्यों में पंचायत को रिपोर्ट करने वाले स्थानीय पदाधिकारियों (जैसे ग्राम चौकीदार या सफाई कर्मचारी) की भर्ती ज़िला या प्रखंड स्तर पर की जाती है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप:**
  - अन्य स्तरों पर निर्वाचित अधिकारियों के विपरीत, सरपंचों को पदावधि के दौरान बर्खास्त किया जा सकता है।
  - कई राज्यों में ग्राम पंचायत अधिनियमों ने ज़िला स्तर के नौकरशाहों, प्राय: ज़िला कलेक्टरों को आधिकारिक कदाचार के आधार पर सरपंचों के विरुद्ध कार्रवाई की शक्ति सौंप रखी है।
    - उदाहरण के लिये, तेलंगाना ग्राम पंचायत अधिनियम जिला कलेक्टरों को निवर्तमान सरपंचों को निलंबित और बर्खास्त करने की अनुमति देता है।
  - देश भर में नौकरशाहों द्वारा सरपंचों को पद से बर्खास्त करने के लगातार दृष्टांत प्राप्त होते रहे हैं, जो केवल एक कानूनी प्रावधान भर नहीं है।

नोट :

- तेलंगाना में हाल के वर्षों में 100 से अधिक सरपंचों को पद से बर्खास्त किया गया है।

- **प्रशिक्षित कर्मियों की कमी:**
  - प्रशिक्षित कर्मियों की कमी भारत में पंचायतों के समक्ष मौजूद एक प्रमुख समस्या है।
  - कई पंचायत सदस्यों के पास अपने समुदायों के प्रभावी शासन के लिये आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल की कमी होती है।
  - इससे पंचायतों के कार्यकरण में गलत निर्णयन, जवाबदेही की कमी और अक्षमता जैसी स्थिति बन सकती है ।
  - प्रशिक्षण की इस कमी के कुछ प्रमुख कारणों में शामिल हैं:
    - पंचायत सदस्यों के लिये, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में प्रशिक्षण के अवसरों तक सीमित पहुँच।
    - पंचायत सदस्यों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण हेतु बजट आवंटन की अपर्याप्तता।
    - प्रभावी प्रशासन के लिये प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के महत्त्व के बारे में पंचायत सदस्यों के बीच सीमित जागरूकता।
- **अपर्याप्त भागीदारी:**
  - पंचायत की बैठकों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में प्राय: नागरिकों की भागीदारी कम होती है।
  - बैठकों के बारे में जागरूकता की कमी, सरकार या स्थानीय नेताओं में विश्वास की कमी, भागीदारी के लिये नागरिकों के पास समय या संसाधनों की कमी या चर्चा के मुद्दों में रुचि की कमी कुछ अन्य संभावित कारण हैं जो भागीदारी को कम करते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, कुछ नागरिकों में इस भरोसे की कमी हो सकती है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी या उनकी चिंताओं को दूर किया जाएगा, जिससे वे भागीदारी के लिये हतोत्साहित हो सकते हैं।
- **भ्रष्टाचार:**
  - कई पंचायतों में भ्रष्टाचार एक प्रमुख समस्या है, जहाँ धन और संसाधनों का दुरुपयोग या गबन किया जाता है।
  - स्थानीय सरकारी अधिकारी, जैसे भूमि रिकॉर्ड और भवन परमिट के प्रभारी, प्राय: भ्रष्ट आचरण (जैसे सेवाओं के बदले रिश्वत लेना) में संलग्न होते हैं।
  - यह विलंब और नागरिकों के लिये लागत में वृद्धि की स्थिति उत्पन्न कर सकता है तथा यह भूमि एवं अन्य संसाधनों के अवैध अधिग्रहण में भी योगदान दे सकता है।
  - इसके अतिरिक्त, स्थानीय स्तर पर भ्रष्टाचार आर्थिक विकास और स्वास्थ्य सेवा एवं शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं के वितरण को बाधित कर सकता है।
- **लैंगिक पक्षपात:**
  - महिलाओं और वंचित समूहों को पंचायतों में प्राय: कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है तथा उन्हें भागीदारी और निर्णयन के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ता है।
  - पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी के लिये एक प्रमुख बाधा सामाजिक दृष्टिकोण है जो महिलाओं को पुरुषों की तुलना में हीन और कम सक्षम के रूप में देखता है।
    - इससे उन महिलाओं के लिये समर्थन की कमी की स्थिति बनती है जो पंचायत का नेतृत्व करना चाहती हैं और यह उनके लिये आवश्यक कौशल एवं अनुभव प्राप्त करना कठिन बना सकता है।
  - पंचायत में महिलाओं के लिये आरक्षित सीटों की कमी एक अन्य प्रमुख बाधा है।
    - हालाँकि भारत ने पंचायत राज संस्थानों में महिलाओं के लिये आरक्षण की शुरुआत की है, लेकिन आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है और सभी राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है।

अन्य प्रमुख पहलें

- **'स्वामित्व' योजना:**
  - प्रत्येक ग्रामीण परिवार के स्वामी को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के लिये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas- SVAMITVA) योजना शुरू की गई थी।
- **ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:**
  - ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिये एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग है।
- **संपत्ति की जियो-टैगिंग:**
  - मंत्रालय ने एक मोबाइल आधारित समाधान "mAction-Soft" विकसित किया है जो उन कार्यों के लिये जियो-टैग (यानी जीपीएस निर्देशांक) के साथ फोटो लेने में मदद करता है, जिनके पास आउटपुट के रूप में आस्तियाँ होती हैं।

नोट :

- **सिटीज़न चार्टर:**
  - सेवाओं के मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति पंचायती राज संस्थानों (PRI) की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिये, मंत्रालय ने "मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवा हमारे द्वार" के नारे के साथ नागरिक चार्टर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिये मंच प्रदान किया है।
- **संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2022-23 से 2025-26):**
  - संशोधित RGSA की योजना का मुख्य ध्यान पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के जीवंत केंद्रों के रूप में पुन:कल्पना करने पर है जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यस्तरीय विभागों तथा अन्य हितधारकों के सुदृढ़ एवं सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए ज़मीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (LSDG) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

आगे की राह

- **पंचायतों के लिये केंद्र और राज्य सरकार के आवंटन में वृद्धि करना:**
  - मध्यस्थों के माध्यम से धन हस्तांतरण के बजाय पंचायतों को प्रत्यक्षत: धन का हस्तांतरण किया जा सकता है।
- **निर्णयन प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण:**
  - पंचायतों को धन के आवंटन और उपयोग के बारे में स्वयं निर्णय लेने का अधिकार सौंपा जाना चाहिए बजाय इसके कि सरकार के उच्च स्तरों द्वारा उनके लिये निर्णय लिये जाएँ।
- **पंचायतों का क्षमता निर्माण:**
  - पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों के लिये प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से इसे साकार किया जा सकता है ताकि वे वित्तीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने और विकास परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम हो सकें।
- **लैंगिक पक्षपात को संबोधित करना:**
  - पंचायत स्तर पर लैंगिक पूर्वाग्रह को संबोधित किया जाना चाहिए। इसके लिये पंचायत का नेतृत्व करने की इच्छुक महिलाओं के लिये प्रशिक्षण एवं संसाधन प्रदान करना और लैंगिक असमानता को बनाए रखने वाले सांस्कृतिक दृष्टिकोण को संबोधित करना आवश्यक है।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना:**
  - नियमित बैठकों के आयोजन, सूचना के प्रसार, ई-गवर्नेंस प्रणाली को लागू करने, सूचनादाता/व्हिसलब्लोअर की सुरक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है।

भारत की शहरीकरण नीतियों में कमियाँ

संदर्भ

हरित, स्मार्ट, समावेशी और सतत् शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिये भारतीय शहरों को बड़ी मात्रा में वित्तपोषण की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से शहरी स्थानीय निकायों, विशेष रूप से बड़े और क्रेडिट योग्य निकायों के लिये, निजी स्रोतों से अधिक उधार ले सकने हेतु एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करना महत्त्वपूर्ण है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि शहर अपनी बढ़ती आबादी के जीवन स्तर में संवहनीय तरीके से सुधार लाने में सक्षम हैं।

- शहरी पूंजीगत व्यय के लिये लगभग 48%, 24%, और 15% धन क्रमश: केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों से प्राप्त होता है। इसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाएँ का योगदान 3% और वाणिज्यिक ऋण का योगदान 2% है।
- विश्व बैंक का अनुमान है कि आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिये शहरी भारत में निवेश हेतु लगभग 840 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी और इसमें 55 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता प्रतिवर्ष होगी।
- पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न रिपोर्टों में शहरी अवसंरचना के वित्तपोषण की भारी मांग का अनुमान लगाया गया है; उदाहरण के लिये, ईशर जज अहलूवालिया के नेतृत्व में तैयार भारतीय शहरी अवसंरचना और सेवाओं पर रिपोर्ट (Report on Indian Urban Infrastructure and Services) में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक लगभग 39.2 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी।

भारत में शहरी वित्तपोषण से संबंधित प्रमुख समस्याएँ

- **अवसंरचना एवं आवास परियोजनाओं के लिये पर्याप्त वित्तपोषण की कमी:**
  - इस प्रकार की परियोजनाओं के लिये आवंटित सरकारी बजट की सीमितता एक प्रमुख समस्या है।
  - इसके अतिरिक्त, नौकरशाही की देरी और भ्रष्टाचार भी अवसंरचना एवं आवास परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने में भूमिका निभाते हैं।
- **दीर्घावधिक वित्तपोषण विकल्पों का अभाव:**
  - शहरी विकास के लिये एक स्पष्ट और स्थिर नीतिगत ढाँचे की कमी एक प्रमुख चुनौती है, जिससे निवेशकों के लिये अपने निवेश पर रिटर्न या प्रतिफल का आकलन करना कठिन हो जाता है।

नोट :

- इसके साथ ही, भारत में कई शहरी विकास परियोजनाएँ नौकरशाही की देरी और पारदर्शिता की कमी से ग्रस्त हैं जो फिर उन्हें निवेशकों के लिये अनाकर्षक बना सकती हैं।
- सरकार के पास धन की कमी भी दीर्घकालिक वित्तपोषण विकल्प प्रदान करना कठिन बनाती है।

- **सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच समन्वय की कमी:**
  - भारत में शहरीकरण ने सरकार के विभिन्न स्तरों, विशेषकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच, समन्वय की कमी को जन्म दिया है।
  - इसके परिणामस्वरूप सामंजस्यपूर्ण शहरी नियोजन की कमी, अपर्याप्त आधारभूत संरचना और उपयुक्त आवास एवं परिवहन की कमी जैसी स्थिति बनी है।
  - नगर निकायों और अन्य स्थानीय सरकारी निकायों के बीच प्राय: संवाद एवं सहयोग की कमी पाई जाती है, जिससे भारत में शहरीकरण की समस्याओं को संबोधित करने में और चुनौतियाँ सामने आती हैं।
- **निजी क्षेत्र के निवेशकों की भागीदारी की कमी:**
  - इसका एक प्रमुख कारक भूमि अधिग्रहण और विकास के संबंध में स्पष्ट एवं सुसंगत सरकारी नीतियों एवं विनियमों की कमी है।
  - यह निजी निवेशकों के लिये अनिश्चितता एवं जोखिम पैदा कर सकता है, जो अपनी परियोजनाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों एवं विनियमों की स्पष्ट समझ के बिना निवेश करने में संकोच कर सकते हैं।
  - इसके अतिरिक्त, अपर्याप्त आधारभूत संरचना और बुनियादी सेवाओं की कमी (जैसे अबाध बिजली एवं स्वच्छ जल) निजी निवेशकों के लिये शहरी क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास एवं संचालन को कठिन बना सकती हैं।

शहरीकरण से संबद्ध अन्य प्रमुख समस्याएँ

- **भीड़भाड़ और जगह की कमी:**
  - तीव्र शहरीकरण के कारण शहरों में जनसंख्या घनत्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे भीड़भाड़, ट्रैफिक जाम और अवसंरचना पर दबाव जैसी स्थिति बनी है।
  - शहरी क्षेत्रों में भूमि और आवास की उच्च लागत ने निम्न आय वाले परिवारों के लिये किफायती आवास पाना कठिन बना दिया है।
- **पर्यावरणीय क्षरण:**
  - शहरीकरण की तीव्र गति ने प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ाया है और पर्यावरणीय क्षरण का कारण बना है जिसमें वायु एवं जल प्रदूषण, हरित स्थानों की हानि जैसी स्थितियाँ शामिल हैं।
- **अपर्याप्त आधारभूत संरचना:**
  - भारत के कई शहर आधारभूत संरचना की कमी (साफ-सफाई की कमी, स्वच्छ जल एवं बिजली तक पहुँच की कमी, सार्वजनिक परिवहन के सीमित विकल्प आदि) का सामना कर रहे हैं।
- **सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ:**
  - शहरीकरण ने अमीर और गरीब के बीच की खाई को चौड़ा कर दिया है, जहाँ कई निम्न-आय परिवार झुग्गियों एवं असंगठित बस्तियों में रहने को बाध्य हैं।
- **शहरी बाह्य विस्तार (Urban Sprawl):**
  - तीव्र शहरीकरण से शहरी बाह्य विस्तार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यह शहरों का उनकी सीमाओं से परे विस्तार है (जो प्राय: अनियोजित या बेतरतीब होता है), जिसके परिणामस्वरूप कृषि भूमि और प्राकृतिक पर्यावासों की हानि होती है।

अन्य संबंधित पहलें

- अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत/AMRUT)
- प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
- क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0
- ट्यूलिप-द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम
- आत्मनिर्भर भारत अभियान

आगे की राह

- **लोगों से जुड़ना:**
- शहरी संदर्भ में, लोगों के साथ संलग्न होते हुए और उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए नीचे के स्तर से योजनाएँ बनाई जानी चाहिये।
  - शहरीकरण में लोगों से संलग्न होने का एक तरीका यह होगा कि उन्हें अपने समुदायों के लिये योजना और विकास प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
  - इसमें सार्वजनिक बैठकें एवं कार्यशालाएँ आयोजित करना, सर्वेक्षणों एवं फोकस समूहों के माध्यम से प्रतिक्रियाएँ एकत्र करना और स्थानीय नेताओं एवं संगठनों के साथ जुड़ना शामिल हो सकता है।
    - 74वें संविधान संशोधन की समीक्षा के लिये के.सी. शिवरामकृष्णन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय कार्यबल ने लोगों को सशक्त करने, विभिन्न विषयों को शहर की सरकारों को हस्तांतरित करने, शहरों से एकत्र किये गए

नोट :

आयकर का 10% भाग उन्हें वापस सौंपने (और सुनिश्चित करने कि इस कॉर्पस फंड का उपयोग केवल अवसंरचना निर्माण पर किया जाए) जैसे कई सुझाव दिए थे।

- **शहरी शासन का रूपांतरण:**
  - शहरों में नियमित रूप से चुनाव आयोजित होने चाहिये और तीन 'Fs'—Finances (वित्त), Functions (कार्यकरण) और Functionaries (कार्यकारी) के हस्तांतरण के माध्यम से उन्हें सशक्त किया जाना चाहिये।
  - स्थानीय सरकारों और समुदायों को उनके स्वयं के विकास पर अधिक नियंत्रण देकर भारत में शहरीकरण से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने में वित्त, कार्यकरण और कार्यकारियों के हस्तांतरण के माध्यम से सशक्तीकरण का प्रयास अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है।
    - स्थानीय सरकारों को अधिक वित्तीय संसाधन प्रदान करने से वे आवास, परिवहन और अवसंरचना विकास जैसे मुद्दों को बेहतर ढंग से संबोधित कर सकते हैं।
    - इसी प्रकार, स्थानीय सरकारों को कार्यकरण और कार्यकारियों के हस्तांतरण से उनके लिये उन नीतियों को अधिक प्रभावी ढंग से योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित करना संभव होगा जो उनके समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करें।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित करना:**
  - नौकरशाही संबंधी बाधाओं को कम करके और निजी विकास परियोजनाओं के लिये कर प्रोत्साहन प्रदान करके सरकारी नीतियों एवं विनियमों को निजी निवेश के लिये अधिक अनुकूल बनाया जा सकता है।
  - शहरी अवसंरचना और सेवाओं में निजी निवेश को आकर्षित करने के एक तरीके के रूप में सार्वजनिक-निजी भागीदारियों (PPPs) को बढ़ावा दिया जा सकता है।
  - निजी निवेशकों को आश्वस्त करने के लिये स्पष्ट एवं पारदर्शी भूमि अधिग्रहण नीतियों को लागू किया जा सकता है।
  - इसके साथ ही, सरकार शहरी अवसंरचना के विकास के लिये निजी संस्थाओं द्वारा लिये जाते ऋण पर गारंटी प्रदान कर सकती है।

अल्पवयस्कों के लिये डेटा संरक्षण

संदर्भ

भारत में अल्पवयस्कों के लिये डेटा संरक्षण अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि देश में बच्चों के बीच प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग में लगातार वृद्धि हो रही है। अधिकाधिक बच्चों की इंटरनेट तक पहुँच और उनके द्वारा डिजिटल उपकरणों के उपयोग में वृद्धि के साथ उनके लिये ऑनलाइन दुर्व्यवहार के विभिन्न रूपों, जैसे साइबरबुलिइंग, ग्रूमिंग और शोषण के संपर्क में आने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

- ड्राफ्ट डिजिटल व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) विधेयक, 2022 एक प्रस्तावित विधेयक है जिसका उद्देश्य भारत में लोगों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा करना है। वर्तमान में यह बच्चों (18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित) द्वारा सभी डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों के लिये माता-पिता की अनिवार्य सहमति का उपबंध करता है।
- इसके अलावा, उपयुक्त सहमति के बिना अल्पवयस्कों के व्यक्तिगत डेटा का संग्रह एवं उपयोग गोपनीयता के उल्लंघन और संभावित हानि का भी कारण बन सकता है। इस परिदृश्य में भारत के लिये यह महत्त्वपूर्ण है कि वह अपने अल्पवयस्क नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और भलाई के लिये सुदृढ़ डेटा सुरक्षा उपायों को लागू करे।

DPDP विधेयक, 2022 के प्रमुख प्रावधान

- **डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूशरी:**
- डेटा प्रिंसिपल (Data Principal) उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जिसका डेटा एकत्र किया जा रहा हो।
- बच्चों (<18 वर्ष) के मामले में उनके माता-पिता/कानूनी अभिभावकों को 'डेटा प्रिंसिपल' माना जाता है।
- डेटा फिड्यूशरी (Data Fiduciary) वह निकाय (व्यक्ति, कंपनी, फर्म, राज्य आदि) है जो 'किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य एवं साधन' निर्धारित करता है।
- **व्यक्तियों के अधिकार:**
  - **सूचना तक पहुँच:**
    - विधेयक सुनिश्चित करता है कि लोग भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निर्दिष्ट भाषाओं में 'बुनियादी सूचना तक पहुँच' रखने में सक्षम हों।
  - **सहमति का अधिकार (Right to Consent):**
    - व्यक्तियों को उनके डेटा को संसाधित करने से पहले सहमति देने की आवश्यकता होती है और "प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि व्यक्तिगत डेटा के कौन से आइटम कोई डेटा फिड्यूशरी एकत्र करना चाहता है और इस तरह के संग्रह एवं आगे इसके प्रसंस्करण का क्या उद्देश्य है।"

नोट :

- व्यक्तियों को किसी डेटा फिड्यूशरी को दी गई अपनी सहमति वापस लेने का भी अधिकार है।

◆ **मिटाने का अधिकार (Right to Erase):**

- डेटा प्रिंसिपल के पास डेटा फिड्यूशरी द्वारा एकत्र किये गए डेटा को मिटाने और इसमें सुधार की मांग करने का अधिकार होगा।

◆ **नामांकित करने का अधिकार (Right to Nominate):**

- डेटा प्रिंसिपल को किसी ऐसे व्यक्ति को नामांकित करने का भी अधिकार होगा जो उनकी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में इन अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा।

● **डेटा संरक्षण बोर्ड (Data Protection Board):**

◆ विधेयक में विधेयक का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु एक डेटा संरक्षण बोर्ड के गठन का भी प्रस्ताव किया गया है।

◆ डेटा फिड्यूशरी की ओर से असंतोषजनक उत्तर के मामले में उपभोक्ता डेटा संरक्षण बोर्ड के समक्ष शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

● **सीमा-पार डेटा स्थानांतरण:**

◆ विधेयक सीमा-पार भंडारण (Cross-border Storage) और डेटा को 'कुछ अधिसूचित देशों और क्षेत्रों' में स्थानांतरित करने की भी अनुमति देता है, बशर्ते उनके पास उपयुक्त डेटा संरक्षण परिवेश मौजूद हो और सरकार वहाँ से भारतीयों के डेटा को प्राप्त कर सकती हो।

● **अर्थ दंड:**

◆ **डेटा फिड्यूशरी के लिये:**

- विधेयक उन कारोबारों पर उल्लेखनीय दंड लगाने का प्रस्ताव करता है जो डेटा उल्लंघनों से संलग्न पाए जाएँ या उल्लंघन होने के मामले में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने में विफल रहें।
- इसके लिये 50 करोड़ रुपए 500 करोड़ रुपए तक का अर्थ दंड आरोपित किया जाएगा।

◆ **डेटा प्रिंसिपल के लिये:**

- यदि कोई उपयोगकर्त्ता ऑनलाइन सेवा के लिये साइन अप करते समय गलत दस्तावेज़ प्रस्तुत करता है या झूठी शिकायत दर्ज कराता है तो उस पर 10,000 रुपए तक का अर्थ दंड लगाया जा सकता है।

बच्चों के संबंध में विधेयक में मौजूद समस्याएँ

● **सहमति के लिये माता-पिता पर निर्भरता:**

◆ अल्पवयस्कों हेतु सुरक्षित एवं बेहतर सेवाओं के सक्रिय निर्माण के लिये ऑनलाइन मंचो को प्रोत्साहित करने के बजाय यह विधेयक सभी मामलों में बच्चे की ओर से सहमति देने के लिये माता-पिता पर निर्भरता रखता है।

◆ निम्न डिजिटल साक्षरता वाले देश में, जहाँ वास्तव में प्राय: माता-पिता ही इंटरनेट नेविगेट करने में अपने बच्चों (जो 'डिजिटल नेटिव' होते हैं) पर निर्भरता रखते हैं, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिये यह एक अप्रभावी तरीका है।

● **बच्चों के हितों पर विचार नहीं:**

◆ यह 'बच्चे के लिये सर्वोत्तम हित' के मानक की अवहेलना करता है जिसकी उत्पत्ति बाल अधिकार अभिसमय, 1989 (1989 Convention on the Rights of the Child) से हुई थी।

- भारत ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (वर्ष 2005), नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम (वर्ष 2009) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (वर्ष 2012) जैसे कानूनों में इस मानक का पालन कर रखा है।
- लेकिन डेटा संरक्षण के मुद्दे पर इसे लागू नहीं किया गया है।

◆ मसौदा विधेयक इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि किशोर आत्म-अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत विकास के लिये विभिन्न इंटरनेट प्लेटफॉर्मों का उपयोग किस प्रकार करते हैं और यह इन दिनों किशोरों के अनुभव के लिये कितना महत्त्वपूर्ण है।

● **नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा के लिये जोखिम:**

◆ DPDP विधेयक के वर्तमान मसौदे में प्रत्येक मंच को अल्पवयस्कों के मामले में 'माता-पिता की सत्यापन योग्य सहमति' (Verifiable Parental Consent) प्राप्त करनी होगी। यदि इस प्रावधान को सख्ती से लागू किया जाता है तो यह इंटरनेट की वर्तमान प्रकृति को रूपांतरित कर सकता है।

◆ चूँकि आयु की पुष्टि के बिना यह कहना कठिन है कि उपयोगकर्ता अल्पवयस्क है या नहीं, इसलिये प्लेटफॉर्म को प्रत्येक उपयोगकर्ता की आयु को सत्यापित करना होगा।

◆ सरकार बाद में निर्धारित करेगी कि यह सत्यापन आईडी-प्रूफ, चेहरे की पहचान, संदर्भ-आधारित सत्यापन जैसे किस माध्यम पर आधारित होगा।

◆ अब सभी प्लेटफॉर्मों को पहले की तुलना में व्यापक रूप से अधिक व्यक्तिगत डेटा का प्रबंधन करना होगा और नागरिक डेटा उल्लंघन, पहचान की चोरी आदि खतरों का अधिक जोखिम रखेंगे।

नोट :

आगे की राह

- **ऐसी सेवाओं की अभिकल्पना जो जोखिमों से बच्चों की सुरक्षा करें:**
  - समय की मांग है कि ट्रैकिंग, निगरानी आदि पर पूर्ण प्रतिबंध से आगे बढ़ते हुए प्लेटफॉर्म दायित्वों के प्रति जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।
  - प्लेटफार्मों के लिये अल्पवयस्कों हेतु जोखिम मूल्यांकन को अनिवार्य किया जाना चाहिये और न केवल आयु-सत्यापन-संबंधी संबंधित दायित्वों को पूरा करना चाहिये बल्कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एवं सुविधाओं के साथ ऐसी सेवाओं की अभिकल्पना की जानी चाहिये जो बच्चों को जोखिमों से बचाएँ।
    - यह दृष्टिकोण बच्चों के लिये बेहतर उत्पादों को डिज़ाइन करने हेतु प्लेटफॉर्मों के लिये प्रोत्साहन का सृजन कर सह-विनियमन के एक तत्व का प्रवेश कराएगा।
- **माता-पिता की सहमति हेतु अनिवार्य आयु में छूट देना:**
  - सभी सेवाओं के लिये माता-पिता की सहमति हेतु अनिवार्य आयु को 13 वर्ष (दुनिया भर के कई अन्य क्षेत्राधिकारों के अनुरूप) किये जाने की आवश्यकता है।
  - सहमति संबंधी आवश्यकताओं में ढील देकर डेटा संग्रह को न्यूनतम किया जा सकेगा जो कि उन सिद्धांतों में से एक है जिस पर यह विधेयक आधारित है।
  - उपर्युक्त जोखिम कम करने के दृष्टिकोण के साथ सहमति की आयु में छूट प्रदान कर बच्चों को ऑनलाइन पहुँच का अवसर देने के साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।
- **व्यापक सर्वेक्षणों का आयोजन:**
  - भारतीय संदर्भ में इस समाधान के निर्माण के लिये सरकार को बच्चों और माता-पिता दोनों की ऑनलाइन आदतों, डिजिटल साक्षरता, वरीयताओं और दृष्टिकोण के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों का आयोजन करना चाहिये।
  - ऐसी नीति तैयार की जानी चाहिये जो ऑनलाइन मंच पर बच्चों की सुरक्षा और अभिकर्तृत्व (एजेंसी) को संतुलित करे।
  - बच्चों की सुरक्षा का दायित्व केवल माता-पिता पर ही नहीं डाला जाना चाहिये, बल्कि इसे पूरे समाज का दायित्व बनाया जाना चाहिये।
- **बच्चों के निजता के अधिकार में सुधार लाना:**
  - बच्चों को उनके निजता के अधिकारों और ऑनलाइन मंचों पर व्यक्तिगत सूचना को सुरक्षित रखने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये।
  - बच्चों को भी निजता का मूल अधिकार प्राप्त है और इसमें उनके व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा भी शामिल है।
  - प्रौद्योगिकी की उतरोत्तर उन्नति और सूचनाओं के अधिकाधिक संग्रहण एवं ऑनलाइन साझेदारी के साथ यह सुनिश्चित करना तेज़ी से महत्त्वपूर्ण होता जा रहा है कि अल्पवयस्कों के निजता के अधिकार को अक्षुण्ण रखा जाए।
    - बच्चों के विकास के लिये, विशेष रूप से रचनात्मकता और आत्म-अभिव्यक्ति की खोज के लिये डिजिटल स्पेस के कई लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों का आगमन

संदर्भ

हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने भारत में विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों (Foreign Higher Educational Institutions- FHEIs) के परिसरों की स्थापना और संचालन पर एक मसौदा विनियमन तैयार किया है। इस तरह की प्रविष्टि की सुविधा के लिये एक विधायी ढाँचा तैयार किया जाएगा और ऐसे विश्वविद्यालयों को भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समान नियामक, शासन एवं सामग्री संबंधी मानदंडों के संबंध में विशेष छूट दी जाएगी।

- प्रारंभ में यह अनुमति दस वर्षों के लिये दी जाएगी, जिसका नवीकरण आवश्यक शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। विदेशी विश्वविद्यालयों को अपना पाठ्यक्रम और प्रवेश प्रक्रिया तैयार करने की स्वतंत्रता होगी।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP), 2020 में कहा गया है कि "चयनित विश्वविद्यालयों, यानी दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से शामिल विश्वविद्यालयों को भारत में कार्यकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी।"

इस कदम का क्या महत्त्व है?

- **भारत को लाभ:**
  - **भारतीय धन के बहिर्वाह और 'ब्रेन ड्रेन' पर नियंत्रण:**
    - भारतीय छात्रों की एक बड़ी संख्या विदेशी शिक्षा संस्थानों का रुख करती है जिससे भारतीय धन का बहिर्वाह होता है।
    - एक प्रमुख परामर्शदाता फर्म की एक हालिया रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय छात्रों का विदेशी व्यय वर्तमान 28 बिलियन डॉलर वार्षिक से बढ़कर वर्ष 2024 तक 80 बिलियन डॉलर वार्षिक तक पहुँच जाएगा।

नोट :

- उच्च शिक्षा के लिये विदेश का रुख करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या वर्ष 2016 में 4.4 लाख से बढ़कर वर्ष 2019 में 7.7 लाख हो गई; वर्ष 2024 तक यह लगभग 18 लाख तक पहुँच सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा पर विदेशी व्यय में वृद्धि होगी।

◆ **सकल नामांकन अनुपात के मुद्दे को संबोधित करना:**

- भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से उच्च शिक्षा के लिये अधिक विकल्प प्राप्त होने और डिग्री प्राप्त करने के लिये संभावित रूप से अधिक छात्रों को आकर्षित करने के रूप में नामांकन अनुपात में वृद्धि हो सकती है।
- विश्व की सबसे बड़ी उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक होने के बावजूद उच्च शिक्षा में भारत का सकल नामांकन अनुपात (GER) महज 27.1% है जो विश्व में न्यूनतम में से एक है।

◆ **सांस्कृतिक आदान-प्रदान:**

- भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान एवं समझ को बढ़ावा मिल सकता है।

◆ **प्रतिस्पर्द्धात्मकता की वृद्धि:**

- देश में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से भारत शिक्षा और अनुसंधान के मामले में वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्द्धी बन सकेगा।

◆ **छवि निर्माण:**

- यह देश के ब्रांड मूल्य को भी बढ़ा सकता है जिससे विश्व के समक्ष भारत की क्षमता और शक्ति को प्रकट कर सकने का अवसर मिलेगा।

● **विदेशी विश्वविद्यालयों को लाभ:**

◆ भारत में युवाओं की एक बड़ी और तेज़ी से बढ़ती आबादी मौजूद है, जिनमें से कई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

◆ भारत में उच्च शिक्षित और कुशल कामगारों का एक बड़ा पूल मौजूद है, जो इसे विदेशी विश्वविद्यालयों के लिये अनुसंधान केंद्र या अन्य निकायों की स्थापना के लिये एक आकर्षक गंतव्य बनाता है।

◆ भारत की अर्थव्यवस्था तेज़ी से विकास कर रही है और यह विदेशी विश्वविद्यालयों को देश में अपने पैर जमाने का अवसर प्रदान कर रही है।

भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबद्ध चुनौतियाँ

● **शिक्षा की गुणवत्ता:**

◆ FHEIs द्वारा प्रदत्त शिक्षा की गुणवत्ता भारतीय संस्थानों के मानकों के स्तर की नहीं भी हो सकती हैं, जो फिर भारतीय छात्रों की रोज़गार सक्षमता और भविष्य की संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।

● **शुल्क:**

◆ FHEIs द्वारा लिया जाने वाला शुल्क प्राय: भारतीय संस्थानों की तुलना में बहुत अधिक होता है, जो निम्न-आय परिवारों के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा को कम सुलभ बना सकता है।

● **निरीक्षण का अभाव:**

◆ भारत में FHEIs का विनियामक निरीक्षण अपर्याप्त सिद्ध हो सकता है, जिससे ऐसी स्थिति बन सकती है जहाँ छात्रों का गलत लाभ उठाया जाए या समस्याओं के मामले में उन्हें निराश्रित छोड़ दिया जाए।

● **सांस्कृतिक प्रभाव:**

◆ विदेशी संस्थानों और छात्रों के आगमन से भारतीय संस्कृति एवं मूल्यों की हानि हो सकती है; साथ ही भारतीय और विदेशी छात्रों के बीच एकीकरण या समन्वयन की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है।

● **राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:**

◆ विदेशी संस्थानों का दुरुपयोग जासूसी और अन्य अवैध गतिविधियों के लिये किया जा सकता है।

● **संसाधनों की अपर्याप्तता:**

◆ वास्तविक रूप से प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान लाभ-रहित आधार पर कार्य करते हैं और उनके पास विदेश में अपने कैंपस स्थापित करने का कोई भौतिकवादी उद्देश्य नहीं होता है।

- कुछ ऐसे देश जिन्होंने विदेश में अपने कैंपस स्थापित किये हैं, उन्हें लगभग बिना किसी लागत के भूमि लीजिंग सौंपने, अवसंरचना लागत के एक बड़े भाग का वहन करने और उन्हें अपने गृह देशों के समान अकादमिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता देने का वादा करने जैसे कदम के साथ आकर्षित किया जा सका है।

◆ भारत ऐसे प्रोत्साहन देने के लिये पर्याप्त संसाधन नहीं रखता है।

● **विदेशी संस्थानों को स्वायत्तता:**

◆ अधिसूचना के मसौदे में विदेशी संस्थानों के लिये शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय स्वायत्तता का वादा तो किया गया है,

नोट :

लेकिन इसके प्रभाव को इस घोषणा के साथ कम करने का प्रयास भी किया गया है कि वे उन सभी शर्तों का पालन करेंगे जो यूजीसी और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है।

- यह प्रावधान कि विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों को "भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता" के विपरीत कुछ भी नहीं करना होगा, उन सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को हतोत्साहित कर सकता है जो अपनी शैक्षणिक स्वायत्तता को सर्वाधिक महत्त्व देते हैं।

आगे की राह

- **स्पष्ट और पारदर्शी विनियमों का विकास:**
  - सरकार को भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन और मान्यता के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश और नियम स्थापित करने चाहिये। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि ये संस्थान इस तरह से कार्य करेंगे जो भारतीय कानूनों और विनियमों के अनुरूप हों।
- **सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देना:**
  - विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में स्वतंत्र कैंपस स्थापित करने की अनुमति देने के बजाय सरकार उन्हें मौजूदा भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग और साझेदारी करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है। यह प्रतिस्पर्द्धा को कम करने और यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के लाभ भारतीय संस्थानों एवं छात्रों के साथ साझा किये जाएँ।
- **भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार:**
  - सरकार को भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार करने की आवश्यकता है जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने, उच्च शिक्षा के लिये धन की वृद्धि करने और अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने जैसे कई अलग-अलग कदम शामिल हो सकते हैं।
- **EEZs की स्थापना:**
  - एक और कदम यह हो सकता है कि देश में शिक्षा उत्कृष्टता क्षेत्रों (Education Excellence Zones-EEZs) और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए।
  - इसके परिणामस्वरूप ज्ञान उत्पादन (Knowledge Production) भारत में समूहबद्ध हो सकेगा। वास्तविक अंतर-विश्वविद्यालय उत्कृष्टता एवं प्रतिस्पर्द्धा के लिये FHEIs को भी इन EEZs में आमंत्रित किया जा सकता है।

'डी-डॉलराइज़ेशन' को बढ़ावा देना

संदर्भ

'डी-डॉलराइज़ेशन' (De-dollarisation) से तात्पर्य है वैश्विक बाज़ारों में डॉलर के प्रभुत्व को कम करना। यह तेल और/या अन्य वस्तुओं के व्यापार, विदेशी मुद्रा भंडार के लिये अमेरिकी डॉलर की खरीद, द्विपक्षीय व्यापार समझौते, डॉलर-डिनोमिनेटेड आस्तियों आदि के मामले में अमेरिकी डॉलर को अन्य मुद्राओं से प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है।

- वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर का प्रभुत्व अमेरिका को अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर असंगत रूप से अधिक प्रभाव प्रदान करता है। अमेरिका ने लंबे समय से विदेश नीति लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक उपकरण के रूप में प्रतिबंधों (Sanctions) का इस्तेमाल किया है।
- डी-डॉलराइज़ेशन विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों को भू-राजनीतिक जोखिमों से बचाने की इच्छा से प्रेरित है, जहाँ आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को एक आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

डॉलर के उपयोग या 'डॉलराइज़ेशन' से संबद्ध चुनौतियाँ

- **आर्थिक संप्रभुता को खतरा:**
  - कई देशों का मानना है कि वैश्विक व्यापार में डॉलर का प्रभुत्व उनकी आर्थिक संप्रभुता के लिये खतरा उत्पन्न करता है, क्योंकि यह अमेरिकी सरकार को वैश्विक अर्थव्यवस्था पर उल्लेखनीय नियंत्रण प्रदान करता है।
- **मुद्रा संबंधी हेरफेर:**
  - वैश्विक व्यापार में डॉलर का प्रभुत्व अमेरिकी सरकार को अन्य देशों पर आर्थिक लाभ हासिल करने के लिये अपनी मुद्रा में हेरफेर करने का अवसर देता है।
- **वित्तीय संकट का जोखिम:**
  - वैश्विक व्यापार में डॉलर के प्रभुत्व से वैश्विक वित्तीय संकट का खतरा भी बढ़ जाता है, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर शृंखला प्रभाव (Ripple Effect) उत्पन्न हो सकता है।
- **अमेरिका पर निर्भरता:**
  - वैश्विक व्यापार व्यापक रूप से अमेरिकी डॉलर में संचालित होता है, इसलिये जो देश अमेरिका के साथ बहुत अधिक संलग्न होते हैं, वे अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भर बन सकते हैं।

- **भू-राजनीति:**
  - कुछ देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं क्योंकि इसे अपनी अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी प्रभाव को कम करने के एक तरीके के रूप में देखते हैं और कुछ मामलों में इसे अमेरिकी प्रभुत्व के विरुद्ध एक प्रतिरोध के रूप में भी देखा जाता है।

डी-डॉलराइज़ेशन के लाभ

- **अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करना:**
  - अन्य मुद्राओं या मुद्राओं के एक समूह के उपयोग से दुनिया के देश अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर अपनी निर्भरता कम कर सकते हैं। यह अमेरिका के आर्थिक एवं राजनीतिक घटनाक्रमों का उनकी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है।
- **आर्थिक स्थिरता में सुधार:**
  - विभिन्न देश अपने मुद्रा भंडार में विविधता लाकर मुद्रा में उतार-चढ़ाव और ब्याज दर में परिवर्तन के प्रति अपने जोखिम को कम कर सकते हैं, जिससे आर्थिक स्थिरता को सुदृढ़ करने तथा वित्तीय संकट के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है।
- **व्यापार और निवेश बढ़ाना:**
  - अन्य मुद्राओं का उपयोग कर विभिन्न देश ऐसे अन्य देशों के साथ व्यापार और निवेश बढ़ा सकते हैं जो अमेरिका के साथ मजबूत संबंध नहीं रखते; इससे विकास के लिये नए बाज़ारों और अवसरों का द्वार खुल सकता है।
- **अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम करना:**
  - अमेरिकी डॉलर के उपयोग को कम करके दुनिया के देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं पर अमेरिकी मौद्रिक नीति के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

राष्ट्रीय मुद्राओं से संबद्ध चुनौतियाँ

- **पूर्ण परिवर्तनीय नहीं:**
  - राष्ट्रीय मुद्राओं (National Currencies) के लिये एक चुनौती यह है कि ये पूर्ण परिवर्तनीय (Fully Convertible) नहीं हैं। इस परिदृश्य में, व्यापार की वैकल्पिक प्रणालियों और विभिन्न मुद्रा संचलन प्रणालियों के उदय के बावजूद अमेरिकी डॉलर अभी भी हावी बना हुआ है।
- **मुद्रा की अस्थिरता:**
  - राष्ट्रीय मुद्राएँ डॉलर के सापेक्ष मूल्य में उतार-चढ़ाव प्रदर्शित कर सकती हैं, जिससे विभिन्न देशों के लिये अपनी आर्थिक नीतियों की योजना बनाना और व्यवसायों के लिये दीर्घकालिक निवेश करना कठिन सिद्ध हो सकता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं का सीमित उपयोग:**
  - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, जिससे राष्ट्रीय मुद्राओं के लिये प्रतिस्पर्द्धा करना कठिन हो जाता है। इससे देशों के लिये एक दूसरे के साथ व्यापार करना और व्यवसायों के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करना जटिल बन सकता है।
- **डॉलर पर निर्भरता:**
  - कई देश व्यापार एवं वित्तीय लेन-देन के लिये डॉलर पर बहुत अधिक निर्भर हैं, जो उन्हें डॉलर के मूल्य में परिवर्तन और अमेरिकी सरकार की नीतियों के प्रति संवेदनशील या भेद्य बनाता है।
- **वित्तीय अस्थिरता:**
  - अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में डॉलर का प्रभुत्व अन्य देशों में वित्तीय अस्थिरता में योगदान कर सकता है, क्योंकि वे वित्तीय संकटों के प्रति अधिक संवेदनशील बन सकते हैं।
- **मौद्रिक संप्रभुता:**
  - डॉलर की वर्चस्ववादी भूमिका अन्य देशों की मौद्रिक संप्रभुता को सीमित करती है जहाँ उनके लिये अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिये मौद्रिक नीति का उपयोग करना कठिन हो जाता है।

विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा उठाये गए कदम

- **वैश्विक प्रयास:**
  - **द्विपक्षीय 'करेंसी स्वैप':**
    - आसियान देशों, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय करेंसी स्वैप (Bilateral Currency Swaps) 380 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है।
    - इसी तरह, दक्षिण अफ्रीका के 'रैंड' (Rand) का उपयोग कई अफ्रीकी देशों द्वारा किया जा रहा है।
    - लैटिन अमेरिकी देश अधिक अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की ओर आगे बढ़ रहे हैं।
  - **राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार की शुरुआत:**
    - एशियाई केंद्रीय बैंकों के मध्य 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की स्थानीय करेंसी स्वैप लाइन एवं व्यापार मौजूद है।
    - ब्रिक्स (BRICS) का 'न्यू डेवलपमेंट बैंक' राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार एवं निवेश को प्रोत्साहित करता है जहाँ वर्ष 2015 से उसके द्वारा लगभग 50% ऋणों का वितरण राष्ट्रीय मुद्राओं में किया गया है।

नोट :

- चीन ने वर्ष 2015 में रॅन्मिन्बी (Renminbi) विकसित किया और सीमा पार युआन भुगतान एवं व्यापार में प्रतिभागियों के लिये समाशोधन एवं निपटान सेवाएँ प्रदान करता है।
- रूसी बैंकों ने अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों के लिये चीन स्थित 'क्रॉस-बॉर्डर इंटरबैंक भुगतान प्रणाली' का उपयोग करना शुरू किया है, क्योंकि उन्हें स्विफ्ट (SWIFT) अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली से प्रतिबंधित किया गया है।

- **भारत के प्रयास:**
  - जुलाई 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने निर्दिष्ट भारतीय बैंकों में विशेष वोस्ट्रो खातों (vostro accounts) की अनुमति देकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक 'रुपया निपटान प्रणाली' का अनावरण किया जो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक सजग कदम है।

आगे की राह

- **विदेशी मुद्रा भंडार का विविधीकरण:**
  - विभिन्न देशों की सरकारें यूरो या चीनी युआन जैसी अन्य मुद्राओं में अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा भाग धारण कर अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर सकती हैं।
- **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना:**
  - सरकारें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी स्वयं की मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा दे सकती हैं जहाँ कारोबारों को इनके उपयोग के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर आकर्षित किया जा सकता है।
    - वर्ष 2019 से भारत रूस को ईंधन, तेल, खनिज और विशिष्ट रक्षा आयात के लिये अनौपचारिक रूप से रुपए में भुगतान कर रहा है।
- **वैकल्पिक भुगतान प्रणाली विकसित करना:**
  - सरकारें वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों (जैसे चीनी नेतृत्व वाला एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक) के विकास के लिये प्रयास कर सकती हैं जो डॉलर पर निर्भर नहीं हों।
- **आर्थिक गठजोड़ का निर्माण:**
  - डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिये विभिन्न सरकारें अन्य देशों के साथ आर्थिक गठजोड़ का निर्माण कर सकती हैं।
- **अन्य मुद्राओं में निवेश:**
  - मुद्रा में उतार-चढ़ाव के जोखिम को कम करने या डॉलर के आधिपत्य का मुकाबला करने के लिये सरकारें अन्य मुद्राओं में निवेश भी कर सकती हैं।

कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग

संदर्भ

कृषि क्षेत्र कार्बन व्यापार या 'कार्बन ट्रेडिंग' (Carbon Trading) में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है क्योंकि इसमें कार्बन के उत्सर्जन (Emission) और प्रच्छादन (Sequestration: वनस्पति और मृदा में कार्बन भंडारण की प्रक्रिया) दोनों की क्षमता निहित है। खेती, उर्वरक उपयोग और पशुधन उत्पादन जैसी कृषि गतिविधियाँ वातावरण में ग्रीनहाउस गैस का उत्सर्जन कर सकती हैं, तो दूसरी ओर, कृषि वानिकी, संरक्षण खेती और मृदा कार्बन प्रच्छादन (soil carbon sequestration) जैसे अभ्यास कार्बन को वातावरण से जब्त करते हुए इसे मृदा में संग्रहित कर सकते हैं।

- भारत ने अगस्त 2022 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCC) के लिये अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution- NDCs) को अद्यतन किया है। अद्यतन किये गए NDCs में वर्ष 2030 तह 50% संचयी विद्युत शक्ति गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना और वन एवं वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.5-3 बिलियन टन CO_2 समतुल्य का एक अतिरिक्त कार्बन सिंक स्थापित करना शामिल है।
- अद्यतन किये गए NDCs लक्ष्य में वर्ष 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर से 45% तक कम करना भी निर्धारित किया गया है। इसमें जलवायु परिवर्तन से मुकाबले की एक कुंजी के रूप में 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली (LiFE – 'Lifestyle for Environment') हेतु एक जन आंदोलन छेड़ने के साथ ही एक स्वस्थ एवं संवहनीय जीवन शैली को प्रोत्साहन देने की भी बात की गई है।
- संसद द्वारा ऊर्जा संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2022 पारित किया गया है जो गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों की खोज एवं उपयोग तथा एक राष्ट्रीय कार्बन बाज़ार के निर्माण का उपबंध करता है। यह विधेयक वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन (Net Zero Emission) के लक्ष्य को प्राप्त करने का भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण भी रखता है।

कार्बन ट्रेडिंग क्या है?

- कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग या कार्बन व्यापार कार्बन क्रेडिट की खरीद एवं बिक्री को संदर्भित करता है। यह कार्बन क्रेडिट उन

नोट :

अभ्यासों से सृजित होता है जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करते हैं या खेतों में और अन्य कृषि भूमि पर कार्बन प्रच्छादन की वृद्धि करते हैं।
  - इन अभ्यासों में संरक्षण खेती (Conservation Tillage), कृषि वानिकी (Agroforestry) और अन्य स्थायी भूमि प्रबंधन तकनीकों जैसे कई विषय शामिल हैं।
- कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग की अवधारणा को किसानों को पर्यावरण अनुकूल अभ्यासों को अपनाने हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के एक तरीके के रूप में देखा जाता है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकता है।

कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग कौन-से अवसर प्रस्तुत करता है?

- **अतिरिक्त राजस्व:**
  - कार्बन ऑफसेट परियोजनाओं में भाग लेने से किसानों को कार्बन क्रेडिट की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती है।
- **जलवायु परिवर्तन शमन:**
  - कार्बन उपशमन संबंधी कृषि अभ्यासों (Carbon Abatement Farming Practices) को अपनाने से मृदा में कार्बन प्रच्छादन करने में मदद मिल सकती है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान दे सकती है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती है।
- **मृदा स्वास्थ्य सुधार:**
  - संरक्षण खेती एवं कृषि वानिकी जैसी विभिन्न कार्बन उपशमन कृषि पद्धतियाँ मृदा स्वास्थ्य में सुधार ला सकती हैं, जिसके परिणामस्वरूप फसल की पैदावार में वृद्धि हो सकती है और जल प्रतिधारण में सुधार आ सकता है।
- **जैव विविधता संरक्षण:**
  - कृषि वानिकी जैसी कुछ कार्बन उपशमन कृषि पद्धतियाँ जैव विविधता को बढ़ावा देने और जंगली प्रजातियों के अस्तित्व का समर्थन करने में भी मदद कर सकती हैं।
- **सतत् भूमि उपयोग:**
  - कार्बन ऑफसेट परियोजनाएँ किसानों को सतत/संवहनीय भूमि-उपयोग अभ्यासों को अपनाने के लिये प्रोत्साहन प्रदान कर सकती हैं, जो फिर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने में मदद कर सकती हैं।
- **ग्रामीण विकास:**
  - कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार एवं आय-सृजन के अवसर पैदा करके और इस क्षेत्र में लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास का समर्थन करके ग्रामीण विकास को भी बढ़ावा दे सकता है।

कृषि द्वारा प्रच्छादित कार्बन के व्यापार से संबद्ध चुनौतियाँ

- **कार्बन प्रच्छादन के परिशुद्ध मापन एवं सत्यापन की कठिनाई:**
  - मृदा में कार्बन चक्र की जटिल प्रकृति और मौसम एवं मृदा के प्रकार जैसे अन्य कारकों से विशिष्ट कृषि पद्धतियों के प्रभावों को पृथक कर सकने की जटिलता से यह कठिनाई उत्पन्न होती है।
- **राजस्व का मुद्दा:**
  - कार्बन उपशमन अभ्यासों को अपनाने के परिणामस्वरूप अपेक्षित अतिरिक्त राजस्व और फसल की उपज पर पड़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया जाना चाहिये।
  - कोई किसान कार्बन उपशमन अभ्यासों को तभी अपनाएगा जब उसे उम्मीद हो कि कार्बन क्रेडिट की बिक्री से प्राप्त राजस्व इसे अपनाने से फसल उपज में होने वाली किसी हानि की भरपाई कर देगा।
- **विश्वसनीय डेटा का अभाव:**
  - कृषि अभ्यासों द्वारा कार्बन प्रच्छादन पर सटीक एवं सुसंगत डेटा की कमी है, जिससे कार्बन क्रेडिट की मात्रा निर्धारित करना और इसका व्यापार करना कठिन हो जाता है।
- **जटिल विनियमन:**
  - भारत में कार्बन ट्रेडिंग के लिये मौजूद नियामक ढाँचा जटिल है और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, जिससे किसानों एवं अन्य हितधारकों के लिये कार्बन बाज़ारों में भाग लेना कठिन हो जाता है।
- **लेनदेन की उच्च लागत:**
  - कार्बन क्रेडिट के मापन, सत्यापन और व्यापार से संबद्ध लागतें उच्च हो सकती हैं, जिससे छोटे किसानों एवं अन्य हितधारकों के लिये कार्बन बाज़ारों में भागीदारी दुरूह बन सकती है।
- **सीमित मांग:**
  - वर्तमान में कृषि क्षेत्र से कार्बन क्रेडिट की मांग सीमित है, जिससे किसानों एवं अन्य हितधारकों के लिये अपने क्रेडिट हेतु खरीदार ढूँढ़ना कठिन हो जाता है।
- **जागरूकता की कमी:**
  - भारत में किसानों और अन्य हितधारकों की एक बड़ी संख्या कार्बन ट्रेडिंग से जुड़े अवसरों एवं लाभों और कार्बन बाज़ारों में भागीदारी के तरीके के बारे में जागरूकता की कमी रखती है।

नोट :

आगे की राह

- **मापन और सत्यापन की एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित करना:**
  - प्रच्छादित कार्बन के लिये एक बाज़ार निर्माण की दिशा में पहला कदम यह होगा कि विभिन्न कृषि अभ्यासों द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त कार्बन के मापन और सत्यापन की एक पारदर्शी प्रक्रिया विकसित की जाए।
  - कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर कार्बन प्रच्छादन की मात्रा का आकलन करना संभव है।
- **कार्बन ट्रेडिंग में भागीदारी को सुविधाजनक बनाना:**
  - स्वैच्छिक कार्बन बाज़ार में कार्बन क्रेडिट की व्यक्तिगत रूप से बिक्री करना किसानों के लिये एक दुरूह प्रक्रिया है।
  - इस दृष्टिकोण से, कार्बन ट्रेडिंग में उनकी भागीदारी को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और सहकारी समितियों जैसे सामूहिक प्रयासों द्वारा सुगम बनाया जा सकता है। ये समूह किसानों को कार्बन उपशमन अभ्यासों को अपनाने हेतु संगठित करने और उनकी ओर से अर्जित कार्बन क्रेडिट की बिक्री करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
    - 'Boomitra' और 'Nurture.Farm' जैसी कुछ एग्रो-टेक कंपनियाँ स्वैच्छिक कार्बन बाज़ारों में किसानों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिये बिचौलियों के माध्यम से उन्हें संगठित करती हैं।
- **कृषक समुदायों के बीच जागरूकता का प्रसार करना:**
  - उन्नत कृषि अभ्यासों को अपनाने और कार्बन बाज़ारों में भागीदारी करने से संबद्ध लाभों के बारे में कृषक समुदायों के बीच जागरूकता का प्रसार करने की आवश्यकता है।

दृष्टि The Vision

नोट :

दृष्टि एडिटोरियल अभ्यास प्रश्न

1. भारत में समान नागरिक संहिता के पक्ष एवं विपक्ष के तर्कों की विवेचना कीजिये और देश के सामाजिक एवं राजनीतिक परिदृश्य पर इस तरह की संहिता के संभावित प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये।
2. "भारत में भूजल की कमी के प्रमुख कारण कौन-से हैं और इस पर अंकुश के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं? सोदाहरण चर्चा कीजिये।
3. ''विभिन्न संसाधनों की परिमित प्रकृति और अपशिष्ट एवं प्रदूषण के नकारात्मक प्रभावों की बढ़ती मान्यता के साथ, चक्रीय अर्थव्यवस्था आर्थिक विकास के पारंपरिक रैखिक मॉडल के लिये एक अधिक संवहनीय एवं प्रत्यास्थी विकल्प की पेशकश करती है।'' टिप्पणी कीजिये।
4. भारत के विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियों एवं अवसरों की विवेचना करें और इन मुद्दों के समाधान में 'मेक इन इंडिया' पहल की भूमिका की चर्चा करें।
5. भारत की नीली अर्थव्यवस्था के लिये विद्यमान चुनौतियों एवं अवसरों पर विचार करें और इस क्षेत्र के सतत विकास के लिये नवोन्मेषी रणनीतियों के सुझाव दें।
6. पर्यटन क्षेत्र में भारत में आर्थिक वृद्धि एवं विकास का एक प्रमुख चालक होने की क्षमता है, लेकिन इसमें पर्यावरण एवं स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने की क्षमता भी निहित है। चर्चा कीजिये।
7. हरित हाइड्रोजन उत्पादन को क्रियान्वित करने के संभावित लाभों एवं संबंधित चुनौतियों की चर्चा कीजिये। भारत अपने ऊर्जा एवं जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में इस स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का किस प्रकार उपयोग कर सकता है?
8. भारत में वनों से संबंधित प्रमुख चुनौतियों की चर्चा करें। समकालीन वन संबंधी मुद्दों के प्रबंधन के लिये अभिनव समाधान भी सुझाएँ।
9. भारत में कृषि के लिये एक सतत् दृष्टिकोण के रूप में प्राकृतिक कृषि की संभावना पर विचार कीजिये और उस भूमिका की चर्चा कीजिये जो निजी क्षेत्र प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने तथा इसका समर्थन करने में निभा सकता है।
10. हाल के वर्षों में जेनरेटिव AI एक अग्रणी अनुसंधान क्षेत्र रहा है। जेनरेटिव AI मॉडल का उपयोग करने से संबद्ध चुनौतियों एवं इसके नैतिक प्रभावों की चर्चा कीजिये।
11. भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें और वे उपाय सुझाएँ जिन्हें देश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता एवं पहुँच में सुधार के लिये लागू किया जा सकता है।
12. पारंपरिक श्रम बाज़ार पर गिग इकॉनमी के प्रभाव का विश्लेषण करें और भारत में गिग कामगारों के समक्ष विद्यमान चुनौतियों की चर्चा करें।
13. भारत के स्टार्ट-अप पारितंत्र की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करें और स्टार्ट-अप्स के सामने विद्यमान चुनौतियों के समाधान के उपाय सुझाएँ।
14. LGBTQIA+ व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा में भारतीय कानूनी प्रणाली की प्रगति और अब भी विद्यमान कमियों की विवेचना कीजिये। भारतीय समाज में इस समुदाय द्वारा सामना किये जाने वाले भेदभाव एवं वंचना को संबोधित कर सकने के उपायों के सुझाव भी दीजिये।
15. वैश्विक राजनीतिक परिवर्तन के इस युग में चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भारत विदेश नीति के संबंध में किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन कर सकता है? विचार कीजिये।
16. भारत में प्रवासियों के लिये दूरस्थ मतदान को लागू करने की व्यवहार्यता एवं संलग्न चुनौतियों पर विचार कीजिये।
17. दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के मार्ग की चुनौतियों की चर्चा करें और सहयोग बढ़ाने के लिये आगे की राह सुझाएँ।
18. नव यूरेशिया के संदर्भ में भारत के लिये प्रमुख चुनौतियों और विद्यमान अवसरों की चर्चा कीजिये।
19. यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम लागू होने के बाद से भारत में इसके कार्यान्वयन में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है?
20. ज़मीनी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी और सेवाओं के अधिक प्रभावी एवं कुशल वितरण सुनिश्चित करने के लिये भारत में पंचायतों के कार्यकरण में सुधार के लिये कौन-से कदम उठाये जा सकते हैं?

नोट :

21. देश में शहरीकरण द्वारा प्रस्तुत चुनौतियों का समाधान करने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं? चर्चा कीजिये।
22. डिजिटल युग में अल्पवयस्कों के लिये डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किये जाने चाहिये? चर्चा कीजिये।
23. भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों के आगमन से संबद्ध मुद्दों की चर्चा करें।
24. अमेरिकी डॉलर के आधिपत्य ने किस हद तक वैश्विक आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था को आकार दिया है और इस आधिपत्य को कैसे कम किया जा सकता है?
25. ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और सतत कृषि अभ्यासों को बढ़ावा देने के लिये कृषि क्षेत्र में कार्बन ट्रेडिंग को किस प्रकार प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है? चर्चा कीजिये।

दृष्टि The Vision

नोट :